खण्ड-193, अंक-9
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1880
(24 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (४०३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायण दत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिक प्रसाद, पांडेय श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खा, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अलमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री

रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
राममारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में आफिसर्स रेस्ट हाउस तथा गेस्ट हाउस पर व्यय

१—श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में सरकार की ओर से एक गेस्ट हाउस, एक आफिसर्स रेस्ट हाउस खोला गया है ? यदि हां, तो यह कब से खोले गये हैं और अब तक उनकी प्रत्येक मद में अलग-अलग जो रुपया खर्च हुआ है उसका ब्योरा सदन की मेज पर रखने का सरकार कष्ट करेगी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--लखनऊ में सरकार की ओर से ता० २५-८-५७ से आफिसर्स रेस्ट हाउस तथा ता० १-१०-५७ से स्टेट गेस्ट हाउस खोला गया। उन पर हुए खर्च का ब्योरा जहां तक मिल सका है संलग्न सूची में है, बाक़ी सार्वजनिक निर्माण विभाग से इकट्ठा किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९० पर)

२--श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गेस्ट हाउस में अब तक कितने गेस्ट आफ स्टेट आकर रुके हैं ?

श्री धर्मसिंह--स्टेट गेस्ट हाउस में अब तक ४१ गेस्ट आये।

३--श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आफिसर्स रेस्ट हाउस का स्थायी तौर पर प्रतिमास कितना खर्च पड़ता है और उसमें अब तक जो लोग ठहरे हैं उनसे कुल कितनी आमदनी हुई है ?

श्री धर्मसिंह--आफिसर्स रेस्ट हाउस पर स्थायी तौर पर प्रतिमास खर्च ३७५ रुपये हैं। अब तक इससे कुल आमदनी २,२३७ रुपये हुई।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आफिसर्स रेस्ट हाउस खुलने के पहले यहां के आफिसर्स कहां ठहरा करते थे ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जो साहबान लखनऊ आते थे उनके यहां ठहरने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं था। कहीं होटल वगैरह में जहां कहीं उनको जगह मिली, वहां ठहर जाते थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेट गेस्ट हाउस खुलने के पहले लोग कहां ठहरा करते थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैंने अर्ज किया कि कोई ठहरने की जगह थी नहीं, जहां कहीं किसी गरीब को जगह मिली .....

श्री अध्यक्ष--वह सरकारी गेस्ट जो आते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वही जवाब उनके लिये भी है मेरा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि सरकारी गेस्ट हाउस खुलने के पहले राज्य के गेस्ट कार्लटन होटल में ठहरा करते थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वहां भी ठहरते होंगे जरूर।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि स्टेट गेस्ट हाउस में प्रबन्ध होने के बाद भी सरकार को मालूम है कि कार्लटन होटल में उनके खाने का प्रबन्ध किया गया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर चूंकि गेस्ट हाउस अभी खुला है और उसके मुताल्लिक पूरे मालूमात भी नहीं है तो यह मुमकिन है कि किसी दिन जरूरत पड़ गयी हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी इन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि गेस्ट हाउस और आफिसर्स रेस्ट हाउस अलग-अलग क्यों खोले गये, एक ही से काम क्यों नहीं चल सकता ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आफिसर्स रेस्ट हाउस की तो खबर सबको है कि वहां सब लोग किराये पर रहते हैं। गेस्ट हाउस उन लोगों के ठहरने के लिये है कि जिनसे किराया लेना मकसूद नहीं है और उनकी मेहमानदारी हमको करना है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय विरा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस का इसमें जिक्र आया है वह सरकार ने खरीदे हैं, अथवा किराये पर लिये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जहां तक गेस्ट हाउस का ताल्लुक है वह तो एक मकान किराये पर लिया गया है और रेस्ट हाउस तो पहले से गवर्नमेंट के बने हुए होते हैं जहां अफसर ठहरा करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो और लोग भी ठहर जाते हैं। उनसे किराया लिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिसके कारण यह आफिसर्स रेस्ट हाउस घाटे पर चलाया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---घाटे पर तो नहीं चलाया जा रहा है बल्कि उनसे किराया इत्यादि लिया जाता है और जो कुछ उस पर खर्च होता है और जो कुछ आमदनी हुई है उसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार यह बतायेगी कि रेस्ट हाउस का इन्तजाम करने के लिये कोई अलग से केयरटेकर नियुक्त किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, रखा गया है।

बस्ती जिले की खलीलाबाद शुगर फैक्टरी को बड़ौत, जिला मेरठ में ले जाने की तजवीज को केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकृति

****४---श्री वीरेन्द्र वर्मा**---क्या प्रदेशीय सरकार ने प्रदेश के एक भाग से हटा कर दूसरे भाग पर किसी शुगर मिल को भेजने की सिफारिश १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार को थी ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---जी हां।

****५---श्री विरेन्द्र वर्मा**---यदि हां, तो किस-किस शुगर मिल को और किस-किस स्थान के लिये तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या स्वीकृति दी ?

श्री रऊफ जाफरी---१९५६-५७ में बस्ती जिले की खलीलाबाद शुगर फैक्टरी को शिफ्ट कर के बड़ौत, जिला मेरठ ले जाने के लिये सिफारिश की गई थी परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उसकी मंजूरी नहीं दी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो उनकी सिफारिश को नामंजूर किया है तो क्या उन्होंने उसके लिये कोई कारण भी दिये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, उन्होंने यह कहा कि सन् ५५ में भी खलीलाबाद फैक्टरी ने शिफ्ट होने के लिये दरख्वास्त दी थी लेकिन बाद में उन्होंने उस को विदड्रा कर लिया और कहा कि वहां डेवलपमेंट की वजह से काफी गन्ना मिलने लगा है। फिर उन्होंने जो शिफ्ट होने के लिये दरख्वास्त दी तो केन्द्रीय सरकार ने अपना एक आदमी भेजा। उसने वहां जा कर देखा और उसके बाद उस को भी यही राय हुई कि वहां के किसानों को बहुत तकलीफ होगी और इम्प्रूवमेंट से वहां गन्ना काफ़ी हो सकता है, इस वजह से उन्होंने नामंजूर किया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद शुगर फ़ैक्टरी को शिफ्ट करने की सिफारिश जब केन्द्रीय सरकार को प्रदेशीय सरकार से की गयी थी उस के बाद भी कोई और शुगर फ़ैक्टरी को शिफ्ट करने की सिफ़ारिश उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को करने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—उसके बाद एक तो यही है कि पलिया में गोला फ़ैक्टरी के पास आइडिल प्लान्ट है, उसको वहां पर स्थापित करने के लिये हम सिफारिश करने जा रहे हैं।

रिहन्द योजना से अल्मुनियम फैक्टरी को बिजली देने की दर तथा ट्रान्समिशन लाइन्स का अनुमानित व्यय

****६—श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द योजना में एक किलोवाट बिजली के पैदा करने में क्या अनुमानित लागत आयेगी ?

श्री धर्मसिंह—रिहन्द योजना से बिजली पैदा करने की अनुमानित लागत का तखमीना लगाया जा रहा है।

****७—श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द योजना में ट्रान्समिशन लाइंस की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

श्री धर्मसिंह—रिहन्द योजना में मुख्य तथा सहायक ट्रान्समिशन लाइन्स की अनुमानित लागत लगभग १६.२१ करोड़ रुपये है।

****८—श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मुनियम फैक्टरी को किस दर से बिजली दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह—यह दर अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि रिहन्द योजना की कुल लागत कितनी है और उससे कितने किलोवाट बिजली पैदा होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी लागत लगी नहीं है लेकिन उसका अन्दाजा है तकरीबन ४५ करोड़ रुपये के और उसमें ढाई लाख किलोवाट बिजली की इंस्टाल्ड कैपेसिटी होगी।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—उत्तर यह है कि यह दर सरकार के विचाराधीन है, तो क्या उसमें कोई कोटेशन दिया गया था ? यदि हां तो वह क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर कोटेशन देने से उनका मतलब यह है कि किसी से तय किया गया था कि किस कीमत पर बिजली दी जायगी तो वह केवल अंदाजे की बात है। यह कोई पक्की कीमत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मुनियम फैक्टरी वालों ने कितनी बिजली मांगी है और किस दर पर मांकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अल्मुनियम फैक्ट्री वालों ने २० हजार किलोवाट बिजली मांगी है। दर अभी तय नहीं है। यह तो निगोशियेशन की बात है। इसके बाद तय होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मुनियम फैक्टरी के प्रोप्राइटर ने कंसेशनल रेट पर बिजली मांगी है ? यदि हां, तो वह कितने पर ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जब निगोशियेशन की बात है तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियट एसोशियेशन का असरकारी प्रेसीडेंट न होने के सम्बन्ध में आदेश

**९---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि अब यू० पी० सिविल सेक्रेटेरियट एसोशियेशन का प्रेसीडेन्ट कोई गैर-सरकारी आदमी नहीं रह सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां। उस नियम की जिसके अनुसार कि उक्त आदेश हुए है एक प्रति नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९१ पर)

सर्वश्री रामस्वरूप वर्मा तथा देवीप्रसाद मिश्र को दारुलशफा में कमरा अलाट करने के सम्बन्ध में जानकारी

**१०---श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा के सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा और श्री देवीप्रसाद मिश्र को कमरा एलाट किये जाने की सम्मिलित दरख्वास्त पर अब तक क्यों नहीं विचार किया गया ? उक्त सम्बन्ध में कब-कब उपरोक्त सदस्यों ने आवेदन-पत्र भेजे थे ?

श्री धर्मसिंह---इस दरख्वास्त पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में ३ आवेदन-पत्र दिनांक ६ सितम्बर, ९ नवम्बर तथा १० दिसम्बर, १९५७ को प्राप्त हुए थे।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या सरकार बतायेगी कि विचार का परिणाम क्या था ?

श्री धर्मसिंह---यह हुआ कि एलाटमेंट नहीं हो पाया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों सदस्यों के प्रार्थना-पत्र रूम नं० ३९-बी के लिये प्राप्त हुआ था ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि किस रूम के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इन सदस्यों के लिये दूसरा प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह प्रश्न विचाराधीन है। लेकिन माननीय सदस्य की सूचना के लिये यह बताना आवश्यक समझता हूं कि जहां तक रामस्वरूप वर्मा जी और देवी प्रसाद मिश्र जी का सम्बन्ध है, उनको कमरे मिले हुए हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० दिसम्बर की दरख्वास्त में इन दोनों सदस्यों ने ३९-बी की मांग की थी ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमरा इन दोनों सदस्यों को एलाट न कर के किसी तीसरे सदस्य को अकेले दे दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---इस कमरे का मसला लेजिस्लेचर ऐडवाइजरी कमेटी के समक्ष दो बार गया और उसने विचार करके यह निर्णय दिया कि जिनके पास कोई कमरा नहीं है, उनको दिया जाय। इसलिये इनका प्रश्न इसलिये नहीं उठा कि माननीय रामस्वरूप जी वर्मा, टीकाराम जी के साथ नये ब्लाक में ८१ में थे और देवीप्रसाद जी ९७-बी में मोतीलाल जी अवस्थी के साथ थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३९-बी कमरा ऐडवाइजरी कमेटी के आदेशानुसार जिसको अलाट किया गया उसके पास पहले से कमरा नहीं था ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। देखना पड़ेगा कि पहले से उनके पास कमरा था या नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि ३९-बी नम्बर के कमरे के लिये पहले वादा किया गया था कि वह श्री रामस्वरूप वर्मा और देवी प्रसाद जी मिश्र को मिलेगा और वादा करने के बाद वित्त मन्त्री हाफिज साहब के इन्टरफियरेन्स से वह कमरा दूसरे को दे दिया गया जिसकी शिकायत हमने लिखित रूप में माननीय मंत्री जी से की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कौन सी शिकायत हुई और कौन एलाटमेंट हुआ यह तो उनके दरमियान की बात है। यह बतला दिया गया कि पहले जो ऐडवाइजरी कमेटी थी वह अलाटमेंट नहीं करती थी। गवर्नमेंट ने उस काम को भी उनके सिपुर्द कर दिया और उसकी तरफ से वह होने लगा।

जौनपुर जिले में मालगुजारी में छूट

****११---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जौनपुर जिले से कलेक्टर ने खरीफ १३६४ फसली में लगान में कितनी छूट देने के लिये रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--- जौनपुर के जिलाधीश ने खरीफ १३६४ फसली में मालगुजारी में २,२९,३९७ रुपये १० आने की छूट देने की सिफारिश की थी। इसमें से उन ग्रामों के लिये जिनमें क्षति रुपये में ८ आने से अधिक थी शासन ने मालगुजारी में २,२२,६५ रुपये ११ आने की छूट की मंजूरी दे दी है। शेष ६,७४५ रुपये १५ आने की छूट की सिफारिश जिलाधीश ने उन ग्रामों के लिये की थी जिनमें क्षति रुपये में ६ आने से अधिक किन्तु ८ आने से कम थी। इन ग्रामों में मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

गंगा-खादर किसान-संघ की मांग

****१२---श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास गंगा-खादर किसान-संघ की यह मांग आई है कि गंगा-खादर उपनिवेशन-योजना के असफल हो जाने के कारण वहां बसाये गये २,००० परिवारों को अन्यत्र बसाया जाय ?

श्री चरणसिंह---जी हां।

****१३---श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मांग के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि गंगा-खादर उपनिवेशन-योजना में हजारों एकड़ जमीन नई आबाद की गई है जिसको हर साल गंगा की बाढ़ प्लावित कर देती और हर साल सरकार को लाखों रुपया छूट, तकावी और लोन का काश्तकारों को वहां पर देना पड़ता है जो बसाये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---बाढ़ हर साल तो नहीं आती कभी-कभी आती है और जब आती है तब भी सारे इलाके में नहीं आती। इसलिये लाखों रुपया या बड़ी रकम की छूट की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि उस गंगा-खादर की योजना में जो किसान बसाये गये हैं वह अपने को इस आपदग्रस्त स्थिति में देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि प्रतिवर्ष उनको सारी फसल बरबाद हो जाती है वह प्रधान मन्त्री से मिलने के लिये इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस समय मेरठ जिले के किसी गांव में उनका कैम्प लगा हुआ है ?

श्री चरणसिंह---कैम्प की बात तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वे सब मेरठ जिले में ही रहते हैं। लेकिन यह मुझे मालूम है कि वह वहां जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो जांच वह कर रहे हैं क्या उसके लिये कोई जांच कमेटी बिठायी है या कौन जांच कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, कोई कमेटी नहीं बिठायी है। वह कई बार आकर मुझसे मिल चुके हैं। उनके मसले पर कई बार विचार हो चुका है। उसकी तफसील में इस वक्त जाया नहीं जा सकता। उनसे यह कहा गया कि इतने आदमियों को वहां पर बसाया जा सकता है लेकिन वह नहीं माने। वह चाहते हैं कि एक जगह हम सबको बसाया जाय। यह नामुमकिन है और हम उनके लिये क्या कर सकते हैं इस बात पर विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दूसरी जो बसाने की योजना उनके सामने रखी वह क्या थी ?

श्री चरणसिंह---उन सब को बसाने का सवाल नहीं है। वह कुल २ हजार आदमी हैं। ३२६ आदमियों को जमीन में बाढ़ आई है। सन् १९५६ में उनको बसाने के लिये हमने कोशिश की थी और देखा कि तराई और भावर में इतनी जमीन है या नहीं लेकिन उतनी जमीन नहीं थी। वे लोग चाहते हैं कि एक जगह सब बसाये जायं। वहां पर ९९ आदमियों के लिये बसने की जगह थी। उन लोगों ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिये तो फिर वह दूसरों को दे दी। ४३ आदमियों के बसने की फिर वहां जगह हुई लेकिन उस के लिये भी उन्होंने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। अब आगे और क्या इस सिलसिले में हो यह हमारे सामने प्रश्न है। जैसा वह चाहते हैं कि सब आदमियों को एक जगह बसा दिया जाय यह हमारे लिये नामुमकिन है।

वित्त मंत्री द्वारा १७ मार्च, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में खादी केन्द्रों के कार्यकर्त्ताओं को प्रतिमास वेतन न मिलना

*१---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री आजमगढ़ जिले के राजकीय खादी केन्द्रों पर काम करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में २-९-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय खादी केन्द्रों पर काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं का वेतन इतना कम क्यों है तथा ५, ६ मास का बाकी क्यों रहता है ?

श्री रऊफ जाफरी---स्थानीय कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते बल्कि वे खादी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं। इन कर्मचारियों के लिये ३५ रुपया मासिक दर से वेतन का अनुदान सरकार द्वारा खादी संस्थाओं को वर्ष में दो बार दिया जाता है। वेतन का भुगतान वे संस्थाएं स्वयं करती हैं।

*२---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा एवं कताई-बुनाई की योग्यता क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--स्थानीय कार्यकर्ता मामूली पढ़े लिखे होते हैं । वे खादी संस्थाओं में बुनाई एवं कताई का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये होते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ महीने में एक बार अनुदान देने का क्या कारण है और यह अनुदान हर महीने क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री रऊफ जाफरी--हिसाब किताब रखने में आसानी होती है कि सरकार दो दफा दे दे । उम्मीद यह की जाती है कि संस्थायें उनको महीने-महीने तनख्वाह दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि ६ महीने बाद अनुदान मिलने के कारण ही खादी संस्थायें उनको हर छठे महीने तनख्वाह देती हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--यह समझ में नहीं आता कि वह हर महीने क्यों नहीं तनख्वाह दे सकती और इसकी जांच की जा रही है कि क्यों माह-ब-माह वह तनख्वाह नहीं देतीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार गंभीरतापूर्वक सोचेगी कि खादी कार्यकर्ताओं को हर माह तनख्वाह मिल सके इसलिये सरकार उनको हर माह ग्रान्ट दे ?

श्री रऊफ जाफरी--जवाब में कहा गया कि देखा जा रहा है और ऐसी कोशिश की जायगी कि उनको महीने-महीने तनख्वाह मिलने लगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५ महीने की तनख्वाह बाकी रहने की कोई शिकायत उनके पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--जवाब में कहा गया है कि यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और इसलिये अगर शिकायत आयी भी होगी तो उन संस्थाओं के पास आयी होगी जिनके कि वह कार्यकर्ता हैं ।

* * *

*५-६--**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--[३१ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

* * *

विधायक निवास के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को गर्मी की वर्दी न मिलना

*२९--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या वित्त मंत्री विधायक निवास के कर्मचारियों को वर्दी देने की योजना के सम्बन्ध में २९-७-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधायक निवासों के कर्मचारियों को १९५७ की गर्मी में वर्दी प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--विधायक निवासों के निम्न श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों को १९५७ की गर्मी में वर्दी नहीं दी गई क्योंकि वर्दी के सम्बन्ध में सरकारी आदेश सितम्बर, १९५७ में जारी हुए । उक्त कर्मचारियों को इस साल की गर्मी में वर्दी दी जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २९-७-५७ को माननीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया था कि इस गर्मी के महीने में उनको गर्मी की वर्दी दी जायगी ? यदि उस समय वर्दी नहीं दी गयी तो उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--यह देखना पड़ेगा कि इस तरह का आश्वासन दिया गया था । लेकिन अगर दिया गया था तो उसके लिये प्रयत्न किया गया और कोशिश की गयी कि उसी समय वर्दी दी जाय, लेकिन किन्हीं कारणों से उस वक्त यह संभव नहीं हो सका ।

सरकारी खर्चे में बचत के लिये उपाय

*३०–श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत बजट भाषण में संकेत किये गये "इकानामी मेजर" में कौन-कौन से बचत के कदम सरकार ने अब तक उठाये ?

श्री धर्मसिंह––सरकार ने बचत के जो कदम अब तक उठाये हैं उनकी एक सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९२–७९३ पर)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सारे मेजर्स के लेने से कुल कितनी बचत हुई और क्रम संख्या २ और ४ के लिये जो कदम उठाये गये उनके कारण कितनी बचत हुई ?

श्री धर्मसिंह––अनुमान किया जाता है कि कुल ७७ लाख रुपये के करीब बचत होगी । क्रम संख्या २ में ६७ हजार रुपये और क्रम संख्या ४ में ९३ हजार रुपये की बचत होगी ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल––क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इकानामी कमेटी बैठी थी उसने कितनी बचत का अनुमान किया था और उसमें क्या मेजर्स और लेने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष––आपका प्रश्न बहुत लम्बा है । आप संक्षेप में सवाल करें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इकानामी कमेटी सरकार द्वारा बैठायी गयी थी उसने कितनी बचत होने का अनुमान किया था ?

श्री धर्मसिंह––उसके बारे में अभी बतलाना उपयुक्त नहीं है चूंकि वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

* * * *

मऊ पावर हाउस की इमारत कमजोर होने की शिकायत

*३३––श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मऊ पावर हाउस के निर्माण में कुल व्यय ११५.० लाख रुपया हुआ है ।

*३४––श्री ऊदल (अनुपस्थित)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जब विद्युत गृह के दोनों टर्बाइन चलते रहते हैं तो पावर हाउस हिलने लगता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––ऐसा नहीं है ।

*३५––श्री ऊदल (अनुपस्थित)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रोटोज कम्पनी वालों ने सरकार को पावर हाउस के हिलने की कोई सूचना दी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––प्रश्न नहीं उठता ।

* * * *

बरेली जिले के गन्ना केन्द्र देवरनियां पर किसानों को गन्ने का मूल्य कम देने की शिकायत

*४५--श्री बाबूराम (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेन्टर देवरनियां, जिला बरेली के किसानों को १९५६-५७ में गन्ने की कीमत एक रुपया चार आना दी गई जब कि गन्ने की कीमत एक रुपया पांच आना थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१९५६-५७ सीजन में बरेली जिले के देवरनियां सेंटर पर गन्ने का मूल्य नियमानुसार ढुलाई का व्यय तथा कटौती को ध्यान में रखते हुये किसानों को भुगतान किया गया है ।

* * *

कालपी, जिला जालौन में कागज के व्यवसाय के लिये सहायता

*४७--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालपी, जिला जालौन में हाथ से कागज बनने के व्यवसाय में सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९४ पर)

* * *

बीड़ी उद्योग को रोकने का सुझाव

*५३--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में बीड़ी के उद्योग-धन्धों को रोकने के बारे में कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 'जी नहीं' का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी--कोई ठोस कदम नहीं उठाया जायगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय--बीड़ी के निर्यात से सरकार को प्रति वर्ष कितनी आमदनी होती है और प्रदेश के बाहर कहां-कहां निर्यात होता है ?

श्री रऊफ जाफरी--नोटिस की आवश्यकता है ।

* * *

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी की इमारत के लिये ईंटों का ठेका

*५८--श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी जो प्रदेश में नई बनने जा रही है उसकी इमारत के लिये ईंट सप्लाई करने का ठेका किसे दिया गया है और कितने टन कोयला प्रति लाख ईंट फूंकने के लिये दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी की इमारत के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री दास को ईंटा सप्लाई करने का ठेका और २० टन कोयला प्रति लाख ईंट फूंकने के लिये दिया गया है ।

* * *

फतेहपुर जिले में खुलने वाले उद्योग धंधों की योजना

*६०—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में कौन-कौन उद्योग धन्धे कहां-कहां और कब तक सरकार का खोलने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी—दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में चर्म उद्योग, गुड़ उद्योग, हथकरघा उद्योग तथा खादी उद्योग के विकास का आयोजन है। समय और स्थान के बारे में इस योजना के आगामी वर्षों के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समय और स्थान के बारे में कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—जल्द से जल्द कोशिश की जायगी। बात यह है कि इसमें पहले यह देखा जाता है कि कहां लोग उस उद्योग को चलाने के लिये कार्फ मिल सकते हैं, कहां कोआपरेटिव बन सकती है, कहां ट्रेनिंग के आदमी मिल सकते है वगैरह।

श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)—इसका क्या कारण है कि अभी कुछ काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—फतेहपुर में एक सेन्टर खुल चुका है।

गोला शुगर फैक्टरी के आइडिल प्लान्ट को पलिया, जिला लखीमपुर में लगाने की योजना

*६१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या लखीमपुर जिले के पलिया ग्राम में शुगर फैक्टरी बनने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं, खीरी जिले के गोला शुगर फैक्टरी के मालिक अपने आइडिल प्लान्ट को पलिया में लगाने के लिये ले जाना चाहते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि वहां के गन्ना उत्पादकों से प्रति वर्ष कुछ रुपया इस आश्वासन पर काटा जा रहा है कि सरकार वहां एक मिल बहुत जल्द खोल देगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, एक कमेटी यह विचार करने के लिये बैठाई गई थी कि कहां कहां कोआपरेटिव फैक्टरी बनाई जावें ? उसकी फेहरिस्त में पलिया का भी नाम था और वहां के किसानों ने कुछ रुपया कटवाना भी शुरू किया। लेकिन जैसा माननीय सदस्यों को भी मालूम है, फारेन एक्सचेन्ज की कमी होने से मशीनरी ४ फैक्ट्रियों के लिये भी मिलनी कठिन है। किसानों ने खुद ही, वहां की सोसायटी ने और मिल मालिक ने मिलकर यह तय किया कि उनका आइडिल प्लान्ट वहां लगा दिया जाय और उसकी सिफारिश हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि वहां फैक्टरी लगने के उद्देश्य से २० लाख रुपये के लगभग जमा हो चुका है और बाकी रुपया गन्ना उत्पादक गन्ने की कीमत से देने के लिये तैयार हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, मुमकिन है कि वे और रुपया भी जमा कर लें लेकिन वह फारेन एक्सचेन्ज की जगह तो नहीं ले सकता।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार गोला के आइडिल प्लान्ट को मझोला भेजने की सोच रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतावेगी कि आखिर पलिया क्षेत्र में इस बढ़ते हुये गन्ने के लिये कौन सा सुधार किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—उसके लिये वहां कोई आइडिल प्लान्ट, १,००० टन का लगा दिया जाय और खुद गोला फैक्टरी की भी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है । दोनों इस्तेमाल कर लेंगी ।

* * * *

इटावा जिले की इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटियों को अनुदान

*६५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितनी इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और उनको सरकार ने सन् १९५७ में कितना-कितना रुपया अनुदान दिया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इटावा जिले में ६२ रजिस्टर्ड औद्योगिक सहकारी समितियां हैं । इनमें से जिन समितियों को १९५७ में जो अनुदान दिया गया उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९५ पर)

मथुरा जिले में कोसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली की दर बढ़ाना

*६६—श्री रामहेत सिंह (जिला मथरा)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोसी नगरपालिका, जिला मथुरा में बिजली के रेट बढ़ाकर डेढ़ गुने किये जा रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, कोसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने दिसम्बर, १९५७ से रोशनी तथा पंखे के लिये बिजली का रेट बढ़ा दिया है ।

श्री रामहेतसिंह—क्या यह सही है कि इस बढ़े हुये रेट के फलस्वरूप कोसी के सभी बिजली लेने वालों ने अपने-अपने कनेक्शन कटवा दिये हैं ?

श्री धर्मसिंह—कुछ लोगों ने कटवा दिये हैं ।

श्री रामहेत सिंह—कोसी नगरपालिका को हाइड्रो-इलेक्ट्रिक देने के लिये अब तक सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार के कदम उठाने का प्रश्न नहीं है । लाइसेन्स ही जब समाप्त नहीं होगा तो नगरपालिका के कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

* * * *

*६९-७०—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

* * * *

विधायक निवासों के कर्मचारियों को छुट्टियां एवं कम्बल

*७६--श्री गोविन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों में नियुक्त कर्मचारियों को साल में कितनी छुटिट्यां मिलती हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--विधायक निवासों के उन कर्मचारियों को त्योहारों पर छुट्टी दी जाती हैं जिनका वह त्योहार हो ।

*७७--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (अनुपस्थित)--क्या विधायक निवास के कर्मचारियों को पहले कम्बल मिलते थे और क्या वे अब भी मिलते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--विधायक निवासों के निम्न श्रेणी के स्थायी कर्मचारियों को कम्बल का मिलना १९५७-५८ के जाड़ों से शुरू हुआ है ।

* * * *

गुड़ विकास योजना के कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*८३--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुड़ विकास योजना इस राज्य में कितने सालों से चल रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--लगभग १० साल से ।

*८४--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेगी जो गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही या दस साल से कार्य कर रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--लगभग तीस ।

*८५--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को स्थायी करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गुड़ विकास योजना अभी अस्थायी है, अतः उसके अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सजीवनलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गुड़ विकास योजना भी इसमें शामिल है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में गुड़ विकास योजना की अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसका पूरा ब्यौरा तो इस वक्त दिया नहीं जा सकता है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि काफी तरक्की हुई है । तमाम जिले में गुड़ का काम हो रहा है और वहां अच्छे गुड़ बन रहे हैं । लेकिन इसका पूरा ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों को गुड़ विकास योजना में १० वर्ष काम करते हो गये, उनको स्थायी करने के लिये और कितना समय सरकार लेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो नहीं कहा जा सकता है कि कितना समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर कोई न कोई निर्णय हो जायगा ।

चीनी मिलों पर गन्ना-मूल्य और सोसाइटियों के कमीशन का बकाया

*८७--**श्री केशभान राय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्षों का कितना गन्ना मूल्य और सोसाइटियों का कमीशन आदि अब तक चीनी मिलों के जिम्मे बाकी है और उसकी वसूली की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--इस प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गत वर्षों का गन्ना मूल्य और सोसाइटी कमीशन क्रमशः १६.३३ लाख और ७.३८ लाख रुपया भुगतान नहीं किया गया है और उसकी वसूली के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७(४) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

श्री केशभान राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन मिलों के ऊपर एक लाख से अधिक रुपया बाकी है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो फेहरिस्त बहुत लम्बी है, इसलिये इसका पूरा पढ़ना जरा अच्छा नहीं होगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी उन दो चार मिलों के ही नाम बतलायेंगे जिनके ऊपर एक लाख से ऊपर रुपया बाकी है ?

श्री रऊफ जाफरी--एक लाख से ऊपर जिनके ऊपर बाकी है उनमें से एक तो है इकबालपुर मिल, जिसके ऊपर २ लाख ३१ हजार रुपया बकाया है, एक है अमरोहा मिल इसकी फेहरिस्त लम्बी है और तलाश में काफी वक्त लगेगा, इसलिये माननीय सदस्य यदि चाहें तो मेरे यहां आफिस में आकर देख सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि पीलीभीत मिल पर तेरह लाख रुपया केन सेस का बकाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो गन्ने का मूल्य और सोसाइटी के कमीशन का सवाल है, और आप सरकार के रुपये के लिये पूछ रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत फैक्ट्री पर १३ लाख रुपया बकाया है ?

श्री रऊफ जाफरी--१३ लाख रुपया तो किसी के ऊपर बकाया है नहीं, ऐसे मैं देख रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह--पीलीभीत फैक्ट्री के ऊपर डेढ़ लाख रुपया बकाया है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, डेढ़ लाख रुपया बकाया है।

*८८--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

* * * *

हरदोई जिले के कुछ परगनों में बिजली ले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*९०--**श्री हरिहरबख्श सिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हाइड्रोकलि एलेक्ट्रिक स्कीम जिला हरदोई के पाली पछोहा, बरवन, काटियारी परगनों में भी ले जाने की है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। ये परगने ११ के० बी० लाइन से बहुत दूर हैं।

* * * *

टेहरी गढ़वाल जिले में फल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत कार्य

*९२--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पहाड़ी जिलों के लिये सरकार द्वारा कोई फल संरक्षण विभाग (Fruit Utilization Department) खोला गया है? यदि हां, तो उस विभाग द्वारा जिला टेहरी गढ़वाल में आज तक क्या क्या कार्य किये गये हैं और उनका आज तक ब्योरेवार क्या खर्च है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, जिला टेहरी गढ़वाल में फल संरक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्यों और उन पर व्यय के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

कानपुर जिले की घाटमपुर सब-ट्रेजरी में गबन

*९३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि घाटमपुर तहसील सब-ट्रेजरी (कानपुर) में कुछ गबन हो गया है? यदि हां, तो कितने रुपयों का तथा कितने समय के दर्मियान में हुआ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। १४,५७७.७१ रुपये का गबन हुआ है। यह गबन २१-१२-५७ को हुआ है।

*९४--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त समय में कितनी मर्तबा तथा किस-किस ने हिसाब का आडिट किया था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कुल गबन एक ही दिन में हुआ। उस दिन गबन से पूर्व किसी ने हिसाब का आडिट नहीं किया।

बिजली कम्पनियों द्वारा अधिक लाभ उठाने की शिकायत

*९५--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या विद्युत् मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि बिजली कम्पनियां सन् १९५६ के संशोधित इंडियन विद्युत सप्लाई ऐक्ट की अवहेलना स्वरूप अधिक मुनाफा उठा रही हैं? यदि हां, तो क्या विद्युत् मंत्री उक्त कम्पनियों के व्यय की जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५६ (Electricity (Supply) Amendment Act, 1956) की वह धारा जो प्राइवेट बिजली कम्पनियों के लाभ को निर्धारित करती है १ अप्रैल, १९५७ से लागू हुई है। इसके अनुसार तैयार किये हुए वार्षिक लेखे सरकार के पास भेजने की तिथि ३० सितम्बर, १९५८ तक है। अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि कौन-कौन सी कम्पनियां सन् ५६ के एलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट ऐक्ट की अवहेलना स्वरूप अधिक लाभ उठा रही हैं।

राजकीय प्रेस, लखनऊ के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना

*९६—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय प्रेस वर्कर्स यूनियन, लखनऊ ने गत वर्ष (१९५६ में) सरकार के पास वेतन संबंधी कोई मांग पत्र भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, लखनऊ के गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों की ओर से एक स्मृतिपत्र दिनांक २४-८-१९५६ का सरकार को प्राप्त हुआ था जिसमें वेतन संबंधी मांग भी सम्मिलित थी। सरकार ने उक्त मांग पर विचार के पश्चात् मार्च, १९५७ में १७ विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के वेतन, जो कम पाये गये और जिनका कार्यभार अधिक था, बढ़ा दिये हैं।

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ की सिफारिश

*९७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उद्योग अधिकारी ने जिला आजमगढ़ में कुछ उद्योग-धंधों को विकसित करने के लिये कोई अनुदान मांगा है और किन-किन उद्योगों को प्रोत्साहित करने का आयोजन इस समय जिले में किया गया है?

श्री रऊफ जाफरी—जिला उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ ने स्वयं कोई अनुदान नहीं मांगा। लेकिन उन्होंने उस जिले में कुछ उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये आर्थिक सहायता की सिफारिश की।

इस समय जिला आजमगढ़ में निम्नलिखित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लोहा उद्योग, लकड़ी उद्योग, साबुन उद्योग, चर्म उद्योग, सिलाई उद्योग, गुड़ उद्योग, पात्रकला उद्योग, दियासलाई उद्योग, खादी उद्योग, हस्तकरघा उद्योग और चर्मशोधन उद्योग।

श्री विश्रामराय—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी ने किन उद्योगों के लिये सिफारिश की है और कितने रुपये की?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी उन्होंने बता दिया।

* * *

देवरिया जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत चालू होने वाले उद्योगों की जानकारी

*१०१—श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देवरिया जिले में कौन कौन कुटीर उद्योग तथा कौन-कौन बड़े उद्योग प्रारम्भ होने वाले हैं?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म उद्योग, अरन्डी उद्योग, गुड़ उद्योग, हथकरघा उद्योग तथा अम्बर चर्खा पर सूत कताई उद्योग।

उक्त सब उद्योग कुटीर उद्योग हैं। सरकार द्वारा किसी बड़े उद्योग को खोलने का आयोजन उक्त जिले में नहीं है।

श्री रामायण राय—प्रश्न का उत्तर गलत है, जिन उद्योगों की मंत्री जी ने चर्चा की है यह उद्योग वह नहीं हैं जिनको आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने जा रहे हैं, वे तो पहले से ही चल रहे हैं, मैंने पूछा था कि अब आगे कौन प्रारम्भ होने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—तो आप फिर से प्रश्न पूछें।

श्री रामायण राय--क्या कोई औद्योगिक विकास सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो उस की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--अभी रिपोर्ट नहीं आई है।

* * *

बशीरतगंज, लखनऊ में मध्यवर्गीय गृह-निर्माण योजनान्तर्गत निर्मित गृहों के किरायेदारों को छूट न मिलने की शिकायत

*१०७--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बशीरतगंज में मध्यवर्गीय गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत पी० डब्लू०डी० द्वारा बने हुये क्वार्टर्स के किराये के साथ-साथ दिसम्बर मास में कुछ ऐलाटीज से कई कई मास का रिबेट भी लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--मध्यवर्गीय गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत बने मकानों के आवंटन के नियमों के अनुसार यदि इन मकानों का किराया अगले माह की १० तारीख तक अदा हो जाता है तो किराये की धनराशि पर १ आना ६ पाई प्रति रुपया छूट (Rebate) दी जाती है। लेकिन उन किरायेदारों को जिन पर किसी भी माह का किराया बाकी होता है कोई छूट (Rebate) नहीं दी जाती है। जिन लोगों ने अक्तूबर माह या उससे पहले का किराया नवम्बर माह में जमा नहीं किया उनसे दिसम्बर माह में पिछले दोनों महीनों का किराया लिया गया और उन्हें किसी प्रकार की छूट (Rebate) नहीं दी गई।

*१०८--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो रिबेट का रुपया ऐलाटी से लिया गया है उसको किराये में एडजस्ट कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ अलाटीज ऐसे थे कि जिन से दस मास का किराया लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह--उसके लिये नोटिस चाहिये, मेरे पास वह फेहरिस्त नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम १७९(४) की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें है कि "shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House."

माननीय मुख्य मंत्री जी कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसका संबंध तात्कालिक विषय से नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि फाइल पढ़ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब कुछ अलाटीज पर पिछले मासों का किराया बाकी था लेकिन फिर भी रिबेट काटकर किराया क्यों लिया जाता रहा ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि मैंने बताया जिन्होंने पिछला किराया नहीं दिया उन पर किसी प्रकार का रिबेट नहीं काटा गया।

* * *

मंझोला चीनी मिल बनने के लिये गन्ना उत्पादकों की कटौती की रकम

*१११--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मझोला शुगर फैक्ट्री का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी---मंझोला शुगर फैक्ट्री का निर्माण कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत पूरा हो जाने का अन्दाजा किया जाता है।

*११२---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्ट्री के हिस्से खरीदने के लिये गत वर्षों में कितने गन्ना उत्पादकों का एक आना मन कटौती में काटा गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---कुल १३,३०३ गन्ना उत्पादकों ने सदस्य की हैसियत से एक आना मन कटौती में दिया।

*११३---श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रकार काटा गया रुपया कितना है और कहां जमा है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस प्रकार कटौती द्वारा जमा किया गया कुल रुपया ८,४८,५८८.४० नया पैसा निम्नलिखित बैंकों में जमा है---

१---पंजाब नेशनल बैंक, पीलीभीत,

२---कोआपरेटिव बैंक, पीलीभीत,

३---सेविंग बैंक एकाउंट, कोआपरेटिव बैंक, पीलीभीत।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने का अनुग्रह करेंगे कि गन्ना उत्पादकों की एक आना मन कटौती कौन से सन् में काटी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी---यह कब से काटी गयी इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया काटा गया वह रुपया कुछ काश्तकारों को वापस भी किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---इस वक्त मेरे पास यह सूचना तो मौजूद नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस शुगर फैक्ट्री ने अब तक क्या प्रगति की है ?

श्री अध्यक्ष---(श्री रऊफ जाफरी के खड़े होने पर) मैं इसको मंजूर नहीं कर रहा था। अगर कोई सूचना देने के लिये आप स्वयं तैयार हैं तो दे दें।

श्री रऊफ जाफरी---अभी मंझोला का काम, चूंकि साइट वगैरह के मुताल्लिक कुछ बातें थीं इसलिये उसका काम बहुत आगे नहीं बढ़ा। किसी साइट का करीब-करीब फैसला हो गया है और इसके बाद अब काम आगे बढ़ेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंझोला फैक्ट्री के स्थापित करने के लिये केंद्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ?

श्री रऊफ जाफरी---मंझोला फैक्ट्री के लिये चूंकि प्लांट बाहर से मंगाना नहीं है, खयाल यह होता है कि यहीं से, अन्दर ही से एक प्लांट पहुंच जायगा। इसलिये उम्मीद की जाती है कि वहां फैक्ट्री कायम की जा सकेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मंझोला शुगर फैक्ट्री के लिये प्लांट जो हिन्दुस्तान से ही आनेवाला है वह कहां से आने वाला है ?

श्री रऊफ जाफरी---अभी कई फैक्टरियां आयडिल पड़ी हुई ह। इसीलिये कोशिश की जा रही है कि इसमें से किसी को वहां पहुंचाया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो रुपया काटा गया है और आठ लाख के करीब जमा है उसमें से अधिकांश हिस्सा तहसील बीसलपुर का है जो कि पीलीभीत से दक्षिण में वाकय है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह व्यौरा कि किस जगह का ज्यादा रुपया है वह तो इस वक्त मौजूद नहीं है ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार को पता है कि एक आना मन से ज्यादा यानी दो आने मन भी कटौती हुई है और वह बीसलपुर साइड की हुई है और अगर हुई है तो वह वापस की जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां। कुछ किसानों की दो आने मन भी कटौती हुई है।

* * * * *

राज्य में सीमेंट का उत्पादन

*११७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में १ अप्रैल सन् १९५६ से ३१ मार्च सन् १९५७ तक अलग-अलग मास में कितना-कितना सीमेंट का उत्पादन हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—

मास			उत्पादन
			टन
अप्रैल, १९५६	..	..	१९,०६३
मई, १९५६	..	..	१५,५२९
जून, १९५६	..	..	१६,९२३
जुलाई, १९५६	..	..	१८,६९८
अगस्त, १९५६	..	..	१७,१०२
सितम्बर, १९५६	..	..	१५,३९८
अक्तूबर, १९५६	..	..	१२,५३८
नवम्बर, १९५६	..	..	१०,९३७
दिसम्बर, १९५६	..	..	१८,९५२
जनवरी, १९५७	..	..	१८,६२९
फरवरी, १९५७	..	..	१५,१२८
मार्च, १९५७	..	..	१७,४५३
		योग	१,९६,३५०

*११८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उद्योग मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उक्त समय में प्रदेश में कितना सीमेंट सरकार द्वारा बाहर से मंगाया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—प्रदेश में १ अप्रैल, १९५६ से ३१, मार्च, १९५७ तक विभिन्न सीमेंट फैक्टरियों से ३,९३,५१५ टन देशी सीमेंट आया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल सन् ५६ में जो आंकड़े दिये हैं १९,०६३ उसके मुकाबिले में अक्तूबर और नवम्बर में जो भारी उत्पादन में कमी हुई है उसके क्या कारण हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—कुछ प्लांट में डिफेक्ट हो गया और जो क्लिन था उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया। इन्हीं सब कारणों से उसमें कमी हुई।

ताप-जनित विद्युत् और जल विद्युत् के विभिन्न प्रयोगों की दरें तथा ५,००० से अधिक आबादी वाले गांवों को बिजली देने के सम्बन्ध में जानकारी

*११९—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ताप जनित विद्युत् और जल-विद्युत् के लाइट, फैन, इन्डस्ट्रियल एण्ड ऐग्रीकलचरल परपजेज के अलग-अलग रेट क्या-क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह—सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७९७ पर)

*१२०—श्री राजेन्द्रदत्त—क्या सरकार ५ हजार से अधिक आबादी के गांवों में अपने खर्चे पर विद्युत् लाइन ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—५,००० से अधिक आबादी वाले केवल उन ही गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है जहां बिजली पहुंचाना टेक्निकल तथा आर्थिक दृष्टिकोण से संभव हो। बिजली पहुंचने का खर्चा सरकार वहन करती है।

*१२१—श्री राजेन्द्रदत्त—प्राइवेट नलकूप पर बिजली देने पर सरकार लाइन का खर्चा किस हिसाब से लेती है ?

श्री धर्मसिंह—प्राइवेट नलकूप पर बिजली देने के लिये लाइन बनवाने में जो खर्च पड़ता है उसका ८ प्रतिशत उपभोक्ता को देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे सर्विस कनेक्शन चार्ज भी देना पड़ता है।

श्री राजेन्द्रदत्त—क्या सरकार जिन गांवों की आबादी ५ हजार से ज्यादा है और जहां पावर के लिये बिजली गई है वहां लाइट और फैन के लिये बिजली अपने खर्चे पर ले जाने के लिये तैयार है ?

श्री धर्मसिंह—जी, उसकी तो प्रत्येक वर्ष कोई लिस्ट बनती है और उसके आधार पर बिजली जाती है।

श्री राजेन्द्रदत्त—यदि सरकार के सामने ऐसे गांव रखे जायं जहां कि बिजली पावर के लिये गई है तो उनमें बिजली पहुंचायेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उन पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

श्री राजेन्द्रदत्त—सरकार ने प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर में यह कहा है कि लाइन का खर्चा लिया जाता है तो यह सालाना लिया जाता है या यकमुश्त ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

* * * * *

बिजली न पाने वाले राजकीय नलकूप

*१२५—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं मिली है ?

श्री धर्मसिंह—८० राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण जनवरी सन् १९५८ के अन्त तक नहीं किया जा सका।

श्री तेजासिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८० नलकूपों में से मेरठ जिले के कितने हैं और उनको कब तक बिजली मिल जायगी ?

श्री धर्मसिंह---मेरठ जिले की मेरे पास फेहरिस्त नहीं है ।

* * * * *

आजमगढ़ जिले की बहादुरगंज टाउन एरिया को मऊनाथ भंजन पावर हाउस से बिजली देने की मांग

*१३२---श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़, कस्बा मऊनाथ भंजन पावर हाउस से कस्बा बहादुरगंज टाउन एरिया को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री रघुवीर राम---क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---इसके बारे में कोई अभी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

* * * * *

*१४१---श्री तेजासिंह---[३१ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

* * * * *

देवरिया जिले में चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*१४९---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं जिन पर गन्ना-किसानों का गन्ने का दाम बाकी है ?

*१५०---कितनी रकम प्रति मिल बाकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---देवरिया जिले की चीनी मिलें जिन पर गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य बाकी है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७९८ पर)

*१५१---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---देवरिया जिले में दो आना कटौती का कितना रुपया मिलों पर बकाया है जो १९४९ से आज तक गन्ना उत्पादकों को नहीं मिला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---देवरिया जिले की चीनी मिलों द्वारा १९४८-४९ सीजन का दो आना कटौती का कोई रुपया गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया जाना शेष नहीं है ।

लखनऊ में दारुलशफा की इमारतों की देखभाल करने वाले अधिकारी

*१५२---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा की इमारतों की देख-रेख के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से कौन-कौन अफसर तैनात हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दारुशलफा की इमारतों की देख-रेख के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किये हैं---

१---श्री बी० डी० गर्ग, अधिशासी अभियन्ता ।
२---श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, सहायक अभियन्ता ।
३---श्री प्रेम चन्द लाल, ओवरसियर ।

*१५३—श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उनके रहने के लिये दारुलशफा में कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम—अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के रहने की कोई व्यवस्था दारुलशफा के अन्दर नहीं है परन्तु ओवरसियर के लिये एक क्वार्टर बना हुआ है ।

* * *

फ्रूट-प्रोसेसिंग फैक्टरी रामगढ़, जिला नैनीताल के काम के सम्बन्ध में जानकारी

*१५५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामगढ़, नैनीताल में फल संरक्षण फैक्टरी में सन् १९५५-५६ व १९५७ में कुल कितने रुपये के तथा कितने मन फल खरीदे गये ?

श्री रऊफ जाफरी—फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़ में सन् १९५५-५६ और १९५७ में खरीदे गये फलों की तादाद और उनके दामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७९९ पर)

*१५६—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त फैक्टरी में सन् १९५५-५६ और १९५७ में बने हुए पल्प व रस की तादाद क्या थी ?

श्री रऊफ जाफरी—उक्त फैक्टरी में उक्त वर्षों में बनाये गये पल्प व रस के तादाद की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८०० पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह फल का रस कम इसलिये बनाया जा सका क्योंकि वहां ब्वायलर की कैपेसिटी कम थी ? प्लांट के मुताबिक ब्वायलर की कैपेसिटी नहीं थी ?

श्री रऊफ जाऊरी—यह माननीय सदस्य की खबर सम्भवतः सही है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व उप-मन्त्री श्री रावत जी ने अपने इंस्पेक्शन नोट में यह लिखा था कि इस मशीन को ठीक किया जाय, तो उसके बाद भी क्यों नहीं ठीक करवायी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी—अब इस वक्त तो मशीन ठीक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि ब्वायलर जो दुरुस्त होने वाला था यह अभी तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिए नोटिस चाहिये ।

एल० एच० शुगर फैक्टरी, काशीपुर, जिला नैनीताल के मालिकों को कथित सहायता

*१५७—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एल० एच० शुगर फैक्टरी, काशीपुर, नैनीताल के मालिकान को उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कितनी धनराशि कर्जे में अथवा सहायतार्थ दी है ?

श्री रऊफ जाफरी—नैनीताल जिले की एल० एच० शुगर फैक्टरी काशीपुर के मालिकान को कोई धनराशि कर्जे के रूप में अथवा सहायतार्थ नहीं दी गयी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो काशीपुर शुगर फैक्टरी ने अपना नया प्लान्ट इस वर्ष बनाया है उसको बनाने के लिये कोई कर्ज या सहायता दी गई है ?

श्री रऊफ जाफरी---जवाब में साफ कहा गया है कि कोई उनको न ऋण दिया गया और न सहायता ।

फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़, जिला नैनीताल द्वारा फलों की खरीद

*१५८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामगढ़, नैनीताल में फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी में लिये जाने वाले फलों की सन् १९५६ में क्या कीमत थी और इस वर्ष किस भाव पर लिये जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्टरी, रामगढ़, जिला नैनीताल में सन् १९५६ और १९५७ में जिन दामों पर फल खरीदे गये उसकी सूची सदन के मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८०० पर)

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैंने फलों के दाम पूछे थे, इसमें एक मुश्त जोड़ कर बताया गया है ।

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वहां पर जो सेब लिये गये वह किस भाप से लिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---उत्तर में सब फलों के बारे में लिखा है ।

श्री प्रतापसिंह---दर तो नहीं बतायी गई सूची में ?

श्री रऊफ जाफरी---दर है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि रामगढ़ सरकारी फैक्टरी जितने दामों में फल खरीदती है इससे ज्यादा दाम देकर प्राइवेट फैक्टरीज खरीद लेती हैं तो इस सीजन के लिये ज्यादा दाम करने की कृपा करेगी ताकि ज्यादा फल मिल सक और उत्पादन भी बढ़े ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसी फसल होती है और जिस तरह का बाजार होता है उस लिहाज से दाम मुकर्रर होते हैं । अगर ज्यादा दाम बढ़ाने की नौबत आवेगी तो बढ़ायेंगे।

अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजनान्तर्गत राज्य कर्मचारियों को ऋण

*१५९---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५५-५६ व १९५६-५७ में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा कितने राज्य कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---भारत सरकार की अल्प-आय गृह-निर्माण योजना (लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा गृह-निर्माण के हेतु १९५५-५६ में २८७ और १९५६-५७ में १९६ राज्य कर्मचारियों को ऋण दिये गये ।

नोट---स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या १५८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

२४ मार्च, १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न

तारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले में मझउआ ग्राम के निकट ईटवा नाले की खुदाई

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मझउवा (खजुरी) पो० मदारभारी, जिला फैजाबाद के पास पानी के निकासों हेतु किसी नाले की खुदाई हुई है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां, ग्राम मझउआ (खजुरी) पो० आ० मदार भारी, जिला फैजाबाद के पास पानी की निकासी हेतु ईटवा ताल के नाम से एक नाला खोदा गया है इस नाले पर अब तक १०२,५२ रुपया व्यय किया जा चुका है ।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त नाले का सम्बन्ध कई गांवों की खेती से है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों से ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इसका सम्बन्ध कई ग्रामों की खेती से है सम्बन्धित ग्रामों के नाम निम्नलिखित हैं :

ईटवा, खजूरी, मझउआ, चौबेपुर, रूनह, पीथापुर, गोविन्दपुर, तेजापुर, सहयलपुर, चांदपुर, मदारभारी एवं अलापुर आदि ग्रामों का सम्बन्ध है ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि योजना अभी अधूरी है तथा ग्रामीण इसे पूरी करने की मांग कर रहे है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, योजना अभी अधूरी है और ग्रामीण इसे पूरी करने की मांग कर रहे हैं ।

मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ से बुनकरों को बाहर जाने से रोकने के लिए सुझाव

*४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि मुबारकपुर (जिला आजमगढ़) बुनकर केन्द्र से जुलाई, १९५७ में ३ हजार से ज्यादा बुनकरों को अपना घरबार छोड़ बाहर जाने का क्या कारण हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ से बाहर गये बुनकरों की ठीक संख्या मालूम नहीं है । जो लोग बाहर गये वे अपनी खुशी से गये और शायद इसलिये गये कि दूसरी जगह उनको अपनी रोजी कमाने में अधिक सुविधा हो ।

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार इस केन्द्र से कारीगरों को बाहर जाने से रोकने एवं उनकी सहायता हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

*६-८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९-१०—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १६३-१६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में मुड़ियारी, जलालाबाद ग्रामों में नलकूप लगवाने की प्रार्थना

*११—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले के मुड़ियारी, जलालाबाद ग्रामों में नलकूप लगवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—ग्राम मुडियारी, जलालाबाद, जिला गाजीपुर में नलकूप बनाने की योजना पर विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण होने के पश्चात् विचार किया जा सकता है ।

पूर्वी जिलों को सस्ते मूल्य पर नलकूपों का पानी सिंचाई के लिये देने की योजना

*१२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार ने लगभग ११ पूर्वी जिलों को सस्ते मूल्य पर tube well का पानी किसानों को सींचने के लिये देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । पूर्वी जिलों को सस्ते मूल्य पर ट्यूबवेल (नलकूप) का पानी सिंचाई के लिये दिये जाने की योजना बनाई गई है और उसे १-१२-५७ से कार्यान्वित किया गया है ।

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना के अन्तर्गत ११,००० गैलन प्रति रुपया की सिंचाई दर को घटाकर १६,००० गैलन प्रति रुपया कर दिया गया है और प्रति रुपया तीन आना छूट (rebate) देकर वर्तमान दर १९,६६२ गैलन प्रति रुपया है जो कि पुरानी सिंचाई दर से कहीं सस्ती है ।

गोरखपुर जिले में नारायणी नहर में ली गयी जमीन के लगान की वापसी का आदेश

*१४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि जिला गोरखपुर के अन्तर्गत नारायणी नहर में जो जमीनें ले ली गयी हैं उनका लगान उन जमीनों के पुराने मालिकों को आज भी देना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, केवल उन क्षेत्रों का लगान उन पुराने मालिकों को देना पड़ रहा था जिनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है ।

*१५—श्री अमरनाथ—यदि हां, तो इसकी रोकथाम तथा खेतिहरों को रिलीफ देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जिलाधीशों को जून, १९५७ में यह आदेश दे दिये गये थे कि जो भूमि सरकारी काम में L. A. Act. के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पहले इस्तेमाल हो जाय, उस भूमि के प्रति लगान की वसूली तुरन्त बन्द कर दी जाय । उस तारीख से पहिले जो लगान खेतिहरों से ले लिया गया है वह सम्बन्धित भूमि का मुआवजा देते समय उनको वापस कर दी जायगी । इसके बाबत speical Land Acquisition Officer को भी आदेश दे दिये गये हैं ।

गोरखपुर जिले में नारायणी नहर में लगे कुलाबे

*१६—श्री अमरनाथ—क्या सिंचाई राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में बनी नारायणी नहर पर कुल कितने कुलाबे लगे हैं ? उनमें कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री राममूर्ति—जिला गोरखपुर में बनी नारायणी नहर पर कुल ४२३ कुलाबे लगे हैं । उनमें ३३२ स्थाई और ९१ अस्थायी हैं ।

माताटीला बांध से बिजली देने की योजना

*१७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में माताटीला बांध पर बनने वाले पन-बिजली घर से जनता के उपयोग के लिये बिजली कब से मिलने लगेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९६०-६१ तक उम्मीद की जाती है ।

*१८—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला से पैदा होने वाली बिजली, उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन नगरों और कस्बों को मिलेगी और कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

जिला झांसी में	जालौन में	हमीरपुर में
१—झांसी,	१—उरई,	१—हमीरपुर,
२—तलबहाट,	२—कौच,	२—महोबा,
३—ललितपुर,	३—जालौन,	३—राठ,
४—मऊरानी,	४—कालपी,	४—मउदहा,
५—समथर,	५—उमरी ।	५—सुमेरपुर,
६—बरवा सागर,		६—कुल पहाड़ ।
७—चिरगांव,		
८—मौठ ।		

गोंडा जिले के परसपुर धरौहरा बांध में ली गयी जमीन का मुआवजा

*१९—**श्री उग्रसेन**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के परसपुर धरौहरा बांध जो सरयू नदी के किनारे बनाया गया है, उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—परसपुर धरौहरा बांध के बनाने में दिसम्बर सन् ५७ तक २०,१७,७२२ रुपये व्यय हुआ है ।

*२०—**श्री उग्रसेन**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितनी अवधि में यह बांध बना और कितने घनफुट मिट्टी पड़ी ?

श्री राममूर्ति—उक्त बांध बनाने का कार्य नवम्बर सन् १९५५ ई० में प्रारम्भ किया गया था और इसमें १० करोड़ घनफुट मिट्टी पड़ चुकी है ।

*२१—**श्री उग्रसेन**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांध द्वारा ली गई जमीन का मुआवजा अब तक किसानों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री राममूर्ति—बांध द्वारा ली गई जमीन का मुआवजा किसानों को बांटा जा रहा है और १७,८४१ रुपये का मुआवजा बंट चुका है, बाकी २४,००० रुपया बंट रहा है ।

लक्ष्मी चीनी मिल, जिला हरदोई में गन्ने की सप्लाई तथा पेराई

*२२—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में १९५६-५७ ई० में केन डेवलपमेंट यूनियन, हरदोई तथा केन ग्रोअर्स सोसाइटी, हरदोई ने पृथक्-पृथक् लक्ष्मी शुगर मिल को कुल कितना गन्ना सप्लाई किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५६-५७ सीजन में हरदोई जिले को केन डेवलपमेंट यूनियन तथा केन ग्रोअर्स सोसाइटी द्वारा लक्ष्मी शुगर मिल को क्रमशः ३५.९२ लाख तथा ३०.६५ लाख मन गन्ना सप्लाई किया गया ।

*२३—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ में केन डेवलपमेंट यूनियन, हरदोई तथा केन ग्रोअर्स सोसाइटी हरदोई ने गन्ने का सर्वे कुल कितने मन किया गया ? और उसमें तीन वर्ष की सप्लाई पर सोसाइटी का बेसिक कोटा जो शुगर मिल्स को सप्लाई करना है तथा गन्ना उत्पादकों का सट्टा करना है अलग-अलग कितना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५७-५८ सीजन में इन केन यूनियनों द्वारा जो गन्ना सर्वे किया गया, उसमें से तीन वर्ष की सप्लाई के आधार पर जो गन्ना चीनी मिल को आफर किया गया तथा जो गन्ना सट्टा किया गया वह इस प्रकार है:—

यूनियन का नाम	सर्वे किये गये गन्ने की मात्रा (हजार एकड़ों में)	सट्टा किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	चीनी मिल को आफर किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)
१—केन डेवलपमेंट यूनियन हरदोई	१७.६३	३२.३१	२७.००
२—डिस्ट्रिक्ट केन ग्रोअर्स यूनियन हरदोई	२०.२७	२९.४३	२३.८५

*२४—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में हरदोई शुगर मिल ने कुल कितना गन्ना पेरा और किस-किस जिले का कितना-कितना तथा कितने मन गन्ने की कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निम्नतम दर के अनुसार दी और कितने मन गन्ने पर उससे भी कम ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५६-५७ सीजन में हरदोई शुगर मिल द्वारा कुल ७४,४१,२१६ मन गन्ना क्रश किया गया तथा गत सीजन में निम्नलिखित जिलों द्वारा जो गन्ना इस मिल को सप्लाई किया गया था वह इस प्रकार है —

जिले का नाम	सप्लाई किये गये गन्ने की मात्रा	
	मन	सेर
१—हरदोई	६६,५९,२२२	२०
२—सीतापुर	७,२६,५३२	१०
३—शाहजहांपुर	५३,४८९	१०
४—बाराबंकी	५६,८६९	१५
योग	७४,९६,११३	१५

इस मिल द्वारा ६४,१३,८५३ मन १० सेर गन्ने का मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर से तथा १०,८२,२६० मन ५ सेर गन्ने का मूल्य Recovery basis के आधार पर भुगतान किया गया ।

*२५—२७—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—[आठवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १११-११३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

बसू गांगी सिंचाई योजनान्तर्गत छत्तरपुर और भुलनडीह ग्रामों के निकट रेगुलेटर बढ़ाने की प्रार्थना

*२८—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि बसू-गांगी नहर जो तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ में है उसमें छत्तरपुर और भुलनडीह ग्रामों में रेगुलेटर बने हैं जिनसे बरसात का पानी ठीक से नहीं निकल पाता है और ६०,६५ ग्रामों की फसल बरबाद हो जाती है और रेगुलेटर बनाने के लिये कि पानी ठीक से निकल जाय वहां की जनता की ओर से अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—बसू-गांगी सिंचाई योजना के अन्तर्गत छत्तरपुर और भुलनडीह ग्रामों के निकट औराकटपुर रेगुलेटर बने हैं जिनसे बरसात में पानी ठीक से निकल जाता है। सन् १९५६ में रेगुलेटर के निकट बाढ़ से जो फसल को हानि हुई थी वह असाधारण वर्षा के कारण थी। रेगुलेटर बढ़ाने के लिये जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

*२९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन समिति, आजमगढ़ ने उपर्युक्त नहर में रेगुलेटर बनाने के लिये जो प्रस्ताव पास किया है उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है।

*३०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बसू-गांगी नहर में रेगुलेटर बढ़ाने के संबंध में जनता के प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही हुई कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—उक्त प्रार्थना-पत्रों की छानबीन की गई थी। रेगुलेटर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नैनीताल जिले की खटीमा तहसील में सिंचाई के साधन

*३१—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा तहसील में कितने ट्यूबवेल्स हैं और कहां-कहां ?

श्री राममूर्ति—नैनीताल जिले की खटीमा तहसील में कोई भी नलकूप नहीं है।

*३२—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा तहसील में सिंचाई के कौन-कौन से अन्य साधन हैं।

श्री राममूर्ति—नैनीताल जिले की खटीमा तहसील में बीसलपुर नहर (Canal) द्वारा सिंचाई होती है।

विधायक निवासों में बिजली के खर्च का भुगतान

*३३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान मण्डल, उत्तर प्रदेश, सदस्यों हेतु विधायक निवासों में व्यय हुई बिजली (घरेलू तथा शक्ति) के लिये (१ मई, १९५६ से ३० अप्रैल, १९५७ तक) कितने रुपये का भुगतान संबंधित विभाग को करना पड़ा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधान मंडल, उत्तर प्रदेश, सदस्यों हेतु विधायक निवासों में बिजली (घरेलू तथा शक्ति) के लिये १ मई, १९५६ से ३० अप्रैल, १९५७ तक ८३,८०३.९४ रुपये का भुगतान करना पड़ा है।

विधायक निवासों से सम्बंधित कर्मचारियों पर व्यय

*३४---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों से संबंधित कर्मचारियों की कितनी संख्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधायक निवासों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या १६० है।

*३५---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों से सीधे सम्बन्धित कर्मचारियों को गत वित्तीय वर्ष में कुल कितना धन वेतन, मंहगाई तथा अन्य भत्तों के रूप में सरकार को देना पड़ा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधायक निवास से सम्बन्धित कर्मचारियों को गत वित्तीय वर्ष में वेतन, मंहगाई तथा अन्य भत्तों के रूप में सरकार को १,०४,८७८.७६ रुपया देना पड़ा है।

विधायक निवास 'ए' और 'बी' खण्डों के बीच इमारत ध्वस्त करने का ठेका

*३६---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि विधायक निवास 'ए' और 'बी' खंडों के बीच जो सरकारी इमारत ध्वस्त की जा रही है, उसका ठेका किसको, कितने में दिया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधायक निवास नं० १ और २ के बीच में स्थित सरकारी इमारत को गिराने तथा मलवा उठवाने का ठेका सार्वजनिक नीलाम द्वारा श्री जगदीशनारायण को २,०२५ रुपये में दिया गया।

नहरों के बनने में उन्नति

*३७---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९४५ ई० को उत्तर प्रदेश में कुल कितने मील तक सब नहरें थीं और २६ दिसम्बर, १९५७ तक सब कितने मील नहरें हो गई हैं?

श्री राममूर्ति---उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४५ ई० तक १७,८२४ मील नहरें थीं। २६ दिसम्बर, १९५७ ई० तक २३,५५४ मील नहरें हो गई हैं।

एटा जिले में नलकूप योजना

*३८---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला एटा के उस क्षेत्र में जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है उस क्षेत्र में नलकूप बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने नलकूप बनाये जावेंगे और कहां-कहां?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला एटा के उस क्षेत्र में जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है १५ नलकूप बनाने की योजना है। इनमें से ७ नलकूप सन् १९५७-५८ में निर्माण होंगे। इनका विवरण निम्नलिखित है:--

क्रम संख्या	नलकूप संख्या	ग्राम	परगना	तहसील	जिला
१	८	कासगंज	सुल्तानपुर	विलराम	कासगंज	एटा
२	९	,,	भनसोरा बुजुर्ग	,,	,,	,,
३	३१	एटा	नगला पवाल	एटासाकित	एटा	,,
४	३२	,,	खटोली	,,	,,	,,
५	३६	,,	चौचा बंगाँव	,,	,,	,,
६	३७	,,	पथ	,,	,,	,,
७	३८	,,	भोगीपुर	,,	,,	,,

शेष ८ नलकूपों का सर्वे अभी चालू है अतः उनका पूर्ण विवरण अभी नहीं दिया जा सकता।

एटा जिले में उद्योग धंधों के लिये दी गयी सहायता

*३९--श्री भूपकिशोर--क्या उद्योग मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि एटा जिले की अलीगंज तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन उद्योग धन्धों के चालू करने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी इस बात का निर्णय नहीं किया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के शेष काल में एटा जिले की अलीगंज तहसील में किन-किन उद्योगों को चालू किया जाय।

*४०--श्री भूपकिशोर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में किन किन उद्योग धन्धों को १९५७ में सहायता दी गई और उस धनराशि की क्या तादाद है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एटा जिले में सन् १९५७-५८ में निम्नलिखित उद्योगों को आर्थिक सहायता दी गई।

कृषि संबंधी औजार बनाना, चाकू, कैंची तथा ब्लेड बनाना, तेल पेरना, पीतल के लोटे बनाना, साबुन बनाना, फर्नीचर उद्योग, कले के खिलौने बनाना, मेटल वायर, शोरा बनाना, चर्म उद्योग, गिलिट की वस्तुयें बनाना। उस धनराशि की तादाद ६६,००० रुपया थी।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में अम्बर चर्खा योजना चालू करने की प्रार्थना

*४१--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र में अम्बर चर्खा योजना चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उपर्युक्त योजना कब तक चालू होने की आशा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में परगना रामनगर और बदो सराय में लघु उद्योग धंधों के आवश्यकता

*४२—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाराबंकी जिले में परगना रामनगर और बदो सराय में कौन-कौन और कहां-कहां लघु उद्योग धन्धे खोले जायेंगे और कितना धन व्यय करने की व्यवस्था है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी इस बात का निर्णय नहीं किया गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के शेष समय में बाराबंकी जिले में परगना रामनगर और बदो सराय में कौन-कौन लघु उद्योग धन्धे कहां-कहां खोले जांय और उन पर कितना धन व्यय किया जाय ।

देवरिया जिले की कठकुइयां चीनी मिल पर सेस का बकाया तथा गड़हिया में गन्ने के कांटे की आवश्यकता

*४३—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के कठकुंइयां चीनी मिल की ओर से गड़हिया में जो मिल से १० मील दूर है कब तक कांटे से गन्ना लिया जाने लगेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वर्तमान सीजन में देवरिया जिले के कठकुइयां चीनी मिल द्वारा गड़हिया में कांटा लगाया जाना संभव नहीं ।

*४४—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कठकुइयां चीनी मिल के जिम्मे केन सेस का कितना रुपया बाकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कठकुंइयां चीनी मिल पर केन सेस का जो रुपया बाकी है वह यह है—

वर्ष	धनराशि
१९५६-५७ ..	.. ३,३१,१५५ रुपये ३७ न० पै०
१९५७-५८ ..	.. १,९०,७१९ रुपये ६७ न० पै०
(३१ जनवरी, ५८ तक)	

उन्नाव जिले में हिलौली माइनर की खुदाई का काम

*४५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले में स्थित मौरावां ब्रांच की महरानी खेड़ा हिलौली माइनर की प्रस्तावित हद तक खुदाई पूरी हो गई है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, हिलौली माइनर की खुदाई प्रस्तावित हद तक पूरी हो चुकी है ।

माताटीला बांध का मुआवजा बांटने में भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमें

*४६—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में माता टीला बांध के मुआवजा बांटने में भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में आज तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और किस पद के लोगों के विरुद्ध तथा क्या-क्या ?

श्री राममूर्ति--भाताटीला बांध के मुआवजा बांटने में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दो अमीनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। दोनों व्यक्ति जिनका पद अमीन का है, मुअत्तल कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं।

*४७--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले में कर्मनासा नहर से पर्याप्त जल न मिलने तथा सिंचाई दर बढ़ाने की शिकायत

*४८--**श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री राजनारायण सिंह** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष रावर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में कर्मनासा नहर द्वारा सींची जाने वाली जमीन का रेट २ रुपये ७ पैसा प्रति बीघा था और इस वर्ष बढ़ाकर सवा छः रुपया बीघा कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*४९--**श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री राजनारायण सिंह**--क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उस क्षेत्र में तीन साल से सूखा पड़ रहा है? यदि हां, तो रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। कर्मनासा नहर से सिंचित क्षेत्र में पिछले तीन सालों में कोई सूखा नहीं पड़ा।

*५०--**श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री राजनारायण सिंह**--क्या यह भी सही है कि कर्मनासा नहर में १५ जुलाई से पूर्व पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं इस वर्ष भी कर्मनासा क्षेत्र में ७-७-५७ से ही पानी देना प्रारम्भ कर दिया गया था।

इटावा जिले में फफूंद सब-ट्रेजरी आफिस खोलने की आवश्यकता

*५१--**श्री भजन लाल** (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कस्बा फफूंद, जिला इटावा में सब-ट्रेजरी आफिस खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह प्रश्न नहीं उठता। सब ट्रेजरी आमतौर से तहसील हेडक्वार्टर में खोली जाती है चूंकि फफूंद तहसील हेडक्वार्टर नहीं है इसलिये वहां सब-ट्रेजरी खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले में पैतेपुर, महमूदाबाद तथा फतेहपुर केन्द्रों से गन्ने की खरीद

*५२--**श्री टम्बरेश्वर प्रसाद** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सीजन में पैतेपुर, महमूदाबाद तथा फतेहपुर, जिला सीतापुर, गन्ना खरीद केन्द्रों ने कब से खरीद प्रारम्भ की है तथा कौन सी मिल ने किस केन्द्र से कितना गन्ना लिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वर्तमान सीजन में सीतापुर जिले के पैंतेपुर, महमूदाबाद तथा फतेहपुर गन्ना खरीद केन्द्रों द्वारा १७ दिसम्बर, १९५७ से खरीद प्रारम्भ की गई और इस सीजन के दिनांक ३१ जनवरी, १९५८ तक विभिन्न मिलों द्वारा इन केन्द्रों से खरीदे गये गन्ने की मात्रा इस प्रकार है:

चीनी मिल का नाम	सेंटर का नाम	खरीदे गये गन्ने की मात्रा	
		मन	सेर
१---जरवल शुगर मिल	.. महमूदाबाद	१,३१,८६०	..
	.. पैंतेपुर ..	९४,७३२	२०
२---बुढ़वल शुगर मिल	फतेहपुर (रेल से) ..	४८,९८३	१५
३---बाराबंकी शुगर मिल	.. फतेहपुर (रोड से)	१७,९५४	१०

आजमगढ़ जिले में बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से निर्माण कार्य

*५३---श्री विश्रामराय---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय आजमगढ़ जिले में बाढ़ नियन्त्रण विभाग की ओर से कौन-कौन से निर्माण-कार्य हो रहे हैं और कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

श्री राममूर्ति---बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित योजनाओं पर कार्य चल रहा है:---

(१) महुला गरवाल बांध।
(२) हाहानाला बांध।
(३) ४१५ ग्राम ऊंचे करने का कार्य।

इसके अतिरिक्त ६ बाढ़ शिविर भी आजमगढ़ जिले में इस विभाग के द्वारा बनाये गये हैं। कोई और कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

*५४---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में टौंस से निकले हुये खादा नाला के नियन्त्रण के लिये अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति---इसकी मौके पर जांच की गई है।

*५५---श्री विश्रामराय---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सिलनी नदी पर बन कट तथा तिरिमुहानी पर (टौंस) और सिलनी के समीप सदर तहसील में बाढ़ विभाग की ओर से पुल बनाने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति---कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

*५६---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में सरयू के दक्षिण तट पर निर्मित बांध के कारण कुछ गांवों में पानी भर जाने की शिकायत

*५७---श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट से फैजाबाद जिले की सरहद के कुछ भीतर तक सरयू नदी के दक्षिण तट पर बाढ़ रोकने के लिये एक बांध बनवाया गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

***५८--श्री जयराम वर्मा**--क्या यह सही है कि उक्त बांध से फैजाबाद जिले की पिकिया नदी का पानी जो सरया ग्राम के पास मुड़ कर और सरयू नदी की बढ़ाव की दशा में उसके पानी से मिलकर दक्षिण की ओर एक नाले से बह जाता था, अब उक्त बांध और सरयू नदी के बीच में स्थित गांवों में होकर बहने लगा है, जिससे उन गांवों में बिना बाढ़ के बाढ़ आ जाती है और बांध बनने के समय से वह बड़ी विपत्ति में पड़ गये हैं ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

***५९--श्री जयराम वर्मा**--क्या यह सही है कि सरकार के पास ऐसा सुझाव आया है कि फैजाबाद जिले के सरया ग्राम से केवटाही तक सरयू के तट पर एक रिंग बांध बना दिया जाय तो उक्त बांध और सरयू नदी के बीच में स्थित गांवों की विपत्ति दूर हो जाय ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, रिंग बांध बनाने की योजना की जांच की गई । यह अत्यधिक मंहगी प्रतीत हुई, इसलिये अब विचार यह है कि पिकिया नाले को ही चौड़ा और गहरा किया जाय । इसमें कम धन व्यय होगा ।

बस्ती जिले में गुड़ केन्द्र तथा गृह उद्योगों के लिये दी गयी सहायता

***६०--श्री रणबहादुर सिंह** (जिला बस्ती)--क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में प्रत्येक तहसील में गुड़ केन्द्र हैं और यदि किसी तहसील में नहीं हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--बस्ती जिले की चार तहसीलों में सरकार की ओर से गुड़ केन्द्र चलाये जा रहे हैं । धन की कमी के कारण अन्य तहसीलों में ऐसे केन्द्र नहीं खोले जा सके हैं ।

***६१--श्री रणबहादुर सिंह**--क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५६-५७ में बस्ती जिले में कितना धन गृह उद्योग की सहायता के लिये था, उसमें कितना धन बच गया ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८०१ पर)

आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड की लाइसेन्स की अवधि तथा उत्पादन

***६२--श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)--क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लाइसेंस की अवधि कब समाप्त होगी ? क्या सरकार इस पावर हाउस की व्यवस्था अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--आगरा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, लिमिटेड आगरा के लाइसेन्स की अवधि १७ दिसम्बर, १९७३ को समाप्त होगी । सरकार इस कम्पनी की व्यवस्था अपने हाथ में लेने पर विचार नहीं कर रही है ।

***६३--श्री देवकीनन्दन विभव**--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा पावर हाउस की उत्पादन क्षमता क्या है और उसे बढ़ाने की क्या योजना है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---आगरा पावर हाउस की उत्पादन क्षमता ६,६५० Kw है। एक ४,००० Kw का सेट लगाया जा रहा है और शीघ्र ही चालू हो जायगा। इसके अतिरिक्त एक और ६,००० Kw के सेट के लिये आर्डर दिया जा चुका है और आशा की जाती है कि दो वर्ष के अन्दर वह चालू हो जायगा।

*६४-६५---श्री गज्जूराम---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड, फैजाबाद को बाढ़ ग्रस्त प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिये अनुदान मिलना तथा नलकूपों से सिंचाई में रियायत

*६६---श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, फैजाबाद को सन् १९५३ से १९५६ तक की बाढ़ों में गिरे हुये प्राइमरी स्कूलों को भवन निर्माण के लिये बाढ़ विभाग से कोई सहायता दी गई है?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

*६७---श्री देवीप्रसाद मिश्र---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि सरकार ने सन् १९५७ में बोई जाने वाली रबी की सूखे से क्षति के कारण ट्यूबवेल की सिंचाई की दरों में किसी रियायत की घोषणा की है? यदि हां, तो क्या यह रियायत अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५७ को भी लागू होगी?

श्री राममूर्ति---जी नहीं। परन्तु स्थिति इस प्रकार है कि पूर्वी जिलों में आयल इंजनों तथा डीजिल विद्युत् गृहों से चलने वाले नलकूपों को दिसम्बर, १९५७ से गोरखपर, मऊ तथा सोहावल में बनाए गए वाष्प विद्युत् गृहों द्वारा चलाया जा रहा है। अतः इन नलकूपों द्वारा सिंचाई की दर दिसम्बर, १९५७ से ११,००० गैलन प्रति रुपया के बजाय १६,००० गैलन प्रति रुपया कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ३ आना प्रति रुपया छूट दी जाती है जिसके अनुसार सिंचाई की दर १३,५४० की बजाय १९,६९२ गैलन प्रति रुपये हो गई है।

*६८---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६९---श्री सजीवनलाल---[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में सतनापुर के पास टोंस नदी के नाले पर बांध बनाने की योजना

*७०---श्री रघुवीरराम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार गाजीपुर में कस्बा बहादुरगंज के पास सतनापुर ग्राम में टोंस नदी के पुराने बहाव के रास्ते पर जो नाले के रूप में है बांध बनाने का विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति---जी हां।

राजकीय हैण्डीक्रैफ्ट की हजरतगंज और अमीनाबाद की दूकानों के सम्बन्ध में पूछताछ

*७१---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय हैण्डीक्रफ्ट की दूकान हजरतगंज और अमीनाबाद से १९५४ से १९५७ तक कुल कितनी लागत का कौन-कौन सा कितना सामान नीलाम किया गया?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---३,७१,०३० रुपये की लागत का निम्नलिखित सामान नीलाम किया गया :---

१---कर्घा निर्मित वस्तुयें,
२---कला की वस्तुयें,
३---रामपुर का सामान ।

*७२---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हजरतगंज की दूकान में कौन-कौन और कितना-कितना सामान शो रूम से अलग, पुराने स्टाक में पड़े हुये हैं और उनकी खरीद की कीमत क्या है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स के गोदाम तथा सब दूकानों में लगभग १,९५,००० रुपये के मूल्य का पुराना माल पड़ा हुआ है जिसकी बिक्री कमी दर पर विभिन्न दूकानों पर की जा रही है । इस सामान में १,४०,२०० रुपये के मूल्य की कपड़े की वस्तुयें तथा शेष आर्टवेयर्स हैं ।

अल्मोड़ा जिले में नियोजन समिति की सिंचाई उप-समिति

*७३---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में कोई सिंचाई उप-समिति या समिति जिला स्तर पर है ? अगर हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं, कब -कब इसकी मीटिंग हुई व यह किन नियमों से संगठित हुई है ?

श्री राममूर्ति---अल्मोड़ा जिले में नियोजन समिति की सिंचाई उप-समिति जिला स्तर पर है । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं:---

१---अध्यक्ष---जिला नियोजन समिति के उप-चेयरमैन यानी जिला बोर्ड के चेयरमैन ।

२---सचिव---अधिशासी अभियन्ता, कुमायूं सिंचाई विभाग, नैनीताल ।

३---सदस्य---(१) जिले में विधान सभा के सदस्य, (२) जिला नियोजन अधिकारी । इसकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई । यह उप-समिति शासकीय आदेश संख्या १६०४---आई० बी० (५६) ६२ डब्ल्यू/५३, दिनांक २८-६-५६ के अनुसार संगठित की गई थी । इसकी कार्य अवधि अब शासकीय आदेश संख्या ४३१० बी (५७) २३ आई डी०---६२ डब्ल्यू-१९५३, दिनांक २०-११-५७ के अनुसार ३१-१०-५८ तक कर दी गई है ।

अल्मोड़े की "शक्ति" तथा रामनगर की "पर्वतीय" पत्रिकाओं के प्रेसों तथा नैनीताल के प्रेसों को ऋण

*७४---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़े की "शक्ति" पत्रिका व रामनगर की "पर्वतीय" पत्रिका व इनके प्रेसों को सन् १९५० से अब तक सरकार ने कितना अनुदान व ऋण अलग-अलग दिया व किन नियमों के अन्दर ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---"ऋण व अनुदान योजना" के अन्तर्गत अल्मोड़े की "शक्ति" पत्रिका को "श्री धर्मानन्द पांडे, देशभक्त प्रेस, अल्मोड़ा" के नाम से ५,००० रुपये का ऋण, तथा रामनगर की "पर्वतीय" पत्रिका को "श्री विशुन दत्त उनियाल, प्रो० सर्ववादी प्रेस, रामनगर, नैनीताल" के नाम से ४,००० रुपये का ऋण "लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऋण देने" से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश नियम के नियम ३ के अंतर्गत सन् १९५० से अब तक दिया गया ।

*७५---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या कोई ऋण या अनुदान जिला अल्मोड़ा या नैनीताल के किसी अन्य पत्र या प्रेस को इस बीच दिया गया ? यदि हां, तो कब व कितना ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—उपरोक्त प्रेसों के अतिरिक्त, इस बीच अल्मोड़े के एक प्रेस व नैनीताल के तीन प्रेसों को ऋण व अनुदान दिया गया, जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८०२ पर)

राज्य में 'फारेन एक्सचेंज' का 'प्राइवेट' एवं 'पब्लिक सेक्टर' में एलाटमेंट

*७६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्र द्वारा सन् १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना 'फारेन एक्सचेन्ज' 'प्राइवेट' एवं 'पब्लिक सेक्टर' में इस प्रदेश के हेतु एलाट किया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७७-७८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये ।]

कानपुर जिले की ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पुखरायां के सम्बन्ध में जानकारी

*७९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामोद्योग ट्रस्ट पुखरायां, जिला कानपुर को सन् १९५० से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितनी सहायता दी जाती रही है और ग्रामोद्योग ट्रस्ट के कितने केन्द्र हैं और उनमें किन-किन वस्तुओं का उत्पादन होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८०३ पर)

*८०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त ट्रस्ट की आय-व्यय जांच सरकार कराती है ? यदि हां, तो सन् १९५० से अब तक का वार्षिक ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सरकार कथित ट्रस्ट के आय-व्यय की जांच नहीं कराती । सरकार द्वारा इस ट्रस्ट को जो सहायता दी जाती है उसके व्यय की जांच सरकार अवश्य कराती है । यह जांच प्रति वर्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा अथवा असिस्टेण्ट एग्जामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स द्वारा करायी जाती है । ट्रस्ट का वार्षिक ब्योरा सरकार के पास नहीं भेजा जाता है ।

*८१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ट्रस्ट के कौन-कौन से सदस्य हैं और उनकी बैठक नियमित रूप से साल में कितनी बार होती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

जालौन जिले में बिजली देने की योजना

*८२—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में बिजली पहुंचाने की कोई योजना चल रही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां ।

*८३—श्री गरीबदास—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—कालपी, उरई तथा जालौन नगरों में विद्युतीकरण के लिये लाईनें तथा सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं ।

*८४—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*८५—श्री गंगाप्रसादसिंह—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में मंसूरनगर निवासियों का सुखैता नाले पर बन्धा बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*८६—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई के ग्राम मंसूर नगर के निवासियों का प्रार्थना-पत्र उस क्षेत्र में लगभग एक एक हजार एकड़ जमीन जो सदैव जलमग्न रहती है, से पानी निकालने तथा ग्राम अवधपुर के निवासियों का अवधपुर के समीप सुखैता नाले पर बन्धा तथा रास्ता बनाने का सन् १९५६ में सरकार को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

बरेली जिले में बिजली देने के सम्बन्ध में जानकारी

*८७—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरेली तहसील के कितने ग्रामों में बिजली लगाने की योजना थी तथा कितने ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रथम पंचवर्षीय योजना में बरेली तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण करने की कोई योजना नहीं थी।

*८८—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले के कितने ग्रामों में बिजली लगाने की व्यवस्था की जा रही है और प्रथम वर्ष में किन-किन ग्रामों में बिजली लगाई जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले के कितने ग्रामों में बिजली की व्यवस्था की जायगी यह निश्चित नहीं है। अब तक बरेली जिले के नवाब गंज, हाफिज गंज, बहेड़ी, फरीदपुर, फतेहगंज (पश्चिमी) फतेहगंज (पूर्वी), भोजीपुरा, सैथाल, शाही, रिथौरा तथा क्लटर-बक-गंज को बिजली दी जा चुकी है।

बस्ती जिले में नलकूप विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी तथा बोरिंग का काम

*८९—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन् १९५६ तथा सन् १९५७ में कितने कुओं की बोरिंग की गई और इस विभाग में बस्ती जिले में कितने कर्मचारी हैं ?

श्री राममूर्ति—बस्ती जिले में सन् १९५६ में ३८ नलकूपों की तथा सन् १९५७ में २९ नलकूपों की बोरिंग की गई और इस विभाग के बस्ती जिले में ३६८ कर्मचारी हैं।

टण्डई ब्लाक कलां, जिला शाहजहांपुर में सिंचाई के लिये सोत नदी योजना

*९०—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टण्डई, ब्लाक कलां परगना व तहसील जलालपुर, जिला शाहजहांपुर में से सोत नदी का बांध बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—टण्डई ब्लाक कलां परगना व तहसील जलालपुर, जिला शाहजहांपुर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिये सीत नदी योजना विचाराधीन है। इसका सर्वे हो रहा है और तखमीना बनाया जा रहा है। कार्य के आरम्भ करने का निर्णय उसके बाद ही किया जा सकेगा।

रायल होटल, लखनऊ में विधायकों के लिये नये कमरों की निर्माण योजना

*९१—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा व परिषद् के सदस्यों के रहने के लिये वह वर्तमान वर्ष लखनऊ में कुछ नये कमरे बनवाने वाले हैं ? यदि हां, तो कितने, कहां और उनकी कितनी लागत होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। १६ कमरे विधान सभा व परिषद् के सदस्यों के लिये पुराने रायल होटल के अहाते में करीब २ लाख रुपये की लागत से वर्तमान वर्ष में बन रहे हैं।

झांसी तथा मेरठ की इरिगेशन वर्कशाप में लोक सेवा आयोग से अस्वीकृत कर्मचारी

*९२—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी, बरेली, मेरठ और रुड़की के इरिगेशन वर्कशाप में कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग नें अस्वीकार कर दिया है ?

श्री राममूर्ति—दो पदाधिकारियों को जिनमें से एक झांसी तथा दूसरा मेरठ वर्कशाप में हैं लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया है किन्तु इनका मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा उसकी शाखाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*९३—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद तथा उसकी अन्य शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट (Gradation list) है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, ग्रेडेशन लिस्ट (Gradation list) †की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

*९४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सभी राजकीय मुद्रणालयों का स्टैब्लिशमेंट (Establishment) एक ही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*९५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

---

†छापी नहीं गयी।

इटावा जिले की सहकारी समितियां तथा रूरूगंज बुनकर सहकारी समिति का बकाया रिबेट

*९६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला की बुनकर सहकारी समिति रूरूगंज, तहसील विधूना का जुलाई सन् १९५६ से दिसम्बर, १९५७ तक का कितना रिबेट बकाया है ? सरकार उसे कब तक देने का इरादा रखती है ?

श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम--इस सोसाइटी के लगभग ४,७५० रुपये के रिबेट के बिल प्राप्त हुये हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और आशा है भुगतान बहुत जल्दी हो जायगा।

*९७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कुल कितनी बुनकर समितियां हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--४८ ।

देवरिया जिले की विभिन्न चीनी मिलों में गन्ने के मूल्य में अन्तर

*९८--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला देवरिया के श्री सीताराम शुगर मिल, बैतालपुर की पंजाबी शुगर मिल देवरिया प्रापर के मिल मालिक गन्ना विक्रय केन्द्रों पर गन्ने की कीमत गन्ना उत्पादकों को १ रुपया ४ आना प्रति मन के दर से अदा करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। इसकी वजह यह है कि रोड सेन्टरों पर कीमत फासले के हिसाब से दी जाती है जिसके नियम केन्द्रीय सरकार ने बनाये हैं।

*९९--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंजाबी मिल रामकोला, जिला देवरिया, सबया कांटे पर १ रुपया ५ आना प्रति मन व सरैया शुगर मिल गोरखपुर, गोपालगढ़ कांटे पर १ रुपया ५ आना प्रति मन व लक्ष्मीगंज शुगर मिल तरया सुजान स्टेशन पर १ रुपया ६ आना प्रति मन कीमत देती है ? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न कांटो पर भिन्न-भिन्न कीमत अदा करने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। देवरिया जिले की पंजाबी मिल रामकोला द्वारा सबया कांटे पर तथा गोरखपुर जिले की सरैया शुगर मिल द्वारा गोपालगढ़ कांटे पर गन्ने का मूल्य नियमानुसार ढुलाई व्यय तथा कटौती को ध्यान में रखते हुये, किसानों को १ रुपया ५ आना प्रति मन के हिसाब से दिया जाता है, और तरया सुजान स्टेशन पर लक्ष्मी शुगर मिल द्वारा अपनी ओर से रेल सेन्टरों के लिये नियत १ रुपया ५ आना प्रति मन मूल्य के बजाय १ रुपया ६ आना प्रति मन दिया जा रहा है।

झांसी जिले के सेरिया ग्राम को वर्षा से क्षति

*१००--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि ग्राम सेरिया, तहसील गरोठा (झांसी) के पास गुरसराय नहर का जो साइफन बनाया गया है उसमें चार के बजाय केवल दो दरवाजे होने के कारण पानी बह कर उक्त गांव में भरता है ?

श्री राममूर्ति--सेरिया ग्राम में सन् १९५६ में वर्षा अधिक होने के कारण पानी भर गया था न कि गुरसराय नहर में उक्त ग्राम के पास दो बैरेल होने के कारण।

*१०१—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पानी से सन् १९५६ व १९५७ में उस ग्राम के कितने मकानों को क्षति पहुंची थी ?

श्री राममूर्ति—नाले के पास के २९ कच्चे मकानों को सन् १९५६ में अधिक वर्षा के कारण क्षति पहुंची थी। सन् १९५७ में कोई क्षति नहीं पहुंची।

विक्रम जोत कैम्पिग ग्राउण्ड, जिला बस्ती में नई आबादी

*१०२—श्री रणबहादुरसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रम जोत कैम्पिग ग्राउन्ड, जिला बस्ती में वे लोग बस गये हैं जिनक मकान घाघरा नदी से कट गये हैं ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*१०३-१०४—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[सातवें शुक्रवार प्रश्न संख्या ८८-८९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१०५-१०७—श्री धर्मदत्त वैद्य—[३१ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में सरकारी सहायता प्राप्त उद्योग तथा शोरा उत्पादन के लिये कार्य

*१०८—श्री रामहेतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सरकारी सहायता प्राप्त कौन-कौन से उद्योग चल रहे हैं तथा उनको किस-किस किस्म की सहायता दी जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मथुरा जिले में सरकारी सहायता प्राप्त निम्न-लिखित उद्योग चल रहे हैं :—

चर्म तथा चर्म शोधन उद्योग, गुड़ उद्योग, हथकरघा उद्योग, खादी उद्योग। इसके अलावा अन्य कई उद्योगों के ट्रेनिंग अथवा ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर्स चल रहे हैं।

उक्त उद्योगों को हर प्रकार की सम्भव सहायता दी जा रही है जैसे आर्थिक सहायता, कच्चे माल की पूर्ति की सहायता, टेक्निकल परामर्श आदि।

*१०९—श्री रामहेतसिंह—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में शोरा बनाने के उद्योग का विकास करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—शोरे की शुद्धिकरण के तरीकों में सुधार करने, उत्पादन बढ़ाने व उत्पादन की लागत घटाने की सम्भावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से शोरे के विभिन्न नमूनों का परीक्षण किया गया है।

मसोधा शुगर मिल, जिला फैजाबाद पर गन्ना उत्पादकों का बकाया

*११०—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मसोधा शुगर मिल, फैजाबाद में इस सीजन में ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल कितना गन्ना खरीदा गया था कितना पेमेंट किया गया तथा इस सीजन का कितना पेमेंट किसानों का ३१ जनवरी, १९५८ तक बाकी रह गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वर्तमान सीजन में फैजाबाद जिले की मसोधा शुगर मिल द्वारा ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल १७,३०,४२९ मन ३० सेर गन्ना खरीदा गया और किसानों को लगभग १६,२०,१८५.५८ रुपया भुगतान किया गया तथा इस सीजन का लगभग ७,२६,५०४.३० रुपया गत जनवरी में भुगतान होना शेष रह गया।

राज्य में खुलने वाले पोलिटेक्निक स्कूल

*१११—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या उद्योग मंत्री प्रदेश में खुलने वाले इंजीनियरिंग कालेज और तीन पोलिटेक्निक की पूरी योजना बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इंजीनियरिंग कालेज खोलने के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। परन्तु तीन ऐलेटेक्निक खुर्जा, बरेली तथा झांसी में खोले जा रहे हैं। उनकी योजनाएं सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८०४ पर)

*११२—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या सरकार आगरा में किसी नये इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

*११३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*११४-११५—**श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)**—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*११६-११८—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले की नलकूप योजना

*११९—**श्री राजेन्द्रदत्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में तहसीलवार प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले कितने सरकारी नलकूप थे ?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व जिला मुजफ्फरनगर में १३४ नलकूप थे जिनका तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है—

नाम तहसील	संख्या कूप
मुजफ्फरनगर	१०
बुढ़ाना	८०
जानसठ	११
कैराना	३३
योग	१३४

*१२०—**श्री राजेन्द्रदत्त**—प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप तहसीलदार बने और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने बनन जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जिला मुजफ्फरनगर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३३ नलकूप बनाये गये जिनका तहसीलवार विवरण निम्नांकित है—

नाम तहसील	संख्या कूप
मुजफ्फरनगर	५
बुढ़ाना	७
जानसठ	१०
कैराना	११
योग ..	३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में २९ नलकूप बन चुके हैं जिनका तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है—

नाम सहसील	संख्या कूप
मुजफ्फरनगर	१२
बुढ़ाना	३
जानसठ	७
कैराना	७
योग ..	२९

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष १९५७–५८ में इस जिले में १० नलकूप बनाये जाने का निश्चय किया गया है, इन प्रस्तावित नलकूपों के स्थान अभी निश्चित नहीं किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में बनने वाले नलकूपों का अभी जिलेवार विवरण निश्चित नहीं हुआ है।

*१२१—**श्री राजेन्द्र दत्त**—पहले बने नलकूपों में से कितने का डिस्चार्ज कम हो गया और सरकार उनका क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—पहले बने २२ नलकूपों का डिस्चार्ज कम हो गया है। जिसमें से १९ नलकूपों को दुबारा बनवा दिया गया है। शेष ३ नलकूप के दुबारा बनाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़ जिले में गांवों का ऊंचा किया जाना

*१२२—**श्री नन्दराम गुप्त** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में अब तक कुल कितने गांव ऊंचे किये जाने की योजना थी तथा कितने ऊंचे किये जा चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—प्रतापगढ़ जिले में १०० ग्रामों को ऊंचा करने की योजना है। इनमें से ९४ ग्रामों का स्तर ऊंचा हो चुका है।

फीरोजाबाद में औद्योगिक कारखानों को कोयला

*१२३—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार सदन की पर मेज उस सूची को रखने की कृपा करेगी जिससे यह पता चल सके कि फीरोजाबाद में औद्योगिक कार्यों के लिये किस-किस कारखाने को कितना-कितना वार्षिक कोयले का कोटा दिया जाता है तथा यह कारखाने किस वस्तु का निर्माण करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ८०५—८०६ पर)

हैण्डलूम क्लाथ क्वालिटी मार्किंग स्कीम के अन्तर्गत स्थान तथा मऊ, जिला आजमगढ़ के निरीक्षण केन्द्र पर व्यय

*१२४—श्री अब्दुललतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हैण्डलूम क्लाथ पर क्वालिटी मार्किंग स्कीम कहां-कहां लागू है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—निम्नलिखित स्थानों पर—

१—संडीला (हरदोई)
२—मऊ आइमा (प्रयाग)
३—बाराबंकी
४—सिकन्दराराव (अलीगढ़)
५—इटावा
६—जसवंतनगर (इटावा)
७—कानपुर
८—फर्रुखाबाद
९—कासगंज (एटा)
१०—अमरोहा (मुरादाबाद)
११—रामपुर
१२—पिलखुआ (मेरठ)
१३—मुरादाबाद
१४—हापुड़ (मेरठ)
१५—गाजीपुर
१६—टांडा (फैजाबाद)
१७—मऊ (आजमगढ़)
१८—गोरखपुर
१९—बरहलगंज (गोरखपुर)
२०—देवरिया
२१—मगहर (बस्ती)
२२—रसरा (बलिया)
२३—वाराणसी
२४—मिर्जापुर
२५—प्रतापगढ़
२६—डेरवा (प्रतापगढ़)
२७—जिवियांव (बस्ती)
२८—जैविजय (बस्ती)
२९—आगरा

*१२५—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ, जिला आजमगढ़ में यह स्कीम कब से चालू है और इसके मातहत कितने मुलाजिम रक्खे गये हैं और इन पर प्रति माह कितना खर्च होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ, जिला आजमगढ़ में हैण्डलूम क्लाथ पर क्वालिटी मार्किंग का काम सन् १९४९–५० से किया जा रहा है, परन्तु कथित योजना के अन्तर्गत वहां एक निरीक्षण केंद्र १९५५–५६ में खोला गया । इस निरीक्षण केंद्र में ५ मुलाजिम रक्खे गये हैं । इस निरीक्षण केंद्र का अनुमानित मासिक व्यय ८०० रुपये है ।

*१२६—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं जिले की सहसवान तहसील में नलकूपों की आवश्यकता

*१२७—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम साइड, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में बिजली के कुयें लगाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

गाजियाबाद में चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने की प्रार्थना

*१२८—**श्री तेजासिंह**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गाजियाबाद की हरिजन चर्म उद्योग और माडर्न इंडस्ट्री सहकारी समितियों का हिसाब अंतिम बार कब आडिट हुआ था ?

श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२९—**श्री तेजासिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने गाजियाबाद में चर्म-उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक क्या किया है और क्या सरकार भविष्य में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये किसी खास योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गाजियाबाद में अभी तक कोई चर्म केंद्र नहीं खोला गया है। निकट भविष्य में भी वहां ऐसा कोई केंद्र खोलने का प्रश्न सरकार के फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

बलिया जिले के लिये उद्योगों की योजना तथा उद्योग समिति

*१३०—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला बलिया में द्वितीय पंचवर्षीय योजना क अन्तर्गत कौन-कौन से मुख्य उद्योग किन-किन तहसीलों में खोलने जा रही है और उद्योग समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम—बलिया जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य उद्योगों के विकास का आयोजन है—

१—सुगंधित तेल उद्योग।
२—गुड़ उद्योग।
३—चर्मशोधन उद्योग।
४—हथकरघा उद्योग।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के शेष समय में उक्त जिले में खोले जाने वाले उद्योगों तथा स्थानों के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

*१३१—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में सरकार की तरफ से कोई उद्योग अधिकारी नियुक्त हुये हैं जो लघु उद्योग के लिये जनता को धन देते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला उद्योग उपसमिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। बलिया जिले में सरकार की ओर से एक जिला उद्योग अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। वह जनता को उद्योगों के लिये धन देते तो नहीं, परन्तु आर्थिक सहायता संबंधी प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर जांच के बाद अपनी सिफारिश अवश्य करते हैं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ८०७ पर)

*१३२-१३३—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)—[७ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३४-१३५—**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)—[हटा दिये गये।]

*१३६—**श्री रामहेतसिंह**—[३१ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३७—**श्री रघुवीरराम**—[तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३८-१३९--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)---[बारहवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १४७-१४८ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

पूजा सामग्री पर से बिक्रीकर हटाने की प्रार्थना

*१४०---श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह पूजा सामग्री के ऊपर से बिक्री-कर हटाने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

वाराणसी जिले के महवारी परगने में गंगा का कथित कटाव

*१४१---**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि वाराणसी जिले के महुवारी परगना के पश्चिमी हिस्से का गंगा नदी से कटान जारी है ?यदि हां, तो इसके बचाव के लिये क्या प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री राममूर्ति---सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है कि महुवारी परगने में गंगा नदी से कोई विशेष कटाव हो रहा है।

नारायणी नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*१४२---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष नारायणी नहर द्वारा जिन गांवों को इस सूखे के समय पानी दिया जा सकता था उनमें पानी नहीं पहुंच सका ? यदि हां, तो क्या इसके उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उपर्युक्त जांच के बाद सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---जी हां। नारायणी नहर के सारे सिंचाई क्षेत्र में एक साथ पानी की मांग होने के कारण कुछ धान के खेतों की सिंचाई नहीं हो सकी। इसके लिये नहर का कोई भी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में राप्ती नदी पर जलकुण्डी जलाशय योजना

*१४३---**श्रीमती राजेन्द्र किशोरी**---क्या बस्ती जिले की बांसी तहसील में राप्ती या किसी अन्य नदी से नहर निकालकर सदर बस्ती तहसील तक लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है या सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना के कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं। अभी कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हुई है। राप्ती नदी पर जलकुंडी जलाशय के लिये प्रारम्भिक निरीक्षण हो रहा है।

*१४४---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**---क्या सरकार को विदित है कि उपर्युक्त नहर के निर्माण के सिलसिले में कोई नाप-जोख या प्रारम्भिक जांच-पड़ताल गत वर्षों में हुई थी ?

श्री राममूर्ति---जी हां। जलकुंडी जलाशय योजना के लिये कुछ प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है।

* १४५-१४६---**श्री विश्रामराय**---[हटा दिये गये ।]

गाजीपुर बाढ़ विभाग द्वारा गोविन्दपुर बांध पर काम का ठेका

*१४७---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोविन्दपुर बांध पर गाजीपुर बाढ़ विभाग द्वारा २ से ४ फलांग तक किन-किन ठेकेदारों से एग्रीमेंट किया गया था और किस रेट पर ?

श्री राममूर्ति--श्री लोकनाथ पांडेय को गोविन्दपुर बांध बनाने का कार्य फर्लांग ४ से २ तक दिया गया था। यह काम उसको उसके टेन्डर रेट पर १२ रुपया प्रति हजार घनफीट तथा शेड्यूल रेट के अनुसार (लीड) और (लिफ्ट) जो मौके पर नापा गया उसके अनुसार दिया गया था।

*१४८--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस रिज का काम कब पूरा हो गया ? यदि नहीं हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति--उक्त कार्य १० अगस्त, १९५७ को मियाद के अन्दर समाप्त हो गया था।

*१४९--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि ठेकेदारों को बिना किसी कारण क्यों हटाया गया व ठेकेदारों ने किन-किन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस दिया था ? यदि दिया, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति--ठेकेदार मिट्टी के काम की पूरी मिकदार ऐग्रीमेंट के हिसाब से पूरी नहीं कर पाया। उसको काम एग्रीमेंट की मियाद के अन्दर समाप्त करने के लिये नोटिस दिया गया था। लेकिन लिखित नोटिस के बावजूद भी काम की प्रगति बिल्कुल नहीं सुधरी। इसलिये काम को मियाद के अन्दर समाप्त करने के लिये दूसरा ठेकेदार उस काम पर लगाया गया।

जिस ओवरसियर के चार्ज में उक्त कार्य था उसके खिलाफ एक शिकायत आई थी कि लोकनाथ पांडेय ने जो काम किया है उसकी पैमाइश समय के अन्दर नहीं दर्ज की है। इस पर तुरन्त कार्यवाही की गयी। चूंकि इस शिकायत में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिये ओवरसियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदार के काम को पैमाइश समय के अन्दर ही कर ली गई थी।

गृह उद्योग-धंधों के लिये ऋण देने के लिये केन्द्र से सहायता

*१५०--**श्री धर्मदत्त वैद्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा गृह उद्योग-धन्धों को ऋण देने के लिये प्रान्त को कितना धन दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा गृह उद्योग-धन्धों को ऋण देने के लिये इस प्रदेश को ४७,५०,००० रुपया दिया गया।

*१५१--**श्री धर्मदत्त वैद्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त धन में से प्रान्तीय सरकार द्वारा कितना धन वितरित किया गया और शेष धन पर प्रान्तीय सरकार को कितना ब्याज देना पड़ा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उपर्युक्त धन में से राज्य सरकार द्वारा १९,८८,००० रुपया वितरित किया गया।

शेष धन पर राज्य सरकार को ३१ मार्च, १९५७ तक ३०,९३० रुपया ब्याज देना पड़ा।

बदायूं जिले के कुछ परगनों में नलकूपों से पानी का निकास

*१५२--**श्री टीकाराम**--क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि जिला बदायूं में बिसौली-सहसवान, बदायूं-ककराला ग्रुप में कितने नलकूपों में पानी का निकास १५,००० गैलन से कम है ?

श्री राममूर्ति--जिला बदायूं में चिसौली ग्रुप में ४, सहसवान ग्रुप में ७, बदायूं ग्रुप में ११ तथा ककराला ग्रुप में ११ नलकूपों में पानी का निकास १५,००० गैलन प्रति घंटे से कम है।

उन्नाव जिले में कुरुसठ ड्रेन के निकट कथित अन्य ड्रेन

*१५३---**श्री सजीवनलाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कुरुसठ ड्रेन, जो कई वर्ष से कायम है, जिसके द्वारा पानी भी बह रहा है, उसी से मिले-जुले एक दूसरा ड्रेन खुदवाने की सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री राममूर्ति---कुरुसठ ड्रेन जिस क्षेत्र के लिये बनी हुई है उसी क्षेत्र में किसी और ड्रेन को बनवाये जाने की न तो कोई योजना ही है और न कोई ड्रेन बनाई गई है ।

आजमगढ़ जिले की लहरपार तथा कुम्हवट ग्रामसभाओं की ओर से बरहा खोदने के लिये प्रार्थना

*१५४---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अगस्त, १९५६ में आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के लहरपार ग्रामसभा तथा कुम्हवट ग्राम सभा आदि की तरफ से दक्षिण के ताल से बधला ताल होते हुए दमी ताल में मिलाने के लिये एक बरहा खोदने की दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति---जी हां । इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था और आवश्यक जांच-पड़ताल की जा चुकी है ।

अतारांकित प्रश्न

सरकारी ठेकेदार श्री एम० आर० तिरखा की रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में नारायणी केनाल्स के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास शिकायत

१---**श्री मलिखानसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नारायणी कैनाल्स के अधीक्षक अभियन्ता (सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर) के पास पंचम सब-डिवीजन के प्रशासक अभियन्ता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर), एस० डी० ओ० और ओवरसियर के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत आई है कि इन्होंने एक ठेकेदार का रुपया किसी अन्य के नाम से भुगता दिया और वास्तविक अधिकारी को अभी तक भुगतान नहीं हुआ ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति---जी हां । एक शिकायती-पत्र श्री एम० आर० तिरखा (Tirkha) सरकारी ठेकेदार का जुलाई, १९५७ में इस आशय का प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा Dundi Poh Nala Cut) पर किये गये काम का भुगतान उनको न करके किसी लखीमपुर के अन्य ठेकेदार के नाम कर दिया गया है । वह पत्र इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, नारायणी केनाल डिवीजन, गोरखपुर के पास आवश्यक जांच के लिये भेजा गया । इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि श्री तिरखा ने जितना भी काम किया था उसका पूरा भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के नाम न करके उन्हीं के नाम किया गया है । श्री तिरखा ने अपने द्वारा किये गये काम का पूरा भुगतान पाने का लिखित प्रमाण भी दिया है । इस कारण उनके द्वारा लगाये गये दोषों में किंचित् मात्र भी सत्यता नहीं पायी गयी ।

नहर विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रतापगढ़ जिले के एम० एल० ए० की कथित शिकायतें

२---**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)---क्या नहर विभाग के सम्बन्ध में पिछले साल भर के अन्दर प्रतापगढ़ जिले के एम० एल० ए० ने शिकायतें नहर इंजीनियर या उच्च अधिकारियों को भेजी ? यदि हां, तो कितनी और किन्होंने ?

श्री राममूर्ति---नहर विभाग के सम्बन्ध में पिछले साल के अन्दर प्रतापगढ़ जिले के किसी भी एम० एल० ए० से कोई शिकायत मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में सीधे या उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं प्राप्त हुई है ।

३--**श्री हरकेशबहादुर**---क्या उन शिकायतों की जांच हुई ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति---यह प्रश्न नहीं उठता ।

अवशेष प्रश्नों को दूसरे दिन की कार्य-सूची में रखने की प्रार्थना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । आज के लिये जो प्रश्नों की सूची थी यह प्रायः पूरी की पूरी शेष रह गई है । तो क्या श्रीमन्, इस बारे में कोई व्यवस्था देंगे कि यह प्रश्न फिर किसी दिन ले लिये जायं ?

श्री अध्यक्ष---उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा । क्योंकि सोमवार को जो निश्चित प्रश्न होंगे वे इतने ही होंगे, इसलिये ये रह जायेंगे । मैं ऐसा तो नहीं कर सकता हूं कि इन्हें पहले उस दिन लिया जाय ।

जिला इटावा के ग्राम बिरिया फफूंद में चकबन्दी टैक्स की बलपूर्वक वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---एक यह कामरोको प्रस्ताव परसों आया था जिसके लिये मैं ने कहा था कि आज मैं इसको लूंगा और जो कागजात इस सम्बन्ध में मौजूद हैं वह मेरे पास आ जाने चाहियें । उस रोज माननीय माल मन्त्री जी भी मौजूद नहीं थे । मैंने वे कागजात देखे यानी जो शिकायत कि प्रधान, बिरिया फफूंद ने भेजी थी माननीय भजन लाल जी के पास । वह मेरे पास मौजूद हैं और कई और लोगों की भी इस सम्बन्ध में शिकायतें हैं । मैंने उनको भी देख लिया है । अब मैं माननीय माल मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस विषय पर विवाद करने के लिये कोई समय देना चाहेंगे और क्या इस कामरोको प्रस्ताव पर भी कोई आक्षेप है उन्हें ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, कल आकर मुझको मालूम हुआ कि इस तरह का एडजर्नमेंटन मोशन आया है और मैंने जिलाधीश से मालूम कराने की कोशिश की कि इस बात में क्या सच्चाई है । उन्होंने यह जवाब दिया कि मेरे लिये तो यह एक नयी खबर है । मुझको कुछ नहीं मालूम, मैं तहकीकात करा रहा हूं और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को इत्तला दूंगा । वह इत्तला अभी तक मेरे पास नहीं आयी है । मैं इस समय केवल इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि मेरे पास इस समय इस बात की कोई इत्तला नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि मुझको यह मालूम हुआ है कि एप्रोप्रियेशन बिल पर जिस रोज बहस होगी, तो कुछ मित्रों ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि तमाम मामले माल के सिलसिले में या रियलाइजेशन के सिलसिले में ही वे बहस करना चाहते हैं । मुझे नहीं मालूम क्या फैसला हुआ, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसी ख्वाहिश जाहिर की । अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि उस रोज इस बात पर बहस हो जाय, क्योंकि उस समय तक कुछ इत्तला आ जायगी ।

***श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मैं १७ तारीख को फफून्द स्टेशन से औरैया अपने क्षेत्र में एक प्रोग्राम के सिलसिले में जा रहा था .....

---

†२२ मार्च की कार्यवाही से ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर २७ को बहस हो जाय, उस रोज दिन भर एक विधेयक आपके सामने प्रस्तुत रहेगा इसमें आपको कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री भजनलाल---मुझे यह कहना है कि यह विषय निश्चित है और दो चीजें हैं । लिहाजा अलग-अलग विवाद हो तो मैं ज्यादा अच्छा समझूंगा ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, अभी माननीय माल मन्त्री ने सुझाव दिया कि २७ तारीख को जिस दिन एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होगी उस दिन इस विवाद को उठाया जा सकता है । मैं समझता हूं कि हम प्रथम बार यह परिपाटी स्थापित करने जा रहे हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर लगान वसूली में जबरदस्ती और पुलिस की ज्यादती के सम्बन्ध में बहस करें । इस प्रकार की बहस एप्रोप्रियेशन बिल के मौके पर करना तो किसी भी प्रकार सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा । हम से यह आशा की जाती है कि जब कभी हम एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस करें तो अपने राज्य की बजट स्थिति पर, ए० जी० की आडिट रिपोर्ट पर या पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करें । माननीय मन्त्री जी तो स्वयं अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं ।

श्री चरणसिंह---मेरा सुझाव कहां है ? आपने शायद सुना नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने तो यही सुना ।

श्री अध्यक्ष---आपकी तरफ से कोई इस प्रकार का सुझाव आया था, यह उन्होंने कहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---हमारी तरफ से यह सुझाव आया था कि एप्रोप्रियेशन बिल पर पूरे एक दिन बहस हो ।

श्री अध्यक्ष---विरोधी दल के नेता की तरफ से या अन्य सदस्यों की तरफ से माननीय माल मन्त्री के पास इस तरह का सुझाव आया था कि लगान की वसूली के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक पर जो बहस होगी उस दिन बहस हो जाय, यह माल मन्त्री के कहने का मतलब था । आपको एतराज हो तो आप कह दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय विरोधी दल के नेता ने यह सुझाव दिया कि आम तरीके से जनरल, उदाहरण के लिये कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस पर जैसा कि भजनलाल जी का है उस पर बहस होने लगे तो यह विवाद के साथ ज्यादती होगी । इसलिये कोई दूसरा समय माननीय मन्त्री जी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री चरणसिंह---मैं जरा सी बात अर्ज करना चाहता हूं । इसके औचित्य की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता । हजारों आदमी काम कर रहे हैं और लाखों आदमियों से माल-गुजारी वसूल करनी है । मैंने कभी यह क्लेम नहीं किया कि कभी किसी अमीन या अहलकार से जो करोड़ों आदमियों से डील करते हैं, कभी कोई गलती हुई ही नहीं होगी । मैं नहीं कहता कि गलती यहां हुई है, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिये कि कोई हुई है तो नीचे के अहलकार की हर एक गलती पर ऐडजर्नमेंट मोशन अगर आयेगा तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि काम ही मुश्किल हो जायगा । अगर इसमें कहीं गवर्नमेंट की नीति का सवाल हो, कोई पब्लिक इंटेरेस्ट की बात ऐसी हो गयी होती तो उस पर एडजर्नमेंट मोशन किया जाता, लकिन एक राजकर्मचारी की एक गलती पर यही हो सकता है कि उचित कार्यवाही की जाय और सजा दी जाय अगर गलती साबित हो जाय । इसलिये मैं समझता हूं कि यह एडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं हो सकता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा कि अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस जिस दिन होगी उस रोज तो उसी सम्बन्ध में बहस हो सकती है, उस दिन केवल इसी विषय पर बहस नहीं की जा सकती। उसके अतिरिक्त अगर आप कोई दूसरा दिन इसके लिये निश्चित करें तो अच्छा हो। चकबन्दी और वसूली के सम्बन्ध में जिस किस्म की बातें चल रही हैं उसके लिये यह आवश्यक है कि उस पर विवाद हो जाय। जहां तक माल मन्त्री जी ने कहा कि एक जगह घटना घटी तो उसकी अर्जेंसी डेफिनिटनेस और इम्पार्टेंस को देखते हुए, यह आवश्यक है कि जरूर उस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सवाल है तो कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में तो मैं इसको नहीं ले सकता हूं। अनुदानों के दिन कोई खास ऐसी जरूरत महसूस हो कि बगैर बहस किये कोई बड़ा भारी खतरा पैदा होने वाला हो तो बात दूसरी है और मैं ऐसी अवस्था में कामरोको प्रस्ताव को उपस्थति करने की इजाजत दे सकता हूं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत इस विषय में नहीं दिखाई देती। सिर्फ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि ऐसी जो ज्यादतियां कहीं-कहीं हुई हैं उन पर किसी रोज चर्चा हो जानी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय माल मन्त्री के पास जब वहां की रिपोर्ट आ जाय तो किसी रोज वह अपनी सूचना सदन को दे दें और सूचना देने के बाद, मैं समझता हूं, कि घंटा दो घंटा दे दिया जाय किसी दिन, तो माननीय सदस्यों को जो सुझाव देने हैं, वह दे सकेंगे और कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकेंगे। लेकिन मैं कामरोको प्रस्ताव के रूप में इसको नहीं ले रहा हूं। एक नियम १७२ भी है, उसके अनुसार किसी विषय पर बहस हो सकती है जिसमें कोई गवर्नमेंट पर लांछन लगाकर बहस की मांग नहीं की जाती बल्कि महत्व का विषय होने से बहस चाही जाती है। इस सम्बन्ध में चूंकि कई कामरोको प्रस्ताव अब तक आ चुके हैं, जिन्हें मैंने नामंजूर कर दिया हैं परन्तु जो शिकायतें आ रही हैं उनसे यह विषय ऐसा मालूम होता है कि उस पर दोनों ही तरफ से प्रकाश पड़ जाना चाहिये। यह नहीं कि केवल गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाश पड़े बल्कि जो विरोधी दल के लोगों को कहना है वह भी कह सकें और जो कुछ तहकीकात की गयी है उसकी जानकारी वह लेना चाहते हों तो वह उन्हें दी जा सके। इस प्रस्ताव के लिये अनुमति मैं नहीं देता हूं परन्तु माननीय सदस्य फिर से १७२ में मुझे नोटिस दे दें तो मैं बहस के बारे में विचार करूंगा। तब तक जानकारी माल मन्त्री हासिल कर सकते हैं और सदन को हासिल करा सकते हैं।

बाराबंकी जिले के गांवों में आग लगने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दो कामरोको प्रस्ताव और हैं। उनको तो मैं मंजूर नहीं कर रहा हूं, न सुना रहा हूं। सिर्फ उस विषय में इतना बता देता हूं कि बाराबंकी में दो-तीन गांवों में आग लगी। माननीय प्रस्तावक का कहना यह है कि सरकारी अधिकारियों ने कोई उसके लिये कार्यवाही नहीं की। इससे सरकार से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं आता और यह भी प्रस्ताव में निश्चित नहीं कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को कोई रिपोर्ट की गयी थी या नहीं और उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्यवाही की या नहीं की। प्रस्ताव में कुछ भी इसका जिक्र नहीं है, सिर्फ किसी गांव में आग लगने के बाद सरकारी अफसरों द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसी गोल बात कही गई है जो कि कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मजीठा गांव में आग लगी।

श्री अध्यक्ष—कृपया आप बैठिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पटेश्वरीप्रसाद गुप्त द्वारा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके बाद श्री अब्दुलरऊफ लारी साहब का एक कामरोको प्रस्ताव है। कोई श्री पटेश्वरीप्रसाद गुप्त अनशन कर रहे हैं इसलिए कि फलां जगह पर शराब की कोई नयी दुकान न खोली जाय। तो उनके अनशन से जो परिस्थिति पैदा हो गयी है यह विषय कोई कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को किसी जगह शिकायत है और वह सत्याग्रह करने लगे तो वह सार्वजनिक महत्व का विषय मुझे दिखायी नहीं देता है। इस तरह से तो मैं समझता हूं कि रोजाना सुबह से शाम तक सदन म यही झगड़े आया करेंगे।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, व्यक्ति का सवाल नहीं है, वह तो यूनिवर्सिटी का सवाल है। तीन साल पहले वहां से आबकारी की दुकान उठ गयी थी.....

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, लेकिन अनशन तो पटेश्वरीप्रसाद जी कर रहे हैं। वे एक व्यक्ति हैं।

श्री अब्दुलरऊफ लारी—लेकिन वह एक पब्लिक वर्क है, पब्लिक की परेशानी की वजह से करने जा रहे हैं।

अगले सप्ताह के कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्रीजी कृपा करके इस हफ्ते का कार्य-क्रम बता दें। वैसे सूचना तो दे दी गयी है २६ तारीख तक के कार्यक्रम की और २७ तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल है और २८ तारीख को, मैं समझता हूं, असरकारी दिन है। इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो कोई नयी सूचना देने की आवश्यकता नहीं। वही कार्यक्रम रहेगा जो पहले बता दिया गया है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा। इसमें अनुदान संख्या ९, १० और ४४ एक साथ प्रस्तुत किये जायंगे। यह निश्चय हो चुका है कि कल ३ बजे तक इनके ऊपर वाद-विवाद होगा। अनुदान संख्या ११, २४, २५, ३८ और ४८ पर विवाद नहीं होगा, इसलिये मैं उचित यह समझता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी को कोई आपत्ति न हो तो वे पहले इन अनुदानों को उपस्थित कर दें और इनके ऊपर मैं राय ले लूंगा। इसके बाद सिंचाई मंत्री जी के अनुदान शुरू हो जायंगे। वे कल ३ बजे तब चलेंगे और ३ बजे के बाद से अनुदान संख्या २७ परसों शाम तक चलेगा।

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ३१,६३,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिय स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८--अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ३१,६३,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,७४,६२,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्षक ४१--विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,७४,६२,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री धर्मसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--के अन्तर्गत १,५०,०२,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क --के अन्तर्गत १,५०,०२,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--लेखन सामग्री और छपाई--लेखा शीर्षक ५६--लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १,२९,६३,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल परम्परा के बारे में आप से यह निवेदन करना था कि जब वित्त मंत्री जी सदन में मौजूद हैं तो उचित नहीं होगा कि उप मंत्रीगण या सभा सचिव मांग पेश करें । उनकी अनुपस्थिति में तो ठीक है कि वह पेश करें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यहां की परम्परा यह नहीं रही है। यह जरूर है कि कोई न कोई मंत्री या उपमंत्री या सभा सचिव उनके विभाग का अनुदान उपस्थित करता रहा है, लेकिन यह कभी नहीं रहा है कि जब माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित हों तो हर एक अनुदान वही उपस्थित करें। यह कोई आवश्यक बात नहीं रही है और न है।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—लेखन-सामग्री और छपाई—लेखा शीर्षक ५६—लखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १,२९,६३,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत—स्थापना व्यय को छोड़कर

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत—स्थापना व्यय को छोड़कर—लेखा शीर्षक ८१-क—के अन्तर्गत १०,३६,१०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत—स्थापना व्यय को छोड़कर—लेखा शीर्षक ८१-क—के अन्तर्गत १०,३६,१०,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९—ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य—अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८—सिंचाई स्थापना पर व्यय तथा अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख—के अन्तर्गत ४,१८,६९,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ३,७८,८३,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ७,८०,०१,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि इस वर्ष जो आपने नई पद्धति कायम की है, जिसमें तीनों अनुदानों को एक साथ ले लिया गया है, इससे सभी माननीय सदस्यों को बड़ी आसानी होगी, क्योंकि पिछले साल तक एक-एक अनुदान पर माननीय सदस्य जब बोला करते

थे तो अपनी पूरी बात नहीं कह पाते थे। मुझे आशा है कि यह पद्धति आगे भी चलती रहेगी।

बजट लिट्रेचर और जो पुस्तिका हमारे विभाग की तरफ से बांटी गई है उसमें करीब-करीब सारी बातें दी गई हैं और माननीय सदस्यों ने उसको देखा भी होगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो पुस्तिका बांटी गई कुछ प्रारम्भिक दिक्कतों की वजह से उसकी दुरुस्ती में देर हुई। इसी वजह से उसके बंटने में देर हुई। अगर वह एक रोज पहले बंट जाती तो माननीय सदस्यों को पढ़ने में आसानी होती। बहरसूरत मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इसके बावजूद भी जो यह तीनों अनुदान हैं इनके बारे में संक्षिप्त में, थोड़ा-थोड़ा कह दूं ताकि माननीय सदस्यों को कुछ अधिक जानकारी हो जाय।

अनुदान संख्या ९ में, जो हमारे प्रदेश में सिंचाई का कार्य करने के लिये साधन बने हुये हैं, उनके रखरखाव, उसमें कोई नयी तरक्की की जाय या कोई सुधार किया जाय, इन सब के लिये रकम शामिल है। इसमें जो जिलों की चालू नहरें हैं, जो चालू ट्यूबवेल्स हैं, उन पर जो बिजली का खर्चा होता है, जो हमारे यहां बाढ़ के पानी की निकासी के ड्रेन्स बने हुये हैं, जो बाढ़ से बचाव के लिये काम बने हुये हैं, जो अन्वेषणालय रुड़की में खुला हुआ है इन सब का खर्चा इस अनुदान में दिया गया है। आप देखेंगे कि इस साल और पिछले साल के खर्चे में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। पिछले साल ४ करोड़ ३१ लाख से अधिक रकम रखी थी और इस साल भी ४ करोड़ १८ लाख की रकम इसके लिये है। यद्यपि मुझे इसमें सन्देह है कि जो रुपया इस अनुदान के अन्तर्गत इस साल रखा गया है, उसमें शायद हमारे रखरखाव का काम पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन वित्त विभाग की बड़ी मुश्किल है। इस वजह से विभाग के काम को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जो रुपया हमको मिला है उससे हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसके अन्दर अपने काम को पूरा करें। यदि इसमें हमारा काम पूरा नहीं होगा तो फिर आगे आपके सामने अपनी मांग supplementaries के द्वारा रक्खेंगे।

माननीय, मोटे तरीके से अपने प्रदेश में जो सिंचाई का काम है उसको हम तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई का काम जिस समय से चल रहा है सम्भवतः दुनिया के किसी मुल्क में इतने दिनों से काम शुरू न हुआ होगा। सन् १८३० में सब से पहले पूर्वी जमुना कैनाल बनी। उस समय यू० पी० और पंजाब मिले हुये थे। उसके बाद १९ वीं शताब्दी के खत्म होते-होते करीब-करीब जितने हमारे बड़े काम हैं, जमुना कैनाल, ऊपरी गंगा कैनाल, निचली गंगा कैनाल, आगरा कैनाल यह सब बड़े काम उस समय तक बन चुके थे। उस समय सस्ते का जमाना था केवल ९ करोड़ रुपये की लागत से २५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये व्यवस्था हुई थी। उसके बाद कुछ ज्यादा गिरानी हो गई और सन् १९४६ तक यहां के जो और काम हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र की सिंचाई के लिये शारदा कैनाल की योजना बनी। इसके साथ-साथ एक नई स्कीम चालू हुई और गंगा की नहर से बिजली का काम लिया जाने लगा और वहां खासतौर से हाईड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स बने। जब उससे बिजली बनी तो उसका इस्तेमाल बिजनौर की कैनाल का पानी उठाकर नहर निकालने के लिये किया गया। उस जमाने में जो चीफ इंजीनियर सर विलियम स्टैम्प रहे उन्होंने नलकूप का काम अपने प्रदेश में चलाया। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि नलकूप योजना भी भारतवर्ष में सब से पहले हमारे प्रदेश में ही चली। सन् १९२८ से लेकर आज तक उस में दिन ब दिन उन्नति ही होती चली जा रही है और अब तो हमारे यहां हजारों ट्यूबवेल हैं और लगभग हर जिले में देखने में आते हैं। यह काम भी साढ़े १७ करोड़ रुपये में हुआ और इस से २५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था हुई।

[श्री राममूर्ति]

सन् ४६ के बाद हमारी नीति में परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों के समय में सिंचाई का काम उन्हीं इलाकों में शुरू किया गया जहां पर पानी का इस्तेमाल अच्छा हो और वहां जो पूंजी लगे उस पर निर्धारित सूद आमदनी के तौर पर मिल जाय। इस नजरिये से वह सारा काम किया गया, लेकिन स्वराज्य के बाद हमारी नीति में परिवर्तन हुआ और हमने तिजारत की नीति छोड़ कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की दृष्टि से हर जिले के अन्दर सिंचाई के काम शुरू किये। आप देखेंगे कि इन १५ सालों के अन्दर सिंचाई के अन्तर्गत प्रायः उतना ही काम हुआ है जितना कि पिछले ११५ सालोंमें हुआ था और खर्च का अनुपात भी ठीक रहा। मेरा खयाल है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते-होते हम इसके दूने टार्गेट तक पहुंच जायंगे। यानी १९४६ में हमारा सिंचाई विभाग ६८ लाख एकड़ जमीन को सिंचाई कर पाता था, इरिगेबिल एरिया ६८ लाख एकड़ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इरिगेबिल एरिया करीब १३६ लाख एकड़ हो जायगा।

अब इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में सारी एग्री-कल्चरेबिल लैंड करीब ५ करोड़ ६० लाख एकड़ है और उसमें ४ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है कि जिस पर खेती का काम हो रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक हमारा इरीगेबिल एरिया करीब १०६ लाख एकड़ से कुछ ज्यादा हुआ है। यह कहा जाता है कि जितने पानी का इंतजाम हमने किया है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में भी मैं आप के द्वारा अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि जब किसी नये इलाके में नहर खोली जाती है तो चूंकि लोग उस कार्य से वाकिफ नहीं रहते हैं या यूं कहिये कि वे वाटर माइन्डेड नहीं होते, इसलिये उस पानी का इस्तेमाल करने में उनको कुछ समय लग जाता है। हां, यह कहा जा सकता है कि करीब ८ या १० साल में उस सारे पानी का पूरा इस्तेमाल वहां हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने २८ या २९ लाख एकड़ को पानी अधिक पहुंचाया और मैं समझता हूं कि ७ या ८ साल और लगेंगे कि जब हमारे सारे पानी का पूरा इस्तेमाल हो सकेगा। इसलिये हम उसके चैनल्स भी आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ाते हैं। यानी ज्यों-ज्यों पानी का इस्तेमाल बढ़ता जाता है उसी तरह से हमारी चैनल्स बढ़ती जाती हैं।

एक बात मैं इसी सिलसिले में और अर्ज करूंगा कि पिछले जमाने में हमने उन तमाम नहरों को जो पुरानी हो गयी थीं, लिया और उन पर अजसरेनो काम किया। जैसे जमुना कैनाल, आगरा कैनाल, मांट ब्रांच और शारदा हेड वर्क्स। इन सब में जो खराबी थी उसे ठीक किया और जो पानी बरबाद होता था उसकी बचत की है और उसके बाद जितना पानी पहले दिया जाता था उस से ज्यादा पानी आज दिया जाता है। इस बात का भी खयाल विभाग को रहा कि लड़ाई के बाद जब स्वराज्य आया तो लोगों की माली हालत अच्छी थी, उसके आधार पर खुशहाली बढ़ी और साथ ही जन संख्या भी बढ़ी, लेकिन लड़ाई के जमाने के बाद मुल्क की खाद्य अवस्था कुछ ऐसी बिगड़ी कि गल्ला बहुत कम होने लगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता हुई कि सारे प्रदेश के लोगों के अन्दर वह साधन पैदा कर दिये जायं और ऐसी भावना पैदा कर दी जाय जिससे लोग खेती करने में और ज्यादा दिलचस्पी लें और ज्यादा इंटेंसिव वर्क करें जिससे हमारी गल्ले की पैदावार बढ़े। हर जिले के अन्दर जहां तक मुमकिन था ट्यूबवेल्स बनाये गये और विशेषकर पूर्वी जिलों में जहां पहले सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। इन १५ साल के अन्दर आप किसी जिले में जायं तो देखेंगे कि वहां सिंचाई का व्यापक काम हुआ है, लोग समझते हैं और उनको सन्तोष है कि उनके यहां सिंचाई का काम हो रहा है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ में जब हमारे हाथ में यह विभाग आया था तो उस वक्त १७,८२४ मील लम्बे चैनेल्स थे और १८४७ ट्यूबवेल्स काम कर थे। इस आधार पर १७ परसेंट जमीन को पानी मिलने का साधन था। हमारे यहां पिछले जमाने में कितने ही अकाल हुए, अन्न की कमी हुई और साथ ही साथ बाढ़ का जोर तो हर साल

ही रहा करता है। कई कमीशन सरकार की तरफ से बैठे, उनकी रिपोर्ट यह थी कि यदि प्रदेश के अन्दर ३५-४० प्रतिशत जमीन के लिये पानी का इन्तजाम हो जाय तो फिर इस प्रदेश के अन्दर गल्ले की कमी नहीं हो सकती। हमारे सामने वही लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को सामने रख कर हम अपना काम कर रहे हैं। सन् १९४६ से ५१ तक बड़ी गड़बड़ी का जमाना रहा और उस बीच में कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उस जमाने में १० लाख एकड़ इर्रीगेबिल एरिया बढ़ा। उसके बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, जिसमें लगभग ३२ करोड़ ३५ लाख रुपया खर्च हुआ, लगभग २२ हजार मील अधिक लम्बे चैनेल्स हमारे प्रदेश में बने और ५,१६३ ट्यूबवेल्स बने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इन दो सालों में, बाकी और काम हो रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब ३५ करोड़ रुपया हमको मिला है जिसके आधार पर हम अपने काम को चला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते, जो हमारा लक्ष्य है, साढ़े १४ लाख एकड़ को पानी मुहइया करने का, वह पूरा हो जायगा। इतना ही नहीं, जिस प्रगति से काम हो रहा है, उसके लिहाज से तो जितना हमारा टार्गेट है, वह हम ४ साल में ही पूरा कर लेंगे क्योंकि तीसरा साल खत्म होते-होते हम २४ करोड़ रुपया खर्च कर लेंगे और इस तरह से चौथे व पांचवें साल के लिये हमारे पास ११ करोड़ रुपया ही रह जायगा जिसको हम चौथे साल में ही खर्च कर सकते हैं। तो पांचवें साल के लिये हमारे पास बहुत कम रुपया रहेगा। चूंकि प्लान की सीलिंग है, हर विभाग के लिये रुपया निर्धारित कर दिया गया है, यह हमारे लिये कठिनाई और दिक्कत की बात है। वैसे इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हम रामगंगा प्रोजेक्ट के काम को बहुत तेजी से चलाना चाहते थे, लेकिन उसके लिये केवल साढ़े ४ करोड़ रुपया ही हमारे हाथ में है। तो ऐसी हालत में उस काम की इच्छा के अनुसार प्रगति होती नजर नहीं आती, परन्तु इस उम्मीद में हम अपने काम को तेजी से चला रहे हैं कि अक्सर विभागों के पास रुपया बच जाता है, वह पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, सम्भवतः यह बचा रुपया हमें मिल जाय, साढ़े ४ करोड़ के बजाय हमको १०-११ करोड़ रुपया मिल जाय तो हम अपना बहुत कुछ काम पूरा कर सकेंगे मुझे उम्मीद है कि जो कुछ बाकी काम रहेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरु में ही पूरा हो जायगा, लेकिन यह खयाल ही है, उम्मीद की बात है, कोई निश्चित रूप से बात नहीं कह सकता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—शारदा प्रोजेक्ट के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जैसा कि श्री प्रतापसिंह ने शारदा प्रोजेक्ट का जिक्र किया, उसका काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायगा। उस प्रोजेक्ट पर जो काम हो रहा है वह सन्तोषजनक है। वहां तेजी से काम करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिन इलाकों के लिये वह प्रोजेक्ट तैयार है उसकी जरूरत के अनुसार संतोषजनक काम हो रहा है। जहां तक नानक सागर का काम है वह अगले साल समाप्त हो जायगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, वैसे तो यहां पर आबादी बहुत घनी है और उसी की वजह से हमारे प्रदेश में बेकारी भी बहुत है, गरीबी भी बहुत है और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। जब तक हम यहां पर अधिक कल-कारखाने नहीं कायम कर लेते उस वक्त तक के लिये जरूरी है कि जीवकोपार्जन के जो साधन हैं जिनमें से खेती बाड़ी हमारे यहां प्रमुख है उस के लिये पानी का, अच्छी खेती का, कंसालिडेशन आदि का काम हो और जो हमारी योजनायें हैं उन को चलाकर हम अपने यहां अधिक अन्न उपजाने की कोशिश करें ताकि हमारे यहां बाहर का अन्न आना बन्द हो जाय और फारेन एक्सचेंज में भी हमें सहूलियत हो और लोगों की आय बढ़ सके। हमारे यहां आबादी इतनी ज्यादा है कि उसके अनुपात में हमारे यहां जमीन बहुत कम है इस कारण से हम जमीन पर और ध्यान दें जिससे थोड़ी जमीन पर अधिक अन्न उपजे। इसी से हमारी समस्या का हल होगा।

[श्री राममूर्ति]

एक बात इस सम्बन्ध में और कहूंगा कि इस विभाग का ताल्लुक पानी के रखरखाव से है और जितना पानी नहर और ट्यूबवेल आदि से दिया जाता है उसको एक निश्चित समय में हो सब को जरूरत होती है और सब चाहते हैं कि उनको वक्त पर पानी मिल जाय ताकि उस का सही लाभ उठाया जा सके। पानी हर समय इतनी मात्रा में नहीं होता और अक्सर किसान लोग गलत तरीके अख्तियार करने पर तैयार हो जाते हैं, यह कमजोरी सभी मनुष्यों में है। मैं इसको दोष की नजर से नहीं देखता। इस तरह की शिकायतें भी आती हैं और हम उन पर हल्की होने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि कोई अनुचित बात न करे। अधिकारों का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं, तम्बीह भी की जाती है, परन्तु हम चाहते यही हैं कि पानी का बटवारा ठीक से हो और यह विभाग लोकप्रिय बने, क्योंकि आम जनता का इससे वास्ता है। बहरहाल हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को शिकायत न हो।

इसके बाद अनुदान संख्या १० है। इसका ताल्लुक विभाग के जो अफसरान हैं और उनका जो स्टाफ है उनसे है। इस में रेवेन्यू स्टाफ भी शामिल है जो नहर की आबपाशी वसूली का काम करता है जैसे अमीन हैं, पतरोल हैं और जिलेदार वगैरा हैं। अब दिन प्रति दिन हमारे कार्य बढ़ रहे हैं, पहले हम केवल सिंचाई विभाग का काम करते थे, लेकिन अब हम बाढ़ का भी काफी तादाद में काम करते हैं, बहुत बड़ा काम हम बिजली विभाग का करते हैं, लगभग साढ़े ५ करोड़ का हम बिजली का काम इस वर्ष भी कर रहे हैं और प्लानिंग विभाग का भी हम १ करोड़ के करीब काम करते हैं। साथ ही जहां पहले नहरों, ट्यूबवेल्स और ड्रेन्स का काम था वहां पिछले ३ साल से बाढ़ के सम्बन्ध में भी एक बहुत बड़ा काम छिड़ा हुआ है। पहले तो केन्द्रीय सरकार से इस बात का आश्वासन मिला था कि करीब २५-३० करोड़ रुपये का काम बाढ़ के सिलसिले में हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रुपये की कमी हुई इस कारण वह रकम १० करोड़ कर दी गयी और कुछ ऐसी बदकिस्मती हुई कि वह १० करोड़ जो था उसमें से १ करोड़ और कम हो गया, लेकिन फिर भी हमने इन तीन सालों के अन्दर करीब ८ करोड़ रुपये का काम किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले दो करोड़ रुपये का ज्यादा काम किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९ करोड़ और मिला है जिसमें करीब ६ करोड़ रुपये का काम साल के आखिर तक हो जायगा और ३ करोड़ रुपया रहेगा इस मद में। अगर हमें केन्द्रीय सरकार से ज्यादा रुपया मिले तो हम और भी काम कर सकते हैं।

बाढ़ हमारे प्रदेश में बड़ा भारी अभिशाप है। पूर्वी जिलों में करीब ४ हजार स्क्वायर माइल्स के अन्दर इसका प्रकोप हुआ करता है जिससे हजारों गांवों में बड़ी भारी तकलीफ हुआ करती है। करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है, लोगों के रहने-सहने की बे इंतहा तकलीफ होती है। यह दिक्कतें पिछले जमाने में पूर्वी जिलों में ही थीं, लेकिन अब पिछले दो तीन सालों से ऐसा हो गया कि पश्चिमी जिलों के अन्दर भी यह अभिशाप दिखाई देने लग गया है। उसके लिए हमने कोशिश की है कि कुछ ड्रेंस बनाये जांय जिनके जरिये पानी का निकास अच्छा हो जाय। इस सम्बन्ध में एक बात यह बता देना चाहता हूं कि हमारे विभाग में करीब २५ या २६ हजार आदमी काम कर रहे हैं, अफसर और उनके नीचे का स्टाफ जिसमें बजाय चार के तीन चीफ इंजीनियर हैं, २३ सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर्स हैं जिसमें एक रिहंद डैम के सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहे हैं। बाकी २२ सर्किल हैं जिनमें यह लोग काम कर रहे हैं। इन सब इंजीनियर्स को मिला कर ६०० इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से स्थायी हैं, कुछ अस्थायी भी हैं। ज्यों-ज्यों काम पूरे होते जाते हैं उनको स्थायित्व मिलता जाता है, बाकी सब टेम्पोरेरी बेसिस पर चल रहे हैं।

आखिरी अनुदान संख्या ४४ कैपिटल एक्सपेंडीचर से ताल्लुक रखता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया अब हमारे पास कोई नई योजना चलाने के लिए नहीं है। जो योजनाएं चल रही थीं जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, जिससे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं, करीब-करीब इस साल में सब समाप्त हो जायगी क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में समाप्त नहीं हो

सकी थीं। जो काम बाकी रह गये वह इस साल के आखिर तक समाप्त हो जायेंगे। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है वह भी आगे चलती रहेगी जिसमें से माता-टीला का दूसरा चरण, नानक सागर, शारदा सागर का दूसरा चरण, तुमारिया जलाशय, मेजा जलाशय, रामगंगा का काम, ये काम हैं। उसके साथ ही साथ हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५ सौ ट्यूबवेल की भी योजना है जिसमें इन दो सालों में हमने ६६० ट्यूबवेल्स का काम लिया है। इन ६६० नलकूपों पर काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल यह काम पूरा हो जायगा।

साथ ही साथ ५० लाख रुपये की लागत से हमारे यहां तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये नये कामों की खोज हो रही है। सारे प्रदेश के अन्दर यह काम है ताकि हम पहले से ही योजनायें तीसरी योजना के लिए तैयार कर लें, उनके डिटेल्ड एस्टीमेट्स बन जाने पर उनकी केन्द्रीय सरकार के जरिये जांच पड़ताल होगी ताकि हमारे अगले काम में कोई दिक्कत न हो और समय के अन्दर हम अपना काम चालू कर सकें।

करीब ४० लाख रुपये ड्रेनेज में भी खर्च कर रहे हैं ताकि जो बाढ़ का पानी है जहां जमीन समतल है, विशेषकर पश्चिमी जिलों की वहां पर हम उन ड्रेन्स को बनाकर और पुलों को चौड़ा करके पानी को समय से निकाल दें। एक हमारी दिक्कत और है। दोहरीघाट और टांडा पम्प कैनाल बनकर तैयार है, लेकिन चूंकि फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता उसकी वजह से हमारे पम्प अभी तक लग नहीं पाये हैं। कुछ थोड़ा-सा रुपया मिला है जिससे थोड़ी कंपेसिटी के पम्प आ रहे हैं, लेकिन पूरी कैपेसिटी के पम्प नहीं आ रहे हैं। इससे हम लोगों को भी बड़ा दुख है और तमाम जनता दुखित होती है जब वह देखती है कि कैनाल तो बनकर तैयार है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। हम कुछ और कर भी नहीं सकते सिवाय इसके कि बार-बार केन्द्रीय सरकार के पास दरख्वास्त भेजते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा रुपया मिले।

एक आखिरी बाढ़ का महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें भी बड़ा सन्तोष-जनक कार्य हुआ है। ५ हजार गांव ऊंचा करने का प्रश्न है जिसमें से ३ हजार ५ सौ गांव तो ऊंचे उठा दिये गये। कुछ पर काम चल रहा है और कुछ थोड़े से गांव बाकी रह गये हैं। पश्चिम के जिलों में भी कुछ गांवों को ऊंचा उठाने की जरूरत है। वह भी उठाये जायेंगे। कई सौ मील लम्बे एम्बैंकमेंट हमने तैयार किये हैं। इसी जमाने में वहां कच्ची सड़कें हमने बनवा दीं, रेगुलेटर बनवाये। बहुत से हमारे शहर ऐसे थे जैसे बनारस या राजापुर, कनखल, अलीगढ़, बलिया आदि इनके रक्षार्थ भी काम किये गये हैं। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर काम चल रहा है। यह मोटे तौर से वह योजना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली है। उसमें से कुछ हम ले रहे हैं और मुझे इस बात की आशा है कि उसमें हमें इस प्रदेश के रहने वालों का सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर हमारे इस आदरणीय सदन के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने पिछले सालों में हर प्रकार का सहयोग सिंचाई विभाग के लिये प्रदान किया है। मैं उनका सबका, बड़ा आभारी भी हूं। इसी प्रकार से यदि उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने समय से पहले ही पूरी हो जायगी।

एक बात कहने को रह गई। अभी हमारे दोस्त अल्मोड़ा के मेरी तरफ देखने लगे तो मुझे फौरन उसका ख्याल आया। पहाड़ के इलाके के बारे में मैं जिक्र करना भूल गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में १०० मील नहरें चारों पहाड़ी इलाकों में बनाने के लिये ५० लाख रुपया रखा गया था। उसमें से करीब ४५ लाख रुपया खर्च भी हो गया था और जो बाकी रह गया था वह पिछले साल में पूरा हुआ। अब जो दूसरी योजना चल रही है, उसमें करीब

[श्री राममूर्ति]

९ हजार एकड़ की सिंचाई के लिये ५० लाख रुपये से काम करना है । इसमें हमने देहरादून का जिला भी शामिल कर लिया है, क्योंकि उसका भी बहुत-सा हिस्सा पहाड़ी है । इस तरह से ५० लाख रुपये की लागत से हम इन जिलों के अन्दर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि करीब-करीब २० मील लम्बी चैनेल हम हर जिले के अन्दर बना लेंगे तो हमारा यह काम भी पूरा हो जायगा । इसी तरीके से बुन्देलखंड और मिर्जापुर का जो रीजन है, जहां पर जमीन बड़ी पथरीली है, पानी की बड़ी कमी है, वहां जगह-जगह जलाशय बनाकर पानी का प्रबन्ध किया गया है । इस तरीके से वहां पानी की सुविधा पहुंचायी गयी है ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---लखीमपुर जिले के लिये भी कोई नया निर्माण हुआ है ?

श्री राममूर्ति---लखीमपुर जिले में तो बहुतेरे काम हो रहे हैं । उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं चाहता हूं कि हमारे साथी सदस्य अपने विचार इन अनुदानों के सम्बन्ध में व्यक्त करें । मुझको बड़ी खुशी होगी जो कुछ वह कहेंगे उसको बड़े गौर से सुनूंगा और नोट करूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो उनके सुझाव होंगे उनके ऊपर अमल किया जा सके जिससे सब आदमियों को सहूलियत मिले तथा देश की जनता को सुख पहुंचे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय, आज दुर्भाग्य से प्रश्नों के समय उपस्थित नहीं था, लेकिन उनके छपे हुये उत्तर भी नहीं मिले । अगर भिजवा दिये जायेंगे तो कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आप दफ्तर में पूछें ।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ९, १० और ४४ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं । आज जो अनुदान सदन के सम्मुख पेश हुआ है वह सिंचाई का है जो बहुत महत्वपूर्ण है । जब देश की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हमारे प्रदेश में करीब-करीब ७५ फीसदी आदमी खेतिहर हैं और जबकि हमारे यहां अन्न की हर साल कमी हो रही है, विदेशों से लाखों टन गल्ला मंगाया जा रहा है ऐसे अवसर पर पंचवर्षीय योजना में यह जरूरी है कि सिंचाई का काम तेजी से बढ़ाया जाय । पिछले कुछ वर्षों में काम हुआ है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन गत वर्ष सिंचाई का काम हमारे सूबे में कुछ ढीला पड़ा है । खास करके हम लोग पूर्वी जिलों में देख रहे हैं कि कुछ काम ठप है । पता नहीं किस कारण से । इस वर्ष जो अनुदान है वह भी करीब-करीब पहले से बढ़ा नहीं बल्कि कुछ कम ही है और अब तक प्रदेश में जितने एकड़ पर खेती होती है वह करीब ४०१ लाख एकड़ है उसमें सिंचाई का प्रबन्ध केवल ३० परसेंट में ही कर सके हैं । यह सरकारी आंकड़े सिद्ध करते हैं । जब अन्न का इतना अभाव है, हर साल जन संख्या बढ़ रही है और देश की अन्न पैदवार में बढ़ोत्तरी काफी नहीं हो रही है, ऐसे अवसर पर सिंचाई की मद में कटौती करना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता । पता नहीं योजना आयोग द्वारा, जिसने खुद यह लक्ष्य रखा था सरकार के सामने कि कम से कम दुगना सिंचाई का प्रबन्ध होना है, उसमें क्यों कटौती की गई? यह तो प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार जाने । किन्तु जरूरत इस बात की है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई का काम तेजी से हो ।

माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या ९ रखा है जिसमें उन्होंने कहा कि पुरानी नहरों वगैरह पर पश्चिमी जिलों में जिनका काम हो रहा है उस पर बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कागजों में तो दिखाया जाता है कि कमान्ड एरिया बहुत है, ट्यूब वेल से, नहरों से बहुत काफी एरिया कमान्ड होगा, लेकिन वास्तव में सिंचाई कम होती है और किसानों को , चाहे पूर्वी जिले के हों या पश्चिमी जिलों के, यह शिकायत होती है कि पानी समय पर नहीं मिलता है । शारदा सागर रिजर्वायर को छोड़कर बाकी जितनी

जगहें हैं वहां पर कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ती तब तक आप कागज में कितना ही कमान्ड एरिया दिखायें उसके अनुसार पानी नहीं मिलेगा। और इस वक्त हम और आप इस बात की शिकायत करते हैं कि यहां जमीन पर आबादी बढ़ रही है, माननीय मालमंत्री जी कहते हैं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन होना चाहिये। जब हम लोग जमीन के बटवारे की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि इन्टेंसिव कल्टीवेशन होना चाहिये। ठीक है इन्टेंसिव कल्टीवेशन हो, लेकिन वह तब हो सकता है जब अच्छी खाद मिले, सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध हो। अगर यह नहीं होगा तो पैदावार फी एकड़ नहीं बढ़ेगी। इसलिये जरूरत है कि न केवल कमाण्ड एरिया बढ़ाया जाय बल्कि कैपेसिटी बढ़ायी जाय पानी देने की और समय पर पानी देने की। एक बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि जहां नहरें खोदी गयीं और ट्यूबवेल लगाये गये वहां लोग वाटर माइंडेड नहीं हैं। अभी पिछली दफा सूखा पड़ा था, किसान का धान खड़ा था और सूख रहा था। लोग पानी के लिये तरस गये। लोगों का कहना था कि नहरें खोदी गयीं, ट्यूववेल लगाये गये, लेकिन पानी तो मिलता नहीं। इंजीनियर लोग बैठे रहते हैं। वे कहते हैं कि बिजली नहीं है। जनता तो बेचैन थी पानी के लिये और मंत्री जी कहते हैं कि वाटर माइंडेड नहीं हैं। मैं अपने जिले की जानता हूं कि टेलीफोन पर टेलीफोन होते थे कि पानी मिलना चाहिये, लेकिन पानी समय पर नहीं मिलता। पानी आपके पास है नहीं और मंत्री जी कहते हैं कि जनता वाटर माइंडेड नहीं है। इन शिकायतों को दूर करने की जरूरत है।

दूसरी चीज यह है कि अब तक जो कुछ प्रबन्ध आप कर सके वह ३० प्रतिशत जमीन के लिये कर सके। मैं ४० परसेंट भी मानता हूं, लेकिन ६० परसेंट एरिया ऐसा है जो अनइर्रीगेटेड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर १०८ लाख एकड़ की सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिए था जैसा कि आपकी किताबें कहती हैं। सबसे ज्यादा सिंचाई १९५४-५५ में हुई जो ६८ लाख एकड़ थी। सिंचाई का प्रबन्ध इसलिये नहीं हो पा रहा है कि कमांड एरिया के अनुपात से जल का अनुपात कम है। यह बात ४९ के आंकड़ों से सिद्ध होती है। २,६८,००० एकड़ कमांड एरिया सहारनपुर में और इर्रीगेटेड एरिया १०,९७,००० एकड़ है, मेरठ में कमांड एरिया ९,१२,००० एकड़, सिंचाई एरिया ६,१३,००० एकड़ और बुलन्दशहर में कमांड एरिया ७,४५,००० एकड़ और सिंचाई एरिया ५,३४,००० एकड़ है। इसे दूर करने का वही उपाय है जो मैं बतला चुका हूं।

तीसरी बात यह है कि पूर्वी जिलों के लिये दो बड़ी-बड़ी योजनायें दोहरीघाट और टांडा कैनाल्स की हैं। उनमें काफी खर्चा हुआ है। बड़ी-बड़ी नालियां खोद दी गयी हैं। हजारों एकड़ खेत निकल गये हैं, मुआविजा भी नहीं मिला है। यह उम्मीद थी कि ५६ के अन्त तक ये योजनायें पूरी हो जायंगी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुयी हैं। इनके पूरा न होने से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर जोर डाल कर आप फारेन एक्सचेंज हासिल करिये ताकि वहां सिंचाई का प्रबन्ध हो सके।

चौथी चीज यह कहनी है कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि पहले की सरकार तिजारत माइंडेड थी, लेकिन मेरा खयाल है कि यह सरकार तो तिजारत दर तिजारत माइंडेड है। पहले-पहले साल तो बिल्कुल पानी का महसूल नहीं लिया जाता था, कई वर्षों तक बहुत कम महसूल लिया जाता था. लेकिन अब की सरकार २० साल के पुराने रेट पर महसूल ले रही है। कहा जाता है कि ट्यूबवेल खोदे, नहरें खोदीं। बार-बार सत्याग्रह किये गये और सदन में बार-बार कहा गया कि नहर क रेट कम किये जायं, लेकिन कान पर कोई जूं नहीं रेंगी।

[श्री विश्राम राय]

कहा जाता है कि मंहगाई बढ़ गयी है और किसान बढ़ा रेट दे सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर आपको जनता को वाटर माइंडेड करना है तो आप नहर व ट्यूबवेल के वाटर महसूल में जरूर कमी करिये तभी किसान इससे फायदा उठा सकते हैं।

पांचवी बात यह है कि कुओं से काफी काम चल सकता है। माल विभाग की तरफ से कहा गया १७ लाख कुयें सूख गये और काम नहीं आ रहे हैं। जब तक नहरें काम नहीं करतीं और फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता तब तक कुओं से सिंचाई करने की व्यवस्था की जाय। कुओं और तालाबों की उपेक्षा न करें, बल्कि इसमें अधिक से अधिक रकम देनी चाहिये। इस साल जब सूखा पड़ा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई बड़े-बड़े अफसर आये और उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट खुद कुएं-बावली बनवा दे। तो गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे-अच्छे कुएं बना दिये जांय और किसान उसकी कीमत धीरे-धीरे अदा करें। क्योंकि ट्यूबवेल और नहर के जरिये से पूरी सिंचाई आप नहीं कर सकते तो देहाती साधनों पर अवश्य निर्भर रहना पड़ेगा जब इतना पैसा नहीं है। तो कुएं से सिंचाई का काम अच्छी तरह से चले इसके लिये जरूरत है कि सरकार अपनी तरफ से कोई प्रबन्ध करे और इस संबंध में जो तकावी मिलती है उसको ढीला न करें वरना जब आपको फारेन एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा और देहाती साधनों की भी उपेक्षा हो जायगी तो बड़ी मुश्किल होगी।

कुओं का पानी नहरों से तो ज्यादा फायदेमन्द है, क्योंकि देखा गया है उसमें ३·२८ परसेंट मिनरल साल्ट होता है। ट्यूबवेल के कुएं तो ठीक हैं, लेकिन नहर में इस चीज की कमी होती है और उसका पानी ठंडा होता है। तो कुओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। नहर के बारे में सुना है कि पश्चिमी जिलों में ड्रेनेज का इन्तजाम हो रहा है, लेकिन पूर्वी जिलों में तो नहरें खुली हुई हैं और आस-पास कोई पानी निकालने का इन्तजाम नहीं है। जब बाढ़ आती है तो सड़कों और नहरों को काट दिया जाता है। आपके यहां एक नियम यह है कि एक फर्लांग में एक ही पुलिया बनायी जा सकती है, लेकिन बहुत से गांव होते हैं जहां से कई ओर को रास्ता जाता है और पानी का कोई निकास नहीं है। गांव से पशु भी जाते हैं। इसके लिये कई बार एस० डी० ओ० इंजीनियर से कहा जाता है तो वह कह देते हैं कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट कीजिये। तो आवश्यकता है कि वहां सर्वे कराया जाय और जितनी जरूरत हो उसके अनुसार अधिक से अधिक पुल बनाये जायं और ड्रेनेज का अच्छा प्रबन्ध कराया जाय। जितनी जरूरी नहर है, उतना ही जरूरी ड्रेनेज है। वर्ना आप इधर सिंचाई का प्रबन्ध करेंगे और उधर अगर ड्रेनेज ठीक नहीं हुआ तो बाढ़ आकर फसल नष्ट कर देगी।

यों तो सिंचाई का मुहकमा महत्वपूर्ण है, लेकिन बाढ़ विभाग लूट का विभाग है। ओवरसीयर, इंजीनियर सब मनमानी करते हैं। पेमेंट ठीक वक्त पर नहीं करते और वर्क आर्डर नहीं निकालते, गांव वालों को और ठेकेदारों को बहुत परेशान करते हैं। साथ ही गांव पटाई का विभाग भी बिलकुल लूट का मुहकमा हो गया है। उसके संबंध में बहुत शिकायतें आयीं है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, बहुत रुपया नष्ट हो गया। यह अवश्य है कि ३,००० गांव पाटे गये, लेकिन उससे साढ़े चार हजार और पट गये होते यदि उस रुपये का सदुपयोग किया गया होता। जो काम हुआ है उसको कोई अन्दाज और नाप नहीं, बड़ी परेशानी है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि गांव पटाई नहीं हुई है। गांव पटाई हुई हैं, मिट्टी भी पड़ी है, लेकिन काम अधिक हो सकता था और उसमें मनमाना पन भी बहुत हुआ है। कितने ही गांव सभा के प्रधान लोगों की बड़ी उपेक्षा हुई है क्योंकि ओवरसीयर से उनकी पटती नहीं, रुपया पैसा कुछ नहीं मिलता। अगर प्रधान उनका दलाल बन जाय तो ठीक है वर्ना उनको बचत की रकम नहीं मिलती। यह कहा गया था कि जो बचत होगी वह गांव सभा को देंगे, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है, बड़ा

भ्रष्टाचार है। अब यह काम पश्चिमी जिलों में होने जा रहा है, वहां भी ऐसा ही होगा। पूरब में तो यही बात हुई है। बहुत रुपया लूटा गया है। कई इंजीनियरों के खिलाफ शिकायतें हुईं लेकिन सब ठप्प रह गयीं।

अब इसके बाद मुझे दो तीन चीजों पर कहना है कि कर्मचारियों पर जो मेंटेनेंस और दूसरे जो अनुदान हैं उसमें कर्मचारियों के बारे में कहा गया है कि इंजीनियर ५०० हैं, उनकी तनख्वाह तो अधिक है ही, लेकिन पतरोल और आपरेटरों की तनख्वाह बहुत काफी बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि यही इंजिन को चलाने वाले हैं और उनको ठीक वेतन नहीं मिलता तो वह रुपये दो रुपये ले लिया करते हैं और जिस किसान को पानी पहले देना चाहिए उसको न देकर किसी दूसरे को दे देते हैं। तो वहां भी घूस चलने लगी। जब भी कोई नया महकमा खुलता है उसमें नया-नया घूस चलने लगता है। इसको रोकने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। आपरेटर्स के खिलाफ शिकायत है कि वह घूस लेते हैं। इसको रोकने का यही तरीका है कि जिनकी तनख्वाह ५० रुपये है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। अगर कोई मशीन की चोरी हो जाय तो वह भी उसी को देनी पड़ती है। तो ५० रुपये पाने वाला उसको कहां से भरेगा। यह भी सोचने की बात है।

दूसरे नहर का रेवेन्यू इकट्ठा करने के बारे में जो मामले होते हैं उनको जो डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार जिलों में होते हैं वे ही किया करें।

हमें बताया गया था कि रिहन्द डैम जिसकी बड़ी चर्चा है उससे २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, लेकिन अभी सेन्ट्रल जोनल कौंसिल की मीटिंग कुछ महीने पहले हुई जिसमें मध्य प्रदेश के लोग भी थे, उसमें यह तय हुआ कि अब यह वाटर प्रोजेक्ट नहीं होगा और सिर्फ पावर प्रोजेक्ट रहेगा यानी सिंचाई का काम इससे नहीं होगा। तो माननीय मंत्री जी जरा इसको भी सूचना देने की कृपा करें कि इससे सिंचाई होगी या नहीं ?

इन शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

(श्री मदन पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---मेरे पास तो यह इत्तला आयी थी कि आप दीपंकर साहब को बुलाना चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---वह दोपहर के बाद बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष---अच्छा।

श्री मदन पांडेय---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया हुआ अनुदान सिंचाई से संबंधित है और यह ऐसा विषय है जिसमें यदि एक चीज इस विभाग में न हो तो मंत्री जी को मारे बधाई के सांस नहीं मिलेगी और वह है विभिन्न योजनाओं में अपव्यय कहिये, फिजूल खर्ची कहिये या और अधिक सख्त शब्दों में भ्रष्टाचार कहिये। हमारा सूबा कृषि प्रधान है। इसमें सिंचाई योजनाओं की एक लम्बी सूची मंत्री जी ने पेश की है। अन्य वर्षों में जो इस तरह की पुस्तिकायें बंटती थीं उनकी बनिस्बत अबकी दफा की यह पुस्तिका कुछ उचित जंच रही है और अन्य वर्षों की बनिस्बत कुछ अधिक जानकारी भी इसमें है। छोटी, बड़ी योजनाओं की एक लम्बी सूची है। यह सूची जितनी ही लम्बी होगी उतना ही हमारे देश का कल्याण होगा, लेकिन जो सूची अभी तक है उसी के संबंध में और जो कुछ नयी चीजें इसमें बहुत पहले से बढ़ायी जानी चाहिये थीं वे नहीं जोड़ी गयी हैं, उन्हीं के संबंध में दो, चार शब्द मुझे निवेदन करना है।

[श्री मदन पांडेय]

जो मौजूदा योजनायें चालू हैं तथा इसी सदन में समय-समय पर प्रश्नोत्तरों के रूप में तथा माननीय मंत्री जी ने जिन नया योजनाओं की हमें सूचना दी है उनसे संबंधित निवेदन है। हमारे पूर्वी जिलों में घाघरा, राप्ती और गंडक नदियों की जो भीषण बाढ़ें आती हैं उनसे सम्बन्धित बार-बार जो प्रस्ताव विरोधी दल और यदा-कदा ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से भी आते हैं चाहे उनसे प्रभावित होकर या स्वयं अपनी ही योजनाओं के अनुसार ही मंत्री जी कुछ योजनाओं की सूचा हम लोगों के सामने रख चुके हैं जिनमें सबसे बड़ी योजना द्वितीय या तृतीय पंचवर्षीय योजना में गंडक नदी से एक नहर निकालने की है जो मौजूदा नारायणी नहर को तेईसवें मील पर काटती हुई आगे जायगी। इससे गोरखपुर और देवरिया जिलों का जो असिंचित क्षेत्र है वह तो सिंचित होगा ही बिहार में भी उस नहर से लाभ होगा, लेकिन इस योजना को सफलता और इसको कार्यान्वित किया जाना बिहार सरकार के सहयोग पर मुनहसिर करता है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के संबंध में योजनायें केवल कागज पर ही न रखी जायं। उनकी प्रगति के संबंध में जितनी तत्परता वार लेविल पर की जाया करती थी, मेरा आग्रह है कि उसी लेविल पर इस कार्य को करने का प्रयत्न किया जाय।

यह हमारी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है और कहने के लिये हम हिमालय की गोद में बसते हैं, लेकिन हिमालय आज नैपाल में स्थित है और हमारी कोई भी बड़ी और छोटी योजना बिना नैपाल के सहयोग के पूरी नहीं हो पाती हैं। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब नैपाल में जो मंत्रिमंडल बना था तो उसके निकट सम्पर्क में रहने वाले कुछ लोगों के साथ हम लोगों की बात-चीत हुई थी और यह मालूम हुआ कि यदि यू० पी० की सरकार अधिक तत्परता दिखाती और केन्द्राय सरकार के मारफत नैपाल का सहयोग मांगती तो उस समय नैपाल का सहयोग अवश्य मिल जाता, लेकिन इसमें हमारी सरकार की ओर से ढिलाई बरती गई है। एक मेरा निवेदन यह है कि इस ढिलाई को खत्म किया जाय।

दूसरा निवेदन यह है कि जलकुंडी की योजना जिसका सब ने स्वागत किया था और राप्ती की बाढ़ जिससे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि पूर्वी जिलें तबाह हैं, उसके नियंत्रण और बचाव की लोगों को आशा थी, लेकिन १५ करोड़ रुपये की इस योजना को रुपये की कमी की वजह से नहीं बल्कि नैपाल सरकार के सहयोग के अभाव में रोक दिया गया है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको एक्सपीडाइट किया जाय।

सब से बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में और बदकिस्मत पूर्वी जिलों में यह है कि हमारे यहां देर से बारिश शुरू होती है और इसके बाद यकायक उन जिलों में बारिश हो या न हो, लेकिन अगर वहां से ५०० मील दूर तिब्बत में भी बारिश होती है तो यह नदियां बिशाल जलराशि लाकर सारी फसल को पानी से डुबा कर बरबाद कर देती हैं और इसके बाद जब लेट पैडी के लिये पानी की जरूरत पड़ती है तब पानी नदारद हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें। अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं घाघरा, राप्ती नदी घाटी योजना के संबंध में बात कर रहा था। पूर्वी में, जिलों में जहां के लगभग २ करोड़ निवासियों पर उस योजना का असर पड़ सकता है वहां पर सब से बड़ी मुसीबत यह है कि वर्षा देर से शुरू होती है। धान की फसल की बुआई होती है उसमें देर हो जाती है। जब फसलें उगती हैं उस समय तिब्बत में भी अगर कहीं वर्षा हो गई तो वह नदियों के मार्ग से उस सारी फसल को डुबा देती है। इस विपत्ति से बचने के लिये पूर्वी जिलों के लोगों ने नदी घाटी योजना का सुझाव दिया है। इससे

मिलता-जुलता एक सुझाव ३८–३९ में एक इंजीनियर थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने सिंचाई के संबंध में और बाढ़ वगैरा के संबंध में एक सर्वे किया था। उन्होंने भी घाघरा और राप्ती का सर्वेक्षण करके करीब-करीब उसी तरह की योजना का सुझाव दिया था, लेकिन अभी तक वह सुझाव कहीं कार्यान्वित हुआ हो ऐसा नहीं मालूम होता है। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि इस तरह की योजना को लागू करने में १०० करोड़ रुपये का खर्चा है। यह सही बात है, लेकिन अगर इसके लिये १० करोड़ रुपया हर साल खर्च किया जाय तो यह योजना १० वर्ष के अन्दर पूरी हो सकती है और इन जिलों की विपत्ति दूर हो सकती है। इस प्रकार की जो योजना बनाई जायगी वह बहुधन्धी योजना होगी। पानी बाढ़ के समय बान्ध बनाकर इकट्ठा किया जाय, उससे बिजली पैदा की जाय और सूखे के वक्त उस पानी को खेतों में पहुंचाया जाय। जो वहां पर बिजली पैदा हो उससे औद्योगीकरण सम्भव हो सकता है। अभी रिहन्द डाम के विषय में विश्रामराय जी ने बतलाया कि वह योजना शायद हाईड्रो एलेक्ट्रिक न रह कर केवल एलेक्ट्रिक योजना ही रह जाय क्योंकि उससे अलमोनियम के कारखाने को बिजली दी जायगी और सिंचाई के संबंध में जो योजना है वह खटाई में पड़ जायगी। अगर यह हो तब भी और न हो तब भी अगर घाघरा और राप्ती नदी घाटी योजना को लागू किया जाय तो पूर्वी जिलों की विपत्ति दूर हो जायगी। एक चीज रिहन्द डाम के बारे में यह भी सुनने में आई है कि अलमोनियम के कारखाने को जो बिजली दी जायगी वह ४० परसेंट कम रेट पर दी जायगी। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह रियायत प्राइवेट सेक्टर में देते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस सूबे में प्राइवेट सेक्टर को आप ज्यादा रियायत देकर प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिनका संबंध शोषक वर्ग के पूंजीपतियों से है। यदि इस प्रकार की रियायत दी जाती है तो आप केवल प्राइवेट सेक्टर के पूंजीपतियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिनसे अधिक भला इस देश का नहीं होने वाला है। इस संबंध में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसको केवल एलेक्ट्रिक योजना न बनाकर हाईड्रो-एलेक्ट्रिक योजना रहने दिया जाय।

नारायणी नदी के संबंध में यहां पर विवाद हो चुका है। इस संबंध में मैं एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। यहां पर माननीय मंत्री जी से प्रश्न किये गये थे। उसके बाद वहां इंजीनियर भी गये और इस्तफा हुसैन साहब के साथ हम लोग भी उस जगह को देखने गये थे। देखने के बाद हम कंविन्स्ड तो नहीं हुये कि अगर वहां पर बांध बांधा जाय तो उससे बाढ़ का खतरा कम हो जायगा, लेकिन जो इंजीनियरों की राय थी उसके बावजूद भी शिब्बनलाल जी ने उस समय कहा था पता नहीं माननीय मंत्री के पास वह रिपोर्ट आई या नहीं कि इस सरकार के पास या देश में बहुत तजुर्बेकार इंजीनियर हैं उनको भेजकर वहां देख लेना चाहिये और किसी तरह से रिस्क नहीं लेनी चाहिये। एक मेरा यह सुझाव था कि उसको छानबीन कर लेनी चाहिये। दूसरे नारायणी नहर और नदी के बीच कुछ ऐसी जमीन है कि जो पहले से किसानों के कब्जे में थी और फसल बोई जाती थी अब एक ऊंचा बांध नहर के किनारे-किनारे हो जाने के कारण बाढ़ का जोर उस हिस्से में बढ़ जाता है और उस से बाढ़ की गहराई भी बढ़ जाती है, इसलिये जो फसल पहले बच पाती थी वह अब नहीं बच पाती है। इस संबंध में मैंने पहले भी सुझाव दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा सुझाव है कि नारायणी नहर और नदी की तरफ की जो जमीन है उस पर बसे लोगों को किसी ऊंची जमीन पर बसा दिया जाय और उस बीच की जमीन में वृक्ष रोपण कर दिये जायं। इससे नहर का बांध टूटने की संभावना कम हो जायगी और किसानों का भी भला हो जायगा।

[श्री मदन पांडेय]

बाढ़ संबंधी योजनाओं में, अभी मंत्री जी को भी याद होगा और सदन को भी कि पहाड़ी जिलों में चार गांवों के किनारे की जमीन कटने के कारण उनके बहने का समाचार मिला था। यह समाचार शायद अल्मोड़ा जिले का था। और उसके बाद मोटे-मोटे हेडिंग्स में लोगों ने पढ़ा कि ४२ आदमी मर गये और सैकड़ों पशु वहां बह गये। अब वहां से जो सूचनायें प्राप्त हो रही हैं उससे मालूम पड़ता है कि जो बह गये सो तो गये, लेकिन उसके अलावा ४ गांव ऐसे हैं जो खतरे में हैं। उनमें कपकोट में तो कुछ बचाव की व्यवस्था है, लेकिन गैरखेत और तीन और गांव ऐसे हैं कि जिनमें बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि उनकी ओर मंत्री जी ध्यान दें और यदि लाख, पचास हजार रुपया खर्च कर के भी उनको बचाने की व्यवस्था की जा सके तो की जाय।

इसके बाद मैं संक्षेप में यह विनम्र निवेदन करूंगा कि जो पुस्तिका मंत्री जी ने दी है उससे मालूम पड़ता है कि ४०१ लाख एकड़ कृषि योग्य रकबा है इस प्रदेश में और उसमें १०६ लाख एकड़ की सिचाई की व्यवस्था अब तक हुई है। यद्यपि मुझे संदेह है कि इतना रकबा सिंचित होता है या नहीं, लेकिन अगर होता भी हो तो जितनी तेजी से हमारा समय बढ़ता जा रहा है उस तेजी से हम चल नहीं रहे हैं और इसलिये इस तरफ ध्यान रखा जाय।

इसके अलावा जो नहरें बनी हुई हैं उनमें पानी के बटवारे की व्यवस्था असंतोषजनक है। गोरखपुर जिले की एक बात मैं कहना चाहता हूं जिसका मुझे स्वयं का अनुभव है। महराजगंज के हवेली परगने में श्री शिब्बन लाल सक्सेना के साथ हम लोग जा रहे थे एक नहर के किनारे के गांव में। वहां के लोगों ने बतलाया कि वहां के अधिकारियों ने कहा कि अगर तुम लोग एक छोटी कच्ची नहर खोद लो तो पानी दिया जायगा। आपको विश्वास हो या न हो, तीन मील तक सारे गांव के लोगों ने मिल कर एक नाला खोदा और उसमें पानी आना आरम्भ हुआ और उसके बाद पता नहीं क्यों एक दम से पानी आना बन्द हो गया। गांव वालों से पता लगा कि कुछ पैसा मांगा जा रहा था और जब मामला पटा नहीं तो फौरन कह दिया गया कि ऊपर से हुकुम आया है कि पानी बन्द कर दो। मैं और श्री शिब्बन लाल जो नहर के हेडक्वार्टर पर गये। उन्होंने लिख कर भेजा हेड क्वार्टर पर, लेकिन पता नहीं क्यों, इन गावों को पानी नहीं मिला। यह घटना है मेरी आंखों देखी और कानों सुनी। इसके अलावा और इलाकों से भी इस तरह की घटनाओं की सूचनायें आ रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाय।

गांव पटाई के संबंध में मैंने पिछले दिनों सहजनवां के पास गाहासांड़ गांव का जिक्र किया था और उसके संबंध में मंत्री जी ने एक वक्तव्य भी दिया था। मैं चाहता था कि उसके बारे में एक इन्क्वायरी की जाय। सभापति के मकान को तो वहां ऊंचा किया गया और सारे गांव की रकम उसी में पूरी कर दी गयी। पता नहीं कितना खर्च हुआ। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जो सैकड़ों किस्से सारे प्रदेश में हैं उनकी तरफ सतर्कता बरती जाय। लाल बत्ती हो गयी है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इन सुझावों की ओर ध्यान दें और इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)----आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम तुरन्त कर नहीं कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि जब शारदा कैनाल की योजना बनाई गई, कई वर्षों तक उस पर विचार होता रहा, तो अवध के ताल्लुकदारों ने और रहने वालों ने उसमें अड़चनें डालीं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी आशंका पैदा हो गई थी। वह उनके फायदे के लिये ही बनाई जाने वाली थी। आज हम देखते हैं कि उस नहर से हमारे प्रदेश

का कितना लाभ हो रहा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस विभाग का कार्य प्रशंसा के योग्य है और उससे प्रदेश की हर तरह उन्नति होगी।

हमारे बहुत से कार्य बीच में रोक दिये गये थे जिन्हें चलाने की बहुत जरूरत है। उनमें खासतौर से रिहन्द बांध की योजना है। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा, इसकी बहुत आवश्यकता है। वहां पर भुखमरी की बात बार-बार कही जाती है जो हालांकि इतने पैमाने पर न हो, लेकिन फिर भी अन्न की वहां कमी है और उसे इस योजना से पूरा किया जा सकता है।

मैंने बजट साहित्य में देखा कि मेन्टिनेन्स और रिपेयर्स पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है और इम्प्रूवमेन्ट की मद में कुछ कम है। उन्हीं नहरों में हर साल उसी प्रकार का मेन्टीनेन्स और रिपेयर्स का काम दिखाया जाता है। ऐसा मालूम होता है कि उन्हीं ठेकेदारों से काम हर साल न कराकर कागजी कार्यवाही हो जाती है और रुपया सरकार से ले लिया जाता है। इसलिये मेन्टीनेन्स और रिपेयर्स की जांच के लिये एक अलग से अफसर होना चाहिये जो इसे देखे कि कितना काम हुआ है। इस बात की जांच पड़ताल की बहुत आवश्यकता है।

दूसरी बात वाटर लागिन्ग के संबंध में कहना चाहता हूं। हरदोई, पीलीभीत, लखनऊ आदि जिलों में सई नदी छोटी-सी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द वाटर लागिङ्ग की बड़ी भारी समस्या है। मैंने प्लानिङ्ग से मीनार के सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातें की थीं और उन्होंने बताया कि समस्या बहुत गम्भीर है और उसके लिये उन्होंने २४ लाख रुपये की योजना बनाई जिसे धनाभाव के कारण नहीं चलाया गया। सई नदी के आसपास बहुत अच्छी जमीन है जिसमें बहुत अन्न पैदा हो सकता है। मुझे ताज्जुब होता है कि वह स्कीम क्यों छोड़ दी गई। जब लाखों रुपये का गल्ला बाहर से आता है और फारेन एक्सचेंज की इतनी कमी है, अगर उस २४ लाख की स्कीम को उठाकर लाखों मन गल्ला पैदा कर लिया जाय तो उससे फारेन ऐक्सचेंज का रुपया बच सकता है और हमारे प्रदेश के मध्य भाग में काफी उन्नति हो सकेगी।

आपने देखा कि नहरें बढ़ाई गई हैं और उनकी ट्रिब्युटरीज में भी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन पानी की बढ़ोत्तरी कहीं-कहीं पर नहीं हो सकी है। इससे छोटे नालों में पानी नहीं पहुंच पाता है, उसका लेविल ज्यादा नीचा हो जाता है। किसान को पानी का पैसा तो पड़ जाता है, लेकिन पानी समय से नहीं मिलता। इससे काफी सिंचाई नहीं हो पाती है। फर्टिलाइजर्स में काफी पानी की आवश्यकता है वरना बड़े नुकसान की संभावना रहती है। ऐग्रीकल्चर विभाग ने कई बार इस ओर सिंचाई विभाग का ध्यान दिलाया है, लेकिन सिंचाई विभाग कहता है कि एक ही समय में सबको पानी की आवश्यकता होने से सब को नहीं मिल सकता। मेरी इस विषय में इंजीनीयर्स से बातें हुई और वे कहते हैं कि यदि नहरों के किनारे कुछ बड़े-बड़े ट्रूवेल लगा दिये जायें तो नहरों का लेविल बराबर बनाया रखा जा सकता है। ऐसा कैनाडा में होना उन्होंने बताया।

साथ ही हरदोई जिले में नहर कटने की समस्या भी बहुत बड़ी है। कभी-कभी नहर में पानी अधिक आ जाने से और मिट्टी मुलायम होने से नहर कट जाती है जिससे फसल मारी जाती है और महीनों काम बन्द रहता है क्योंकि नहर के रिपेयर में समय लगता है। मुझे पता चला था कि हरदोई में सारदा कैनाल के बेड को पक्का करने की बात थी मैं चाहता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी पक्का किया जाय जिससे पानी कटने से जो समस्या हर साल पैदा हो जाती है वह न हो। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस विभाग के द्वारा जनता की बहुत सेवा की गई है और सिंचाई के काम को बहुत आगे बढ़ाया गया है। लेकिन असलियत को देखा जाय तो आज सिंचाई विभाग अपने कार्य में दक्ष नहीं मालूम होता है क्योंकि अगर आप ट्यूबवेल्स को ले लिजिये तो उनमें माननीय मंत्री जी खुद स्वीकार करते हैं कि सन् ५६-५७ में ५·७ प्रतिशत का घाटा रहा। सन् ५७-५८ में वह घाटा बढ़ कर ६·५ हो गया और अब यह कहते हैं कि यह घाटा ५८-५९ में कुछ कम हो जायगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह घाटा कम नहीं होगा वह इसलिये कि ट्यूबवेल्स का जो विभाग है, बहु बड़ा खर्चीला है, पानी बहुत तेज है और काश्तकार पानी तेज होने की वजह से नहीं लेता है और अपने खेतों की सिंचाई बहुत कम करता है। इस विभाग का जो गठन है, वह भी बहुत खर्चीला है। एक नलकूप से दूसरे नलकूप तक सर्विस रोड बनायी जाती है, उसमें भी बहुत खर्च होता है। बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियां और निरीक्षण भवन बड़ी लागत लगा कर बनाये जाते हैं और इसके अलावा इंजीनियर्स का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन, इन तमाम चीजों को आप देखें, तो मालूम होगा कि बड़ा जबरदस्त खर्च होता है। मिसाल के तौर पर एक मजदूर को १ रुपया दे कर काम के लिये रखा जाय जो तमाम दिन बैठा रहे और शाम को झाड़ू लगा दे तो उसी को यह समझा जाय कि उसने बहुत बड़ा काम किया। माननीय मंत्री जी आज जितनी रकम का अनुदान मांग रहे हैं, उन्होंने पिछले साल भी इतनी ही बड़ी रकम खर्च की थी। तो इस रकम को देखते हुये सिंचाई का काम जो होता है वह नहीं के बराबर है।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन ट्यूबवेल्स से जनता का कोई फायदा नहीं है इसलिये इस विभाग को सहकारी समितियों को दे दिया जाय और उनसे बिजली का किराया उसी दर से बिजली विभाग ले, जो कि आज उनसे ट्यूबवेल्स विभाग से लिया जाता है। मेरा खयाल है कि इससे जनता को, काश्तकारों को भी अनुभव होगा और आज जो काम यह ट्यूबवेल्स विभाग कर रहा है, उससे अच्छा काम होगा और सिंचाई का काम भी अच्छा चलेगा। मेरी राय में आज सरकार और सरकार के मंत्रिगण सारे कामों की ठेकेदारी खुद ही लेना चाहते हैं। जब प्रजातंत्र है और वोट के जरिये ही सरकार बनी है तो सरकार का और मंत्री जी का यह फर्ज है कि काम का बंटवारा कर दें। सारे काम को अपने जिम्मे ले कर वे जनता को यही दिखलाना चाहते हैं कि हम ही सब काम कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की तो इतनी बड़ी फौज बना रखी है कि जनता की कमर ही टूटी जा रही है, वह टैक्स अदा नहीं कर पाती है, और सरकारी कर्मचारी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसी भी मुहकमे को देखिये, हर मुहकमें में कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ट्यूबवेल्स विभाग से जनता का, काश्तकारों का कोई फायदा नहीं है, इसलिये इसको सहकारी समितियों को दे दिया जाय और उनका तजुर्बा किया जाय, उनका अनुभव किया जाय और देखा जाय कि जनता भी और सहकारी समितियां भी किस तरह से इस काम को कर सकती हैं। अगर आप के जिम्मे यह काम नहीं रहेगा तो आप का काम भी हल्का होगा।

इसी तरह से नहर विभाग को ले लिया जाय, नहर विभाग में भी बहुत फजूल खर्ची है, डुप्लीकेशन है। नहर विभाग में नहरों के पानी को देखने के लिये एक इंजीनियर है और नहरों के किनारे जो पेड़ खड़े हैं, उनको देखने के लिये एक दूसरा इंजीनियर है। तो इस तरह से यह डुप्लीकेट काम नहीं होना चाहिये। जब एक ही कालेज के पढ़े हुए दोनों इंजीनियर हैं, तो दोनों कामों को एक ही इंजीनियर कर सकता है। साथ ही साथ आप देखें कि नहरों की बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, एक-एक कोठी एक-एक एकड़, दो-दो एकड़ जमीन घेरे हुए है। उसकी हिफाजत के लिये वहां कई नौकर रखे जाते हैं, और इंजीनियर साहब---छोटे या बड़े कितने रोज उस कोठी पर रहते हैं? छोटे इंजीनियर साहब तो साल में दो-तीन बार वहां चले जाते हैं, लेकिन बड़े इंजीनियर साहब साल में एक मर्तबा वहां पहुंचते हैं। तो हमारा खयाल है कि अगर माननीय

मंत्री जी चाहते हैं कि काश्तकारों को फायदा हो और गल्ले की पैदावार बढ़े तो मेरी राय में इन कोठियों को नीलाम कर देना चाहिये और इंजीनियर साहबान के पास जीप तथा ट्रक तो रहती है उसी में रख कर वह अपना डेरा तम्बू भी ले जाया करें और उसी में रहा करें, इस तरह से आसानी से काम चल सकता है और इन नहरों पर जो लागत लगी हुई है उसको नीलाम के बाद दूसरे सिंचाई कार्यों पर लगाया जा सकता है और काश्तकारों का बहुत बड़ा बोझ इस तरह से हल्का हो सकता है। इसी काम में माल विभाग भी लगा हुआ है। पतरौल खेतों की सिंचाई भरते हैं, लगान वसूली के लिये माल विभाग कायम है उनकी कोई जरूरत नहीं है। बजाय इसके यह किया जाय कि जिस तरह से भूमि का लगान वसूल होता है उसी के साथ ही सिंचाई का लगान भी मुकर्रर कर दिया जाय और वह भी साथ में ही वसूल कर लिया जाया करे। जैसे तहसीलदार और अमीन वसूली करते हैं वैसे ही वह भी वसूल हो जाया करे और इस तरह का जो यह डुप्लिकेशन है वह खत्म किया जाय। इस तरह से काफी खर्च बच सकता है। गंगा तथा यमुना की नहरों के डिजाइन का जो ४० प्रतिशत का हिसाब है या शारदा और दूसरी नहरों का जो २० प्रतिशत डिजाइन रहता है कि इतने रकबे में पानी फैल सकता है, वह गलत है। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को पानी नहीं मिलता और उन पर सिंचाई पड़ जाती है। जितना डिजाइन बनाया जाय, जितने प्रतिशत को नहर पानी दे सके उतने ही प्रतिशत से लगान वसूल होना चाहिये अधिक से नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि यह तरीका खत्म कर के बाकायदा लगान कायम किया जाय और बाकायदा परते के हिसाब से वह लगाया जाय।

एक शिकायत यह भी है कि अगर काश्तकार किसी रास्ते से अपने कुएं का भी पानी लेता है और इत्तफाक से उधर से नहर का पानी भी निकल जाता है तो उससे नहर की सिंचाई ले ली जाती है, यह तरीका भी गलत और गन्दा है। साथ ही यह भी है कि अगर कोई काश्तकार ८० प्रतिशत चना बोये और २० प्रतिशत गेहूं बोये तब भी उस से सरकार गेहूं की आबपाशी ले लेती है, यह भी धांधली की बात है। इसके अलावा आजकल बड़ा अन्धेर हो रहा है जब पैदावार के दाम अधिक थे तो आबपाशी कम थी और जब दाम गिर रहे हैं तो आबपाशी बढ़ रही है। इस पर सोशलिस्ट पार्टी ने सत्याग्रह किया और उसके डेढ़ मास बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपील की कि प्रदेशों में आबपाशी का रेट ज्यादा है और प्रादेशिक सरकारों को उनको गिराने के लिये कोशिश करना चाहिये ताकि काश्तकार ज्यादा से ज्यादा पानी लें और गल्ले की पैदावार बढ़े और उनकी आय भी बढ़े। जब काश्तकार आबपाशी अधिक होने के कारण पानी नहीं लेता तो पैदावार भी कम होती है और सरकार का भी नुकसान होता है। कोई लालची रोजगारी जब अधिक नफा लेता है तो उसकी बिक्री कम होती है और मुनाफा भी कम होता है, लेकिन जो समझदार रोजगारी है वह कम मुनाफा लेता है, उसके अधिक ग्राहक होते हैं और अधिक सेल होती है, नतीजा यह होता है कि उसका मुनाफा भी अधिक होता है। इसी तरीके से सरकार को भी चाहिये कि वह पानी के दाम कम करे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--- उपाध्यक्ष महोदय, भाषणों का समय अब ७ मिनट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अभी श्री दीनदयालु शास्त्री बोल लें उसके बाद यह प्रस्ताव रखें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मेरे से पहले वक्ता ने कहा है कि सिंचाई विभाग से कोई खास लाभ नहीं हुआ है। मैं तो एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं जहां

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

नहर की खास व्यवस्था है। उससे पता चलता है कि हमारा सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जो जनता के लाभ के लिये है और प्रति वर्ष अपनी सिंचाई की योजनाओं को चला कर इस प्रदेश की कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक है।

मैं हरिद्वार में रहता हूं। वहां से गंगा नहर निकलती है। आज से सात-आठ वर्ष पहले उस नहर से कुल छः हजार क्युजेक्स पानी मिलता था। फिर योजना बनी और उसके मुताबिक ८ हजार ४ सौ क्युजेक्स मिलने लगा। अब सरकार की योजना है कि दस हजार पांच सौ क्युजेक्स पानी मिले। यह जो नहर के पानी में वृद्धि हुई है स्पष्ट है कि उससे गंगा, यमुना के दुआबे के खेतों को लाभ होगा। मेरा विचार तो यह भी है कि यदि नहर की शक्ति बढ़ायी न जाती तो दुआबे के जिलों के खेतों को काफी नुकसान होता। इसी सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि हरिद्वार में जो गंगा नहर के बीच में वृन्दावन गार्डेन की योजना बनायी गयी थी जिसको शुरू कर के बीच में रोक दिया गया है मेरा उनसे अनुरोध है कि पर्यटकों की और दूसरी सुविधाओं के लिए वृन्दावन गार्डेन की योजना को शुरू करना चाहिये और उसे इसी प्रकार से पूरी करनी चाहिये जिस तरह से मैसूर में वृन्दावन गार्डेन्स की योजना को पूरा किया गया है।

इसी सम्बन्ध में सहारनपुर जिले की दूसरी नहर, यमुना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह नहर पंजाब और यू० पी० दोनों की है। इधर कुछ सालों में पंजाब की सरकार ने बांध बांध कर के यमुना नदी के पानी को हमारे सहारनपुर जिले की सीमा की ओर छोड़ दिया है और इस से सहारनपुर के कई गांवों को नुकसान पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इधर भी ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस योजना में लिखा है कि पहले यमुना नहर की शक्ति ३,५०० क्युजेक्स थी अब वह ४,००० करने की योजना है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को द्रुतगति से योजना चलानी चाहिये।

रुड़की में इस सम्बन्ध में एक अनुसंधानशाला है। मैं यह समझता हूं कि इस अनुसंधान-शाला से हमारे प्रदेश के सिंचाई के कार्यों में प्रगति होती है। बाढ़ के सम्बन्ध में, नहरों के विस्तार के सम्बन्ध में, पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में जो अनुसंधान हो रहे हैं उनसे इस प्रदेश का ही नहीं दूसरे सूबों का भी लाभ है। इस दृष्टि से अगर अनुसंधानशाला में विस्तार की आवश्यकता हो तो सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में मुझे मंत्री महोदय से यह भी कहना है कि नलकूपों के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि कुछ ऐसे स्थानों पर नलकूप लगाये गये हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के पास कुछ ऐसे नलकूप हैं जिनकी जब किसान को जरूरत होती है तो नलकूप से पानी लेते हैं और बाकी समय में नहीं लेते हैं। मेरी राय में ऐसे नलकूपों से अधिक लाभ नहीं है। मैंने, जब वह पिछले साल हरिद्वार आये थे तो उनसे निवेदन किया था कि गंगा नहर और पहाड़ के बीच में जो जमीन है उसमें नलकूपों का निर्माण किया जाय। उसके बाद इंजीनियर ने मंत्री महोदय की आज्ञा से जो योजना बनायी उस में यह उत्तर दिया कि उसमें नलकूप तो बन सकते हैं, लेकिन बिजली की लाइन दूर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह जांच करें कि इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर या इंजीनियर का कथन कहां तक सत्य है। जहां तक मैं समझता हूं और रोज देखता हूं कि गंगा नहर की बिजली की लाइन जाती है और वह गांव जिनमें नलकूप बनाने का सुझाव ह वह गंगा नहर से एक या सवा मील की दूरी पर हैं जब कि सरकारी कहना यह है कि डेढ़ मील के अन्दर जो गांव हों उनमें नलकूप के लिये बिजली दी जा सकती है। तो मैं कहूंगा कि इस ओर भी वह ध्यान दें।

इसके बाद मुझे उनका ध्यान डाक पत्थर की ओर दिलाना है। यह ठीक है कि डाक पत्थर योजना पर पुनर्विचार हो रहा है और यह ठीक भी है क्योंकि वहां के कुछ गांवों को बचाने के लिए डाक पत्थर की योजना को स्थगित कर के दूसरी योजना बनाने की बात है। लेकिन मैं उनसे यह कहूंगा कि पश्चिमी जिलों के बहुत से लोग यह समझ रहे हैं कि डाक पत्थर की योजना स्थगित नहीं की जा रही है समाप्त की जा रही है। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये

कि डाक पत्थर की योजना अगर स्थगित की जाती है और एक डेढ़ या दो वर्ष बाद भारत सरकार की योजना के अनुसार उसको एक बड़े रूप में बनाया जाता है तब तो यह समझ में आ सकता है कि उसको स्थगित करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर वह हमेशा के लिये बन्द की जाने वाली हो तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और उन लोगों के असन्तोष को दूर करने के लिये मन्त्री महोदय को कोई न कोई आश्वासन देना चाहिए।

इसी प्रकार रामगंगा की योजना के सम्बन्ध में भी यही विचार वहां किया जाता है और यह समझा जाता है कि राम गंगा की योजना जिसको कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर के बनाया था वह अब कहीं खटाई में तो नहीं पड़ने वाली है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में आप सिंचाई की योजनाओं को अधिक से अधिक बनाइए, लेकिन पश्चिमी जिलों की सिंचाई की योजनाओं को किसी न किसी बहाने से स्थगित करने की कोशिश न कीजिए। हमारे जिले सहारनपुर में एक सैलानी नदी बहती है जिसकी बाढ़ से प्रति वर्ष कई गांव बर्बाद हो जाते हैं। उन गांवों को बर्बादी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि सैलानी के किनारे पर कई बांधों की योजनायें बनाई जायें जिससे कि उन गांवों को बाढ़ से बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय के अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार पिछले दस वर्षों में सिंचाई की योजनाओं के द्वारा अधिक से अधिक भूमि सींची जा सकी है, उसी प्रकार अगले वर्ष में भी जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, उस में और वृद्धि हो सकेगी और इस तरह हमारा प्रदेश कृषि योग्य भूमि में अधिक से अधिक सिंचाई कर सकेगा।

श्री गौरीशंकर राय— मेरा प्रस्ताव यह है कि समय ७ मिनट कर दिया जाय तो अधिक लोग बोल लेंगे।

एक सदस्य---सात मिनट बहुत कम हो जायगा। दस मिनट ही ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--- कोई खास विरोध नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि सात मिनट रखा जाय। अगर विशेष स्थिति में आवश्यकता हुई तो दो-तीन मिनट और दे दिया जायगा।

***श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)--- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय विश्राम राय जी ने रखा है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जो पुस्तिका प्रस्तुत की है उसमें न मालूम कितनी तारीफ, कितने प्रकार की बातें ऐसी दिखाई हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि हम बाहर का वातावरण छोड़ दें और किसान के बीच की बात याद न रखें और सदन का वातावरण ही केवल मस्तिष्क में रहे तो ऐसा मालूम होता है कि न मालूम किसान कितना सम्पन्न, कितना गौरवशाली हो गया और इस योजना से न मालूम कितना बड़ा फायदा हो गया है। लेकिन मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि जहां इतनी सारी बातें माननीय मन्त्री जी ने इसमें रखी हैं, इसके साथ ही मन्त्री जी एक बात इसमें और बढ़ा देते कि यह योजना जो मौजूदा रूप में वर्क कर रही है उसमें आज बेकारी और गरीबी और भुखमरी भी आयी है। आज सिंचाई की क्या हालत है मान्यवर, कि शुरू में पानी बम्बों में आता है और किसान इस लालच से अपनी ज्यादा से ज्यादा जमीन को पलेवा कर लेता है कि आगे चल कर पानी मिल जायगा, वह उस में मटर, गेहूं वगैरह बो लेता है। लेकिन एक बार पानी देने के पश्चात् जब किसान अपनी मेहनत से फसल को तैयार करता है और जिस वक्त पानी की सख्त जरूरत होती है, उस वक्त जब वह बम्बों की ओर या नहरों की ओर देखता है तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। वह जरा भी नहीं सोचते हैं कि इस वक्त उसे पानी की कितनी सख्त आवश्यकता है। परिणाम यह होता है कि लाखों बीघे जमीन की फसल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसान परेशान हो जाता है। आज कहीं भी आप देख लें। इस साल मटर की कितनी ही फसल इस प्रकार बरबाद हुई जिसे कि दो दिन या चार दिन बाद पानी मिलता है तो वह नष्ट हो जाती है। अब की बार मैंने अपने क्षेत्र में दौरा किया, इटावे में। वहां पानी उन्हें नहीं मिला और सारी फसल नष्ट हो गई, मटर सभी सूख गई। उसका एक मात्र कारण था कि पानी को मांग करने पर पानी नहीं मिला और पानी आया तब जब मटर बिल्कुल सूख गई। सरकार का तो कोई नुक्सान नहीं हुआ, उसने सिंचाई पलेवा कर लिया, आबपाशी बंध गई और बाद में पानी आया। किसान ने इस लालच से पानी लगाया कि शायद कुछ हो जाय, सूखी जमीन में पानी लगाया तो जहां १० मन होता था वहां २ मन भी नहीं हुआ। अगर उसको यह पहले से ही मालूम होता तो वह अपने खेत में वह फसल बोता जिसको समझता कि पानी की कमी होने पर भी उसके खेत में ज्यादा तैयार हो जाती, वह चना वगैरह बोता। उस की मेहनत बेकार गई, बीज बेकार गया और बदले में उसे निराशा मिली और भुखमरी आयी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जो नहरें और बम्बे बढ़ाये गये हैं इसको तो मैं समझता हूं जिस प्रकार प्रदेश के नक्शे में लाइन बनी है उसी प्रकार वह दिखते हैं कि जमीन पर लाइनें खींची हैं लेकिन पानी उन में नहीं आता है। उनमें जो कुलाबे रखे गये हैं वह ऐसे रखे गये हैं कि उनसे पानी ठीक प्रकार से नहीं मिलता है और जितनी जमीन सींची जानी चाहिये उतनी नहीं सिंच पाती है। कुलाबे छोटे हैं, कोई ४ इंची है लेकिन जमीन इतनी लगा दी गई है उस कुलाबे से जिसको ६, ७ इंची कुलाबा सींच सकता है। परिणाम यह होता है कि सिंचाई के लिये झगड़े होते हैं और कितने ही मर्डर हो जाते हैं।

तीसरी बात मुझे ट्यूबवेलों के सम्बन्ध में कहनी है। सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों की तरफ नहीं गया जहां पानी पीने तक के लिये मनुष्य तरसते हैं। ऐसे कितनेही ऊबड़-खाबड़ स्थान हैं मैं अपने क्षेत्र की बात मान्यवर, आप के सामने रखना चाहता हूं। इटावा जिले में यमुना और चम्बल के बीच में एक बहुत बड़ा भाग है जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यहां हमने क्वेश्चन भी किया था। माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि सिंचाई की वहां कोई व्यवस्था नहीं है और उत्तर यह था कि वहां ट्यूबवेल लगाये जायंगे। बड़ी खुशी हुई थी, हम लोग सोचते थे कि ट्यूबवेल लग जायंगे, सिंचाई होगी और वहां का गरीब किसान प्रसन्नता से अपने खेतों में पानी ले जायगा। लेकिन अभी १०, १२ दिन हुए माननीय मंत्री महोदय का एक उत्तर पहुंचा उसी के सम्बन्ध में कि जो उत्तर दिया गया था कि १० नलकूप लगाये जायंगे वह नहीं लगेंगे.....

मान्यवर मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अभी दो मिनट और हैं आप के।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—उसके पश्चात् भी कुछ दे दिया जाय।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि वहां का जो सर्वे हुआ सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियर्स गये थे उसकी रिपोर्ट आयी है कि यहां खर्चा ज्यादा होगा और लाभ की कम आशा है। तो मान्यवर, लाभ की कम आशा है इसलिये उन लोगों का खयाल न किया जाय जिनके पास कोई सिंचाई के साधन नहीं हैं। वह नालों का पानी पीते हैं। ऐसे-ऐसे स्थान हैं कि जहां एक डेढ़ मील नदी पर पानी के लिये जाना पड़ता है। वहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। वहीं से लगा हुआ आगरा जिला है। बाह तहसील में अच्छी तरह से ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। लेकिन यहां के लिये वह योजना समाप्त कर दी गई। कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पास में तीन-तीन मील पर बम्बे चलते हैं लेकिन अगर उन बम्बों को बढ़ा दिया जाय तो काफ़ी सिंचाई हो सकती है। इटावा जिले में सिलायता और शक्तपुरा गांवों के लिये मैंने निवेदन किया था, लेकिन वहां से रिपोर्ट आयी और उत्तर मिला कि चूंकि वह जमीन ऐसी है कि बरसात में यमुना बढ़ जाती है इसलिये वहां पानी का ले जाना ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं इस बिभाग में यदि ठीक प्रकार से इंतजाम किया जाय तो

वास्तव में योजना लोकप्रिय है परन्तु कन्ट्रोल ठीक तरह का नहीं है। इसमें इतना खर्च होता है इतना भ्रष्टाचार है कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है, जब दौरा करते हैं जिलेदार वगैरह तो उनके लिये बैलगाड़ी इधर-उधर से न मांग लेते हों। लेकिन जो उनके प्राइवेट नौकर हैं उनके नाम से रसीदें ली जाती हैं और पैसा व्यर्थ का वसूल करते हैं। मेरा सुझाव है कि जो इस प्रकार के दौरे होते हैं उसमें सिंचाई विभाग की ओर से मोटर ट्रकें हों जिनसे उनका सामान पहुंचा दिया जाया करे।

एक बात नियम के विषय में कहना चाहता हूं कि यदि बरसात के पहले ईख सूख जाय तो उसे सोख्ता कर दिया जाता है और अगर बरसात के बाद सूखे तो आधी सिंचाई लगेगी आधी सिंचाई के रेट इतने ज्यादा हैं कि किसान दे नहीं सकता और बहुत परेशान होता है। इसे सभी जानते हैं। ईख बरसात के पहले सूख जाती है लेकिन पतरौल चढ़ा देता है कि बरसात के बाद सूखी है। पैसा पतरौल को दे दिया तो उसने लिख दिया कि बरसात के पहले सूखी और अगर नहीं दिया तो बरसात के बाद दिखा दिया। इस प्रकार दोहरी सिंचाई लग जाती है।

इसी तरह से पेड़ी ईंख है। पहले भी सूख जाय तो आधी सिंचाई की दर लग जाती है। तो आधी सिंचाई की दर खत्म होनी चाहिये। एक नियम होना चाहिये। किसान को इतना विश्वास नहीं होता कि वह समय पर पानी पा सकेगा। लिहाजा माननीय मंत्री के पास जो इतनी शिकायतें आती हैं उनको हल करने के लिये सिंचाई की दर कम की जाय, समय पर पानी देने की व्यवस्था की जाय। समय पर पानी न देने से जो हमारी योजना है कि देश में गल्ला बढ़ेगा तो मान्यवर, वह योजना सफल नहीं हो सकती। इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

यह भी देखा गया कि जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां और अधिक व्यवस्था की जाती है। जहां नहरें हैं वहीं ट्यूबवेल लगाये जाते हैं और जहां नहरें नहीं हैं वहां ट्यूबवेल भी नहीं लगाये जाते। मैं तो यह कहूंगा कि उस तरफ अधिक ध्यान दिया जाय जिस तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था करने से लाभ भी अधिक होगा और इस योजना से लोग ज्यादा प्रसन्न होंगे। इतना ही मुझे कहना है।

श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिंचाई मंत्री के अनुदान का स्वागत करता हूं। जब से देश आजाद हुआ तब से बड़ी तेजी के साथ सिंचाई का प्रबन्ध इस सूबे में हो रहा है। मैं तो जिस जिले या कस्बे में जाता हूं वहां सिंचाई का उचित प्रबन्ध देखता हूं। मैं अन्य जिलों की बात न कह कर बस्ती जिले की बात कहता हूं कि हमारी सरकार ने वहां एक नयी क्रांति कर दी है। जहां सारे जिले भर में एक भी ट्यूबवेल नहीं था वहां आज सैकड़ों ट्यूबवेल हैं। नहर की योजना तराई के इलाके में है जिससे लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। इस सूबे की सरकार सिंचाई के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जहां वह तेजी से बढ़ती जा रही है वहां यह प्रश्न भी हमारे सामने है कि इस प्रदेश के किसानों की माली हालत को देखते हुये सिंचाई रेट मुनासिब हैं या नहीं, किसान उसे देने में आज अपने को असमर्थ पाता है। मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं कि सिंचाई का रेट इतना ऊंचा है कि वहां का किसान उसे दे नहीं पाता। पानी न मिलने की वजह से वहां पिछली मर्तबा सूखा पड़ गया और सूखे में वहां लगान वसूल किया जा रहा है। वहां का किसान तबाह है। वह उतने ऊंचे रेट को दे नहीं सकता।

एक तरफ तो प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं प्रत्युत केंद्रीय सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ज्यादा अन्न उपजाओ ताकि अन्न मंगाने के लिये बाहरी देशों को रुपया न भेजना पड़े। लेकिन जब सिंचाई का रेट इतना अधिक है जिसे किसान दे नहीं सकता और

[श्री प्रभुदयाल]

पानी वह सिंचाई के लिये पूरी तरह से पा नहीं पाता फिर अधिक अन्न वह कैसे उपजा सकता है और बाहर से अन्न का मंगाना कैसे रोका जा सकता है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि सिंचाई का ऊंचा रेट खत्म किया जाय और किसानों को कम रेट पर पानी आसानी के साथ और समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाय ताकि वे अधिक अन्न उपजा सकें। अमेरिका से, कैनाडा से जो सरकार को अन्न मंगाना पड़ता है उसका मंगाना बन्द हो जाय।

बस्ती जिले में काफी ट्यूबवेल लगे हुये हैं। इसके लिये मैं सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंच पायी है। पानी न मिलने से लाखों एकड़ जमीन पर पिछले साल गन्ना सूख गया, और किसान वहां तबाह हो गया। सरकारी अफसरों के साथ मंत्री महोदय ने वहां काफी हिम्मत दिखलायी है। बान गंगा नहर में पिछले साल एक बूंद भी पानी नहीं था और वहां के कर्मचारियों ने लापरवाही से वहां की नहर का फाटक खोल दिया और पानी निकाल दिया, जिससे किसान तबाह हो गये। मैंने जब सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने सरकारी अफसरों को लिखा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पानी निकाल करके मछली का शिकार किया उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

एक बार मैं हजारों किसानों को लेकर एक इंजीनियर के पास गया। वह कहते हैं कि मुझे ऐसे गंदे आदमियों से बहुत बदबू आती है, तुम हटो। तो इस प्रजातांत्रिक राज्य में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सरकार काम करने का अवसर प्रदान करती है। जिन किसानों के बल पर इस सदन में गवर्नमेंट कायम है उन्हीं के लिये इंजीनियर कहता है कि मुझे तुम में से बदबू आती है। मैंने पहले सोचा कि इस्तीफा ही दे दूं, लेकिन बाद में ख्याल आया कि नहीं, अभी हमारे सरकारी कर्मचारियों को कुछ सीखना है। मैं इसको इसलिये रख रहा हूं कि मैंने सिंचाई मंत्री का इधर ध्यान खींचा, उन्होंने इस ओर ध्यान अवश्य दिया, लेकिन वह कागज बस्ती पहुंचते-पहुंचते वहां के सरकारी कर्मचारियों ने उस मेरे लिखे हुए कागज को जिस तरह से रद्दी की टोकरी में फेंका है कि मुझे शर्म आती है। मैंने खुद ओवरसियर को पतरौल को लेकर सही पड़ताल कराने की कोशिश की और पतरौल और जिलेदार ने कभी ध्यान नहीं दिया कि पड़ताल करें। आज जिस तरह से इंसान कराह रहे हैं और जिस प्रकार गलत तरीके से वहां पड़ताल की गयी है उससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। माननीय मंत्री जी अपने कर्मचारियों को हिदायत करें और काफी सख्ती से हिदायत करें कि वह गलत काम न करें। मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकारी अफसरों को मैं साबित कर सकता हूं जहां-जहां गलत पड़ताल हुई है। एक गांव में तो यहां तक हुआ कि किसानों ने एक बूंद पानी नहीं लिया, फिर भी उनको सिंचाई का रेट देना पड़ रहा है। तो हमें यह सोचना है कि हमने एक प्रजातांत्रिक राज्य बनाने की प्रतिज्ञा की है, उसको देखते हुये हमें प्रदेश के किसानों की हालत की ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं सरकार का ध्यान जलकुंडी प्रपात की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसका काम ऊंचे अनुसंधान से चल रहा था, लेकिन अब वह खटाई में पड़ा हुआ है। वह योजना नैपाल राज्य से भी संबंधित है, फिर भी राज्य सरकार उसे पूरा करा सकती है, इसमें दो मत नहीं हैं। जब राष्ट्रपति जी गोरखपुर आये थे, उन्होंने कहा था कि मैं जलकुंडी प्रपात की ओर ध्यान दे रहा हूं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके हाथों में वहां सिंचाई विभाग है वह काफी मजबूत है, सिंचाई मंत्री काफी दिलचस्पी रखते हैं यदि जलकुंडी प्रपात योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह स्थान दें तो बहराइच, बस्ती, गोरखपुर इत्यादि जिलों में करोड़ों और अरबों रुपये की उससे बचत होगी और जल-विद्युत योजना को काफी तेजी से आगे बढ़ा सकती है। उस राप्ती नदी के ऊपर बन्धा बन जाने से जो हर

साल बाढ़ के कारण हाहाकार मचता है और पूर्वी जिलों को हर साल परेशानी उपस्थित होती है उसे कम करने में उनका हाथ जलकुंडी प्रपात योजना के जरिये से हो सकता है। मैं नहीं कहता कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार के ही हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज के इस वाद-विवाद में आबपाशी संबंधी जो समस्या चल रही है उसमें सिर्फ दो, तीन बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। हम जानते हैं कि पिछले साल इस मद में सरकार की तरफ से ११ करोड़ रुपया खर्च किया गया था और इस साल करीब १६ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। आज अन्न की आवश्यकता इतनी है कि उसको देखते हुये जिससे हम प्राकृतिक साधनों पर न निर्भर रहें आबपाशी पर जितना रुपया खर्च किया जाय थोड़ा है। फिर भी चन्द चीजें हैं जिनकी तरफ मैं गवर्नमेंट का क्या बल्कि जो संचालक हैं इस पूरी व्यवस्था के, हमारे इंजीनियर वगैरह उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्हीं को इस मामले में दिलचस्पी भी है और सरकार को जितनी दिलचस्पी है वह तो इस सूबे के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये मैं आपके जरिये से उनका ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं।

जहां तक इन १६ करोड़ रुपयों का सवाल है, इसमें अगर तीन, चार मदों को हम देखें तो ४ करोड़ रुपया तो भत्तों और तनख्वाहों में ही निकल जाने वाला है और वे गरीब कर्मचारी जो जंगलों में झोपड़ी डाल कर रहते हैं और जिनके द्वारा आबपाशी की सारी योजनायें विकसित होती हैं उनकी क्या हालत है इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है और उनके साथ पूरी सहानुभूति है। उन राज्य कर्मचारियों को सबसे कम सुविधाएं मिलती हैं बावजूद इसके कि ४ करोड़ रुपया भत्तों, तनख्वाहों और पेट्रोल में खर्च होगा।

इसी तरह से जहां तक नयी योजनाओं के संचालन का प्रश्न है, उसमें भी ३३ फीसदी से ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है। मेंटीनेंस को आप ले लीजिये। उस पर १६ करोड़ में से ढाई, तीन करोड़ रुपया खर्च होगा। वह मेंटीनेंस किस तरह का होता है इसकी मैं दो-एक मिसालें देना चाहता हूं। हमारे सूबे में सबसे पुरानी नहर, जो कि अंग्रेजों के जमाने से भी पहले की है पूर्वी यमुना नहर जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कभी ३० लाख और कभी ५० लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है उसकी क्या हालत है? कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है कि गवर्नमेंट की आलोचना करना हमारा कोई पेशा ही हो गया है। मैं तो अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं। बागपत और कैराना तहसीलें जो कि उत्पादन के लिहाज से प्रदेश का मत्था ऊंचा करने वाली तहसीलें हैं वहां यह हालत है कि किसानों ने गन्ना बो दिया है, लेकिन उसकी एक मर्तबा भी सिंचाई नहीं हो पायी है। कम से कम परसों तक बागपत तहसील में तो मैं स्वयं देख कर आया हूं कि सिंचाई नहीं हुई। गहरी आबपाशी के संबंध में भी उत्तर प्रदेश में पूर्वी यमुना नहर अपनी सानी नहीं रखती। जितनी इंटेंसिव इर्रीगेशन पूर्वी यमुना नहर करती है उतनी शायद हिन्दुस्तान में कोई भी नहर नहीं करती होगी। उस नहर की आज बुरी हालत होती जा रही है। पिछली मर्तबा एक वहम सवार हुआ उसको चौड़ी करने का और करीब ६८-७० लाख रुपये उस पर खर्च भी कर दिये गये लेकिन उस नहर में पानी की मात्रा कुछ बढ़ सके इसका अभी तक कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया। पिछली दफा भी इस ओर राज्य कर्मचारियों का ध्यान खींचा गया और मैं तो इंजीनियर महोदय से आपके जरिये से अपील करता हूं कि वही कुछ अक्ल से काम लें। जहां पर पानी निकलता है वहां लाखों-करोड़ों की तादाद में पत्थर आ कर जमा हो गये हैं। जब तक उन पत्थरों को हटाया नहीं जाता तब तक आप चाहे जितनी नहर चौड़ी कर लीजिये, गहरी कर

[आचार्य दीपंकर]

लीजिये पूर्वी यमुना नहर का उद्धार होने वाला नहीं है। यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है। बार-बार इसकी तरफ ध्यान दिलाया जाता है लेकिन अभी तक यह जंगल में रोना ही साबित हुआ है। नतीजा क्या है? जैसा हमारे मित्र कह रहे थे, मुमकिन है वह किताब में पढ़कर कह रहे हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्वी यमुना नहर में जितने फाल्स थे, उनकी तादाद करीब ४०-५० थी। वह सब तोड़ दिये गये ताकि पानी आगे पहुंच सके। लेकिन क्या आगे पानी पहुंच गया? उन फाल्स के टूट जाने से न आगे पानी मिल सका और न पीछे पानी मिल सका, क्योंकि पानी बीच में रुक नहीं सका।

इसी तरह से एक सवाल यह है कि आज सिंचाई में ज्यादा से ज्यादा रकबा दिखाये जाने की कोशिश की जाती है। इसका एक व्यसन और भूत-सा सरकार के ऊपर सवार हो गया है। यह क्रिमिनल ऐक्शन है, यह मुजरिमाना तरीका है और सदन को इसे कंडेम करना चाहिये। सिंचाई की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये या नहीं इसकी तरफ आज हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जैसे ज्यादा नम्बर हासिल करने के लिये विद्यार्थी पर्चे पर पर्चे भरते चले जाते हैं उसी तरह से आज यह देखा जाता है कि कितना सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, जो जघन्य है, घृणित है और इससे आबपाशी की व्यवस्था चौपट होती चली जा रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत है कि आप जल्दी से जल्दी चमत्कार दिखायें? आपको यह चाहिये कि इस तरह से आबपाशी हो जिससे अन्न का उत्पादन बढ़े। आप जल्द से जल्द आंकड़े हासिल करने के लिये क्यों इतनी उछल-कूद मचा रहे हैं? इस तरह से हर साल बजट में रुपया बढ़ता चला जा रहा है और जो लोग आंखों से आबपाशी की हालत देखते हैं उनको बड़ा दुख होता है। इसलिये जनता के जो धन का इस तरह से अपव्यय हो रहा है उसको रोका जाना चाहिये।

मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो किसान अपनी गाड़ी सर्विस रोड पर ले आता था उस पर मुकद्दमा चलता था और ६०-७० मील दूर जाकर उसकी पेशी होती थी और किसान अन्त में छूट जाता था लेकिन उसके लिये इतनी दूर आना-जाना बड़ा कष्टदायक होता था। इस चीज को गवर्नमेंट ने जी० ओ० के द्वारा दूर किया है, इसको हम बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आज जो रकबा बढ़ाने की टेंडेंसी है वह अच्छी नहीं है। इससे यही होता है, जैसा कि एक सज्जन ने कहा, कि जो गूल ८ इंच की थी वह ६ इंच की हो गई। गूल ऊपर टंगी रह गई। पानी नीचे से निकल जाता है। असल तरीका यह होता है कि जिधर से पानी आता है उधर को गूल का मुंह रखा जाता है ताकि प्रेशर हो और पानी पहुंच सके। अब पानी से कुलाबे को दिलचस्पी नहीं रही है। यह सारी चीजें खामख्वाह पैदा नहीं हुई हैं बल्कि इसलिये पैदा हुई हैं कि ज्यादा से ज्यादा रकबा दिखायें, ज्यादा से ज्यादा नम्बर पायें और गरीब जनता के रुपये का अपव्यय करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि संजीदगी के साथ आबपाशी का इंतजाम होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आपने मुझे सदन में बोलने के लिये आज्ञा दी है उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के मुहकमे ने आज जितनी तरक्की की है उतनी तरक्की शायद ही किसी मुहकमे ने की हो। बहुत सी नहरें बनीं, ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं और भी तरक्की हुई है। वैसे निन्दा करने की बात तो बड़ी आसान है, लेकिन मेरे ही जिले में बहुत कार्य हुआ है। हमारी तहसील में २५ ट्यूबवैल बने। फरेंदा तहसील में भी कुछ ट्यूबवेल बनने जा रहे हैं। मेरे यहां श्रीनगर नहर के बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह के सिंचाई विभाग की तरफ से बहुत से कार्य हुये हैं। मेरे यहां गन्ने की खेती काफी होती है। गोरखपुर जिले में ४४ हजार एकड़ के करीब गन्ने की खेती होती है, लेकिन मेरी ही तहसील में करीब एक-तिहाई हिस्से में गन्ने की खेती होती है। वहां पर विशेषरूप से सिंचाई के

साधन नहीं हैं। वे किसान अपने कुओं से ही पानी लेकर सिंचाई करते हैं। ट्यूबवेल लगने का इन्तजाम हो रहा है। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह जल्द से जल्द वहां सिंचाई का इन्तजाम करने की कृपा करे। श्रीनगर की नहर को बनाने के लिये कई साल से तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तक वह नहर बन नहीं सकी है। अगर वह नहर बन जाय तो उससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। फरेंदा तहसील से दूसरे जिलों को भी गल्ला जाता रहा है। कानपुर और लखनऊ में फरेंदा तहसील का गल्ला जाता था, लेकिन आज सिंचाई के साधन न होने की वजह से वहां के लोग काफी तकलीफ में हैं। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से उनकी फसल नष्ट हो जाती है। इस वजह से वहां के लोग काफी मुसीबत और तबाही की हालत में हैं और दाने-दाने के लिये बेचारे वे तरस रहे हैं। कई जगह इस साल टेस्ट वर्क्स भी खोले गये, लेकिन मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके वहां पर सिंचाई के काम होने चाहिये।

मेरे यहां राप्ती नदी की भयंकर बाढ़ से काफी मुसीबत किसानों को उठानी पड़ती है। मेरे अड़ोस-पड़ोस में, राप्ती नदी के किनारे बांध बांधे गये हैं लेकिन मेरे यहां कोई बांध नहीं बनाया गया है। मैंने पहले भी सरकार को सुझाव दिया था कि राप्ती नदी के दोनों किनारों पर करीब-करीब ६,७ मील तक बांध बना दिया जाय। अगर पनघटिया घाट से कमैनीघाट तक और बेलसर से रिगौली तक बांध बना दिया जाय तो कई हजार एकड़ में जो खरीफ की फसल बोई जाती है वह नष्ट नहीं होगी और वह बच जायगी। अब वहां पर केवल रबी की फसल होती है। रबी की फसल के अलावा और कोई फसल नहीं होती है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह वहां पर जल्दी से जल्दी बांध बनवाने की कृपा करें।

मेरे यहां एक गेरुई नाला है। राप्ती नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से कई गांवों की फसल उससे नष्ट और बरबाद हो जाती है। अगर उस नाले पर बांध बना दिया जाय और उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगाया जाय तो उससे राप्ती नदी का पानी रुक जायगा। उससे वहां के बहुत से गांवों की फसल तैयार हो जायगी। इसके लिये मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि वह काम किया जाय।

लहड़ा नगवा बांध बस्ती जिले में एक तरह से बनने की तैयारी है। उसके आसपास की जनता उसको देख कर भयभीत हो रही है। वहां पर मंत्री जी और चीफ इंजीनियर उसको देखने के लिये गये थे। इससे वहां की जनता को काफी हौसला हुआ कि यह बांध जल्दी से जल्दी बनाया जायगा, लेकिन सुना है कि केंद्रीय सरकार ने इस बांध के रुपये में कुछ कटौती कर दी है जिससे वह कार्य ठप पड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस बांध को जल्दी से जल्दी बनाने की इजाजत दें और ट्यूबवैल वगैरह के लगाने के लिये भी इजाजत दें। नगवा बांध अगर नहीं बनेगा तो उससे काफी नुकसान हो जायगा। यदि ७,८ हजार रुपया खर्च कर दिया जाय तो कई हजार एकड़ की किसानों की फसल बच जायगी। फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम हुआ है उससे किसानों को बहुत राहत मिली है। जब हम लोग बाढ़ के दिनों में देखने जाते थे तो किसान मचान बांधकर ऊपर बैठे रहते थे, लेकिन जब से गांव ऊंचे किये गये हैं तब से किसान अपने गांव में अपने मवेशियों के साथ आराम से रहते हैं। इसके साथ-साथ मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि छोटे-मोटे कार्य भी सरकार को जल्द करने चाहिये। दौलतपुर बांध से लेकर खैराघाट तक एक किनारे पर जो बांध का काम बाकी रह गया है उसको इस साल मंत्री जी बनवाने की कृपा करें तो किसानों की तकलीफ बहुत कम हो जायगी और सरकार

[श्री गौरीराम गुप्त]

जो लाखों रुपया तकाबी में और-और चीजों में देती है वह बच जायगा और उसको यश भी मिलेगा। हमारे यहां के किसान फसल काटेंगे और भरपेट खाना खायेंगे और खुशहाली से जिन्दगी बितायेंगे। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर इतना और कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में वे इस कार्य को जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें।

एक बात और यह है कि श्रीनगर की जो नहर है वह लहड़ा स्टेट में है और उससे किसान मुफ्त में ही पानी पाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि और नहरों जैसा रेट वह वहां न रखें। भले ही सरकार का कुछ पैसा वहां खर्च में लग जाय लेकिन वहां के पानी का रेट कम रखा जाय क्योंकि अगर किसानों पर ज्यादा रेट लगाया जायगा तो वहां के किसानों में असंतोष पैदा होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस नहर के लिये वे एक अलग से रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---मान्यवर, प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस प्रांत में ७० या ७५ फीसदी किसान बसते हैं, लेकिन सिंचाई का उचित प्रबन्ध न होने के कारण यहां की खेती जुये का खेल जैसी हो गयी है। यदि समय से पानी बरस गया तो ठीक है और नहीं तो किसान की सारी फसल देखते-देखते खाक हो जाया करती है और किसान कुम्हला कर रह जाता है। हां, इस समय पूर्वी जिलों में कुछ नलकूप लगाये जा रहे हैं जिसका माननीय मंत्री जी बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं। वास्तव में होता क्या है? किसानों के पास पैसा नहीं होता। उनके पास केवल श्रम धन होता है। किसान अपने पुराने सिंचाई के साधनों को लेकर खेतों में अपना श्रम धन बिखेरता है। यह जरूर है कि किसान महीनों का काम दिनों में कर लेता है और दो दिन काम करने के बाद २८ दिन अपने दरवाजे पर बैठ कर गप लड़ाया करता है और जब पानी के टैक्स की वसूली के लिये सरकारी अहलकार आते हैं तो उस समय उसके पास सिवाय अपने बरतनों के और कुछ नहीं रहता। कारण यह है कि पूर्वी जिलों के किसानों के पास कोई गृह उद्योग नहीं है ताकि किसान अपने खाली समय में उससे कुछ आमदनी कर के अपना जीवन सुख से निर्वाह कर सकें। पिछली बार पूर्वी जिलों में सूखा पड़ गया था। यह जरूर है कि नलकूप का पानी धान की फसल में लगा लेकिन पानी इतना कम रहा कि फसल नहीं मिली और पानी की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गयी कि न तो धान की फसल ही हुई और न रबी की। धान की फसल बचाने के कारण रबी की फसल बोने में देर हो गयी और इसका नतीजा यह हुआ कि न तो धान ही हुआ और न रबी की फसल ही। लेकिन नलकूप का पानी किसानों ने लिया और अब वह तबाह है। वह पानी का टैक्स देने में असमर्थ हैं। तो मैं आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछले सूखे के जमाने का जो पानी का टैक्स है उसे माफ करने की कृपा करें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि नलकूपों पर आपरेटर्स के रहने के लिये क्वार्टर्स बनाये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह क्वार्टर्स थाने की हवालात से बेहतर नहीं हैं। छोटी सी कोठरी, उसी में आपरेटर की चारपाई, उसी में खाना बनाना और उसी में रजिस्टर वगैरह रखना, यह ठीक नहीं है। जब एक आपरेटर के जिम्मे लाखों रुपये का सामान दिया गया है और उसके लिये यह जरूरी है कि वह २४ घंटे अपने क्वार्टर पर हाजिर रहे, तो उसके रहने के लिये भी समुचित व्यवस्था होनी जाहिये। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे नलकूप आपरेटर्स के रहने के लिये फैमिली क्वार्टर का इन्तजाम अवश्य करें।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि पूर्वी जिलों में जो नलकूप लगे हैं, उनकी जो नालियां बनायी हैं वे बिलकुल अव्यवस्थित रूप से हैं। पुख्ता नालियां कम बनी हैं जिससे पानी का बहाव ठीक से नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि नलकूप से जब पानी

चलता है तो वह बह कर निकल जाता है और दूसरे के खेतों में जा पड़ता है जिससे किसान को उस पानी का भी टैक्स देना पड़ता है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम पूर्वी जिलों में जो नलकूप बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, अगर आप किसानों का तत्काल फायदा चाहते हैं, तो उनकी नालियों को पुख्ता जरूर बनवा दें।

जहां तक गांवों के स्तर को ऊंचा करने की बात है, ठीक है, गांवों का स्तर ऊंचा किया गया लेकिन इस काम में जितना पैसा सरकार का लगा वह सब एक प्रहसन में खत्म हो गया। बाढ़ आयी और जितना रुपया था सब बह गया। श्रीमन्, गाजीपुर जिले में बहुत से गाँव तो ऐसे हैं जो आधे तो पाटे गये और आधे बिना पाटे ही रह गये जिसका नतीजा यह होता है कि बरसात के दिनों में पानी घरों में चला जाता है। तो माननीय मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो गांव पटने से अधूरे रह गये हैं कम से कम उन पर तो मिट्टी डलवा देने की कृपा करें।

श्रीमन्, अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आया करता हूं, वह पचोत्तर परगना है, जहां १४ आने धान की ही फसल होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक दो एक नलकूप को छोड़कर वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। अगर वहां सिंचाई के साधन होते तो किसान धान कटने के बाद उस खेत में प्याज, या और कोई फसल, जायद फसल बोकर अन्न पैदा कर सकते जिससे उनको कुछ प्राण मिलता। गाजीपुर में एक दूसरा इलाका बहरियाबाद है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। पचोत्तर परगने में तो दो एक नलकूप हैं भी लेकिन बहरियाबाद में तो एक भी नलकूप नहीं लगा और न कोई नहर ही निकली। वहां की जनता सरकार को बहुत कोस रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पचोत्तर और बहरियाबाद का इलाका जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहां की जनता के लिये सिंचाई की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवबचन राव (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के संबंध में मुझे आपके द्वारा कुछ निवेदन करना है। यहां पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले का कोई सवाल नहीं है। बल्कि सबका सवाल बराबर है। पश्चिमी जिलों में भी नलकूपों की आवश्यकता है और पूर्वी जिलों में भी इसकी जरूरत है। लेकिन जहां पर कम नलकूप हैं, पहले वहां ध्यान देने की जरूरत है, पूर्वी जिलों में नलकूप तो बने हैं लेकिन अभी तक मुनासिब ढंग से वे नलकूप नहीं चल सके हैं। मैं देवरिया और गोरखपुर की बात बतलाता हूं कि पिछले साल मैंने देखा कि कोई नलकूप एक घंटा पानी देता है, कोई दो घंटा पानी देता है और कोई तीन घंटा पानी देने के बाद बन्द हो जाता है। इसका कारण पूछने पर मालूम हुआ कि बिजली की कमी है हालांकि बिजली का प्रबन्ध सरकार की तरफ से कुछ किया गया है। इसके पहले तो हमारे यहां नलकूप का कोई नाम भी नहीं जानता था और न देखा ही था कि नलकूप होता क्या है। पूर्वी जिलों में कुछ नलकूप बनाने का प्रबन्ध किया गया है और वे बने भी हैं, लेकिन वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे सरकार की तरफ से तमाम चीजें मुहइया होने के बावजूद भी किसानों को परेशान करते हैं उनको वक्त पर पानी नहीं मिलता है और न कोई उनकी बातों को सुनता ही है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री शिववचन राव]

अभी हमारे साथी ने कहा कि उनके रहने के लिये घर नहीं है, मैं समझता हूं कि घर की क्या आवश्यकता है, उस से भी कम जगह उनको चाहिये, उन को बंगले की आवश्यकता नहीं है, जो उनके यहां पैसा पहुंचाते हैं वह उनको सभी सुविधा देते हैं, बंधी हुई रकम गल्ले की या पैसे की शक्ल में उनके पास पहुंच जाती है इसलिये उनको सुविधा देना मुनासिब नहीं है ।

नालियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जो नालियां बनी हैं वह पैर रखने से ही टूट जाती हैं और अगर कोई इंजीनियर साहब या मन्त्री जी चाहें तो तकलीफ उठायें और जा कर देखें कि उन नालियों की हालत क्या है । सरकार की ओर से रुपया दिया जाता है, तमाम चीजें मुहय्या की जाती हैं, लेकिन वह ऐसी बनती हैं कि साल २ साल में खत्म हो जाती हैं । मेरा सुझाव है कि जिन एक्जिक्यूटिव इंजीनियर या ओवरसियरों की देख-रेख में इस तरह का खराब काम हो उनको सजा मिलनी चाहिये या इस तरह बरबाद किया गया धन उनके वेतन से कटना चाहिये । सरकार को देखना चाहिये कि जहां नालियां कमजोर हैं या किसी हिस्से में काम खराब हुआ है तो उसका नतीजा यह होता है कि पानी चलता रहता है और बीच से पानी नालियों से बह जाता है, इस तरह की चीजों को मन्त्री जी स्वयं देखें । मुझ से कहा जाय तो मैं स्वयं दिखा सकता हूं कि नलकूपों की नालियों की क्या हालत है, सरकार जो रुपया देती है पानी की तरह वह रुपया बह जाता है । इंजीनियर्स और ओवरसियर ठाठ से रहते हैं क्योंकि उनका तो कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है, नुकसान तो गरीब किसान का होता है । इसलिये इसका ठीक से प्रबन्ध होना चाहिये ।

हमारे क्षेत्र में भी सूखी और बांगर जमीन है और वहां भी पानी और गल्ले की कमी रहती है, सरकार भी परेशान रहती है और उसे कभी तकावी और कभी मुफ्ती रुपया बांटना पड़ता है । अगर वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाय तो सरकार का तकावी का और मुफ्ती का पैसा बच जाय और वहां पर लोगों को पानी का सुभीता हो जाय जिससे पैदावार भी अच्छी होने लगे । इसलिये जहां पर ट्यूबवेल और नहर हैं वहां पर सरकार नालियां बनाने की व्यवस्था करे ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री विश्राम राय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

आजकल अखबारों में रोज यह चीज निकलती है कि हमारे देश की अन्न समस्या बड़ी जटिल होती जाती है और उसके कारण तबाही और बरबादी आया करती है, लेकिन हमारी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि जब यहां पर सिंचाई का रेट, आबपाशी बढ़ती चली जाती है तो मानी हुई बात है कि यहां का किसान तरक्की नहीं कर सकता और उसके सामने तबाही और बरबादी दिन-प्रति-दिन आती रहेगी । हमारी सिंचाई की तमाम योजनायें व्यापारिक दृष्टि से बनाई जाती हैं, उनके सामने केवल एक व्यापारिक दृष्टिकोण रहता है और कोई सुविधा पहुंचाने का खयाल नहीं रखा जाता । इसी कारण से आज देश की जनता की गरीबी दूर नहीं हो पा रही है । हमारे जिले में सफीपुर तहसील में ११ नलकूप बने और उनके ऊपर हजारों रुपया व्यय हुआ, लेकिन आज कोई भी नहीं चल रहा है । यह किसकी जिम्मेदारी है और कौन इसके लिये सजा भुगते ? जब इतना रुपया उन पर व्यय हुआ है तो सरकार को देखना चाहिये कि कौन उनके लिये जिम्मेदार है और किस तरह से अब वह चलाये जा सकते हैं ताकि उनसे पानी मिल सके । इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री जी के इस अनुदान का समर्थन नहीं कर रहा हूं । उनको ठीक से चलवाया जाय क्योंकि उनका इसी तरह से पड़ा रहना जनता के हित में नहीं है ।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि हमारे जिले में सई नदी ने और बसहा झील ने बड़ा उत्पात मचा रखा है । इसी साल जब इतनी भयंकर बाढ़ आयी तो लखनऊ और कानपुर रोड के ऊपर पानी आ गया । इस रोड के ऊपर कभी पानी नहीं चढ़ा था । जब इस रोड के ऊपर पानी आ गया तो गांव तबाह हुए । तमाम फसलें बरबाद हुईं । सरकार ने इसकी

तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया । एक ड्रेनेज निकाली गयी । उसके ऊपर १९ हजार रुपया खर्च किया । लेकिन आगे चलकर उस ड्रेनेज को गहरा नहीं किया गया । कुछ दूर खोद कर छोड़ दिया गया । इस वजह से भी पानी लौटा और सड़क के ऊपर पानी चढ़ा । जितनी भी ड्रेनेज खोदी गयी उसके ऊपर मील-मील, दो-दो मील खोद कर आगे जमीन छोड़ दी गयी जिसका नतीजा यह हुआ कि पानी बराबर गांव में भरा रहता है, फसलें डूबती हैं और किसान के सामने तबाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है । इससे पता चलता है कि सरकार के जो काम हो रहे हैं उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो ठेकेदारों को काम दिया जाता है ठेकेदारों को काम न दे कर गांव की मिलीजुली श्रम हितकारी समिति बनायी जाय । वह समिति ऐसी हो जिसको ठेका दिया जाय । उस ठेके से काम सस्ता और मजबूत होगा, टिकाऊ होगा । उससे गांव की जनता को बहुत फायदा पहुंचेगा न कि ठेकेदारों को । ठेकेदारों को जो काम दिये जाते हैं सब को मालूम है कि किस तरह से सीमेंट ब्लैक में बिकी है । आज भी पुलों के कोनों को तोड़ कर देखा जाय तो खुले वैसे ही पड़े हुए हैं । भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं । नहरें उचित ढंग से पानी नहीं देतीं । जो ड्रेनेज में पैसा खर्च किया गया उससे भी पानी नहीं निकल रहा है । इससे समस्या हल होती नजर नहीं आती । सरकार के पास ऐसे विभाग हैं जिनसे जांच करायी जा सकती है, चाहे वह सी० आई० डी० हो या पुलिस हो या अन्य विभाग । लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है ।

एक बात और है । बाज समय किसी किसान के खेत में आग लगने की घटना घटित हो जाती है या उसका खेत किसी ने कटवा लिया तो उस उक्त उसकी सिंचाई माफ कर देनी चाहिए।

सिंचाई के रेट भी कम होने चाहिये । रेट इतने बढ़े हुए हैं कि किसानों को देना असम्भव सा है । दिन-प्रति-दिन वह बढ़ते ही जा रहे हैं । ऐसी हालत में यह समस्या बहुत जटिल हो रही है । इस समय जब कि मार्च का महीना है पानी की आवश्यकता है । गन्ने की खेती है, धनिया वगैरह है । लेकिन पानी न मिलने की वजह से फसलें सूख रही हैं । हजारों बीघे बोई हुई फसलें सूख रही हैं । तो एक तरफ जब फसलें सूख रही हों, सिंचाई वसूल करते वक्त इसका जरा भी ध्यान नहीं दिया जाय चाहे पैदा हुआ हो या न हुआ हो वसूल जरूर किया जाता है ।

इसी तरह से बांधों की दशा है । चाहे वह टोंस नदी हो या गाजीपुर की नहर, एक तरफ बांध बंधे और दूसरी तरफ पानी फैल रहा है । जिन जगहों से नहरें निकली हुई हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया । उनसे लगान वसूल किया जाता है और मुआवजा देना दूर रहा । यह कहां का इंसाफ है ? मैं चाहता हूं कि इन बातों की तरफ सरकार शीघ्र ध्यान दे । जब हमारे देश में भुखमरी, तबाही और बरबादी बढ़ रही है ऐसी हालत में सिंचाई कम हो, व्यापारिक पद्धति से काम न लेकर सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से काम लिया जाय, ठेकेदारों से काम न कराया जाय बल्कि गांव की मिलीजुली कमेटियां हों उनसे काम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि अच्छे ढंग से तरक्की होगी ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई है वह पूर्वी अंचल में सूखे की घटना है । बड़े बूढ़ों का कहना है कि उनकी दृष्टि में तो ऐसी घटना कभी हुई नहीं । सवाल यह है कि इस सूखे के निराकरण के लिये हमने या हमारी सरकार ने जो कदम उठाये वह यथोचित हैं या नहीं हैं । हम आदरणीय

श्री रामनाथ पाठक]

सदन का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि जिस समय प्रान्त में यह सूखा पड़ रहा था ठीक उसी समय हमारे पड़ोसी देश चीन की यांगटिसी घाटी में भी उसी तरह का सूखा बल्कि उससे और भी भीषण रूप का सूखा पड़ा था। लेकिन उस चीन ने आखिर कौन-सा जादू किया, वहां कौन-सी जादू की वंशी कृष्ण ने बजायी कि उसने अपने सूखे का निराकरण इस ढंग से किया कि उन लोगों ने इस चीज को संभाल लिया? पर हमारे इस प्रान्त ने उस सूखे का निराकरण नहीं किया। आखिरकार, क्या बात है? कारण सिर्फ यह है कि हम लोग जनजागरण करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों में वह भावना हम नहीं पैदा कर पाते हैं कि वह उनका काम है, उनको करना चाहिये। आप जरा चीन का उदाहरण लें जो उन्होंने किया। गांव के लोगों ने १ लाख कुएं दो महीने के समय में खोद लिये और शहर के लोग चुप नहीं बैठे रहे। वह भी अपने घरों से निकले और हाथ में बाल्टी लेकर निकले। जाकर के उन्होंने गांवों में खेतों की भराई की। उसके मुकाबिले में हमारे प्रान्त में क्या हुआ, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कहने से, सान्त्वना से तो काम नहीं चलता। यह एक ऐसी घटना है जो कि दस, पन्द्रह या पचास वर्ष में एक बार आये या रोज आये लेकिन उसके निराकरण का कोई न कोई उपाय तो निकालना ही है। हमारे सिंचाई विभाग ने सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ली है कि वह सिर्फ ४० परसेंट भूमि की सिंचाई कर सकेगा। अगर सारी नहरें या सारे नलकूप लग जायं तब तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरकार हमारे पूरे प्रयत्नों के बाद भी जो ६० परसेंट भूमि बच रहेगी उसकी सिंचाई का क्या प्रबन्ध होगा, इस पर हमारी गवर्नमेंट को और हमको बड़े गौर से विचार करना होगा और इसके लिये हमें छोटी-छोटी स्कीम्स लेनी होंगी। हमें कुओं की ओर जाना होगा। बिना कुओं के हमारे प्रान्त का काम चलने वाला नहीं है।

हमें दो-एक बातें सिंचाई विभाग की शिकायतों के बारे में भी कहनी हैं। यों तो हम इस विभाग की शिकायतें इस आदरणीय सदन में रोज सुनते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शिकायत हमारी समझ से इस विभाग की है, जिसकी चर्चा इस सदन में भी कभी-कभी आती है, वह गांव कटाई के सिलसिले में है। काफी लोगों की शिकायत है कि कुछ गांव ऐसे कट गये जिनका इस युक्त प्रान्त के नक्शे में नामोनिशान नहीं है। अगर यह बात सच है.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---सच है।

श्री रामनाथ पाठक---मेरे मित्र कह रहे हैं कि सच है, मैं भी कहता हूं कि अगर यह सच है तो इसकी खुली जांच होनी चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बात झूठ भी हो तो भी मैं उनको सलाह दूंगा कि इसकी खुली जांच हो। मैं इस सिलसिले में अपने केन्द्रीय प्रशासन और प्रान्तीय प्रशासन की चर्चा करूंगा। क्या बात है, जब कि केन्द्र में और प्रान्त में एक ही पार्टी की सरकार मौजूद है, एक ही पार्टी का शासन चल रहा है, तो केन्द्र के शासन के प्रति लोगों में आस्था हो, जवाहर लाल जी पर विश्वास हो, लेकिन हमारे प्रान्त की सरकार पर आज इतना बड़ा लांछन लग रहा है कि कुछ गांव ऐसे कट गये कि जिनका कि नामोनिशान नहीं है। मैं अपने मन्त्रिमंडल को यह सलाह दूंगा कि वह इस चीज को अपने हाथ में लें और एक बड़े से बड़े जज के सामने इसकी जांच हो। आपने देखा, केन्द्र ने मूंधड़ा कांड की जांच करायी। उससे क्या हुआ है? उससे हमारे प्रशासन में आस्था आयी। मैं तो यह कहूंगा कि अभी हमारे सिंचाई मन्त्री ने अपने पेट का आपरेशन कराया। एक कुशल सर्जन ने बड़ी सफलता से उनके पेट का आपरेशन किया। उसी तरह से मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर उनके विभाग में ऐसी कोई बात है तो उसका सफल आपरेशन होना चाहिये और यह सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिये।

इस सिलसिले में एक चीज आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कहना चाहता हूं। हम बलिया जिले के रहने वाले हैं। एक शिकायत हम लोग मन्त्री जी से पहले भी कर चुके हैं कि जो इंजीनियर्स और ओवरसियर्स हैं इनके रिश्तेदार लोग हमारे यहां आ-आ करके ठेकेदारी

का काम करते हैं। मैं जानता हूं कि मन्त्री जी ने इस बात का आदेश जारी किया है कि ऐसी घटनायें न घटें और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसका और कड़ाई से पालन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय और चाहूंगा इसलिये कि मैं अपने अभागे जिले की चर्चा करूं। अभागा हमारा पूर्वी अंचल तो है ही, लेकिन उसमें भी बलिया एक छोटा सा जिला और अभागा है। अभागा यों है कि इस प्रान्त की दो बड़ी नदियां इस जिले के दोनों अंचलों से जाती हैं भीषण और विकराल रूप धारण करके। नतीजा यह होता है कि इस जिले से जिसके दोनों तरफ बिहार है, उत्तर और दक्षिण में, यह दोनों नदियां १०० वर्षों से इस जिले को काट रही हैं। सैकड़ों गांव बिहार प्रान्त में चले गये। मैं आदरणीय सदन का ध्यान विशेष परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं, विशेष कानून की ओर, जिससे हमारा जिला कटते-कटते बिहार प्रान्त में चला जाता है। वह विशेष कानून यह है कि जितना हिस्सा कट करके बिहार में चला जायगा वह वहां का हो जायगा और जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयेगा वह इस प्रदेश का हो जायगा। लेकिन १०० वर्षों से बलिया जिला कटकर बिहार प्रान्त में जा रहा है और कोई हिस्सा हमारे प्रान्त में आने वाला नहीं है। इस साल हमारे जिले के २७ गांव बिहार में गये हैं और उनके पेपर्स ट्रांस्फर हो रहे हैं। इसके लिये आज १० वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं, कमेटीज बैठायी जायं, हमारे लिये एक सीमा बन्दी की योजना बना दी जाय। मैं मानता हूं कि सीमा बन्दी से इस विभाग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी एक दुखद कहानी है जिसे हमें कहनी है। अगर यही सदन ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? नदी की कटाई के सिलसिले में हम अपनी जिन समस्याओं का समाधान सदन से कराना चाहते हैं, वह है कटाई और उसके साथ बाढ़। सिंचाई विभाग ने दो बांधों की स्वीकृति दी है और वह काफी लम्बा बांध दो हिस्सों में बन गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस बांध के बीच में ७ मील का हिस्सा रुका पड़ा है। बिहार प्रान्त की सरकार का कहना है कि अगर यह बांध बन जायगा तो ४० मील की दूरी पर जो पटना शहर है उसको खतरा आ जायगा। मैं बिहार प्रान्त की शिकायत नहीं करना चाहता। लेकिन जो १० वर्ष से हम परेशान हो रहे हैं, हमको तबाह करना चाहते हैं और भूखों मारना चाहते हैं, उसके बारे में जो हमारी शिकायत है उसका इजहार होना चाहिये। बिहार प्रान्त भी हमारे देश का एक अंग है। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी सीमा का जो सवाल है वह हल किया जाय और ठीक तरह से हमारा बांध बना दिया जाय जिससे जनता का पालन-पोषण हो सके।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस आदरणीय सदन में पूर्वी जिले वाले और पश्चिमी जिले वालों की बड़ी बातें हुईं। मुझे आपसे बुंदेलखंड के बारे में निवेदन करना है और आपके द्वारा सरकार का और माननीय मन्त्री जी का ध्यान बुंदेलखंड की ओर आकर्षित करना है। बुंदेलखंड जैसा आज का निर्मित है उसमें वह देशी रियासतें भी शामिल हैं १९४८ के बाद, जिनको एनक्लेव कहा जाता था, सभी उत्तर प्रदेश में शामिल हुईं, और इस प्रकार आज के बुंदेलखंड का निर्माण हुआ— चरखारी रियासत, कदौरा रियासत, दतिया रियासत, समथर रियासत, वगैरह, वगैरह। रियासतों के जमाने में नहरों का कोई प्रबन्ध नहीं था। और उन रियासतों के बुन्देलखंड में शामिल होने के बाद आज भी उनकी हालत वही है जो राजाओं और नवाबों के जमाने में थी। बुन्देलखंड के भूभाग में नहरों का जाल बिछाने के लिये या ट्यूबवेल बनाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। बुन्देलखंड का खास जिला जालौन, मेरा दावा है, इस प्रदेश की ग्रेनरी है। वहां एक-एक खेत २००, २०० बीघे का होता है मामूली से मामूली खेत ५० बीघे का होता है। वहां आबपाशी की बहुत जरूरत

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

है। भूमि की वहां समस्या नहीं है कि १,१ या २, २ बीघे के खेत हों। आबपाशी की अगर वहां कोई सूरत हो जाय तो पैदावार ज्यादा होगी। लैंड पर वहां कोई दबाव नहीं है, मगर आबपाशी की सुविधा न होने के कारण पर्याप्त गल्ला वहां पैदा नहीं हो सकता।

माताटीला बांध से हमको बड़ी उम्मीद थी कि इसके बन जाने पर बुन्देलखंड की परिस्थिति में कुछ तब्दीली होगी। परन्तु वह मताटीला का बांध द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ड्राप कर दिया गया। वहां के अधिकारियों के लिये नया शहर बसा दिया गया। लेकिन मजदूर वहां काम पर बाहर से आये वे वापस चले गये। यह सरकार शायद इसलिये काम बन्द कर देती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही अगर सारा काम खत्म कर देगी तो फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में करने को क्या रह जायगा? इस समय कह दिया गया कि यह काम रोक दिया गया है, लेकिन जब वोट मांगने का समय आयेगा तो कहा जायगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम माताटीला बांध को नहीं बनवा सके, हमें वोट दीजिये, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे बनवा देंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसी तरह यह लटकेगा और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये वायदा किया जायगा। माताटीला की परिस्थिति यही रहेगी।

बुन्देलखंड में जिला झांसी में सुकुआ, ठाकुआं दो बांध १९०५ में निर्माण किये गये थे। वे धीरे-धीरे भर रहे हैं। एक ओर तो सरकार बांध बनाती है, दूसरी ओर कोई व्यवस्था नहीं करती कि पुराने बांधों को गहरा करवाती रहे, वे धीरे-धीरे भरते चले जा रहे हैं। अगर इन पुराने बांधों को सरकार गहरा करवाती रहे तो नये बांध बनवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां की सरकार का और जनता का बहुत कुछ पैसा बच जायगा।

इसी तरह से, श्रीमन्, महोबे में दो बहुत बड़े-बड़े तालाब हैं जिन्हें मदन व कीरथ सागर कहते हैं। जब वे बनवाये गये थे तो हमीरपुर जिले के बहुत बड़े एरिया की उनसे सिंचाई हुआ करती थी। आज अगर सरकार उस तरह के तालाब बनाने की कोशिश करे तो करोड़ों रुपये खर्च होंगे। उन तालाबों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। अगर उनकी ठीक व्यवस्था कर दी जाय और उनको गहरा सरकार करवाती रहे तो उनसे आबपाशी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है।

एक बात और निवेदन कर दूं कि कभी-कभी यह कह दिया जाता है कि सरकार के जो एक्सपर्ट हैं, टेक्निशियंस हैं वे राय नहीं देते। मैं चाहता हूं कि सरकार बुन्देलखंड की इस आबपाशी की समस्या को एक दूसरे ढंग से देखे। किसी एक टेक्निशियन के जिम्मे काम न करके, टेक्निशियंस की एक कमेटी बना दी जाय जो इस बात पर सोचे कि बुन्देलखंड में बड़ी-बड़ी स्कीम्स का कैसे निर्माण हो।

इसी तरह श्रीमन्, ट्यूबवेल की बात कही गयी। वहां के चारों जिले यह नहीं जानते कि ट्यूबवेल क्या होता है? यह रोज सुना जाता है कि फलां जिले में २४ और फलां में १५ ट्यूबवेल हैं, लेकिन वहां एक भी ट्यूबवेल नहीं है। इसलिये अगर सरकार आबपाशी के लिये दूसरे साधनों पर वहां ध्यान नहीं दे सकती तो ट्यूबवेल का साधन तो बुन्देलखंड में ही हो सकता है। सरकार का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

ठेकेदारी सिस्टम के विषय में अभी माननीय सदस्यों ने कहा उसी संबंध में एक बात मुझे निवेदन करनी है। वह यह कि कैनाल ऐडवाइजरी कमेटी प्रत्येक जिले में बनी हुई है, उसका स्कोप बढ़ाया जाय। जितनी टेक्निकल साइड है वह इंजीनियर्स के हाथ में रहे और पेमेंट का जो सवाल होता है, जो ठेकों को देने का सवाल होता है, इन सब बातों में जो कैनाल ऐडवाइजरी कमेटी है वह इंजीनियर्स को ऐडवाइज करे। जब वहां पर यह चीजें पास हो जाय तो पेमेंट वह कर दें।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मुझे यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश में पैदावार नहीं बढ़ सकती जब तक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कैनाल डिपार्टमेंट का कोआर्डिनेशन न हो। ये दोनों अलग-अलग हैं, एक दूसरे से कोआर्डिनेट नहीं करते और इन दोनों में कनफ्लिक्ट होता रहता है। इसलिये अगर उत्तर प्रदेश की पैदावार को बढ़ाना है तो इन दोनों का कोआर्डिनेशन आवश्यक होगा।

आखरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि यह जो डिपार्टमेंटल जुडीशियरी है इसको बन्द होना चाहिये। इससे बहुत हद तक करप्शन और हेरासमेंट होता है। एक पतरौल रिपोर्ट करता है, दूसरा गवाही देता है और ४-६ आदमियों का कनविक्शन हो जाता है। जब आर्डिनरी ला कोर्ट्स मौजूद है तो डिपार्टमेंटल जुडीशियल कोर्ट के कोई मानी नहीं होते। इससे करप्शन तो बढ़ता ही है, साथ ही सेपरेशन आफ जुडीशियरी और ऐग्जिक्यूटिव में भी बाधा होती है और वह हमेशा कोसों दूर मामला रहता है।

तो मैं बुन्देलखंड की इन सब समस्याओं की ओर आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो अपनी बहुत पुरानी बात रखना चाहता हूं कि यह कैनाल और ड्रेनेज ऐक्ट बहुत पुराना है और इसकी मैनुअल भी बहुत पुरानी है। मैंने पिछले साल के बजट पर भी मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया था कि इस मनुअल को बहुत जल्दी तैयार करना चाहिये, लेकिन अफसोस की बात है कि वह अब तक तरमीम नहीं हुई।

माननीय मंत्री जी ने अपने व्याख्यान में फरमाया कि बोई हुई जमीन का ४० प्रतिशत हम आबपाशी के लिये रखते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि वह ४० प्रतिशत भी पूरा नहीं कर पाये हैं। केवल बोये हुए रकबे का ३० फीसदी ही वह आबपाशी कर पाते हैं और पिछले ३-४ साल में तो वह ३० फीसदी से भी कम, २९.४ रह गया है। उसका कारण यह जरूर बताया जाता है कि नयी जमीन कुछ आबपाशी के लिए और बढ़ाई गयी और उसमें जैसा माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि कुछ समय लगता है कि वहां के काश्तकार इस बात के आदी हो जायं कि सिंचाई करना वह जान जायं। लेकिन सवाल यह है कि मैंने तो बड़े गौर से माननीय मंत्री जी के व्याख्यान को सुना और एक बुकलेट जो हमें आज ही दी गयी है उसको भी गौर से देखा कि एक समस्या जो देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है उसके बारे में उस बुकलेट में कोई बात मिले या माननीय मंत्री जी के व्याख्यान में कोई बात मिले। लेकिन खेद है कि उसका कहीं जिक्र नहीं है और वह समस्या है हमारे खाद्यपदार्थ के ज्यादा उत्पादन की। वह कैसे पैदा हो सकता है? माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के व्याख्यानों में आज से नहीं कई साल से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिन जगहों में सिंचाई के साधन अच्छे हैं वहां घनी खेती की जाय, इंटेंसिव कल्टीवेशन वहां किया जाय और इंटेंसिव कल्टीवेशन के माने यह होते हैं जैसे अब ३० प्रतिशत हम बोई हुई जमीन की सिंचाई कर पाते हैं और जिम्मेदारी ४० फीसदी की है, तो वह तो केवल सूखे से बचाने के लिये है, लेकिन घनी खेती के लिये कम से कम बोये हुये रकबे का ८० प्रतिशत अगर हम आबपाशी नहीं कर देंगे तो घनी खेती कभी नहीं हो सकती। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी या उनका विभाग इस बुकलेट में कहीं यह दिखाते कि आजतक उन्होंने इंटेंसिव कल्टीवेशन के सम्बन्ध में क्या किया? और जब तक घनी खेती के लिये वे साधन नहीं जुटायेंगे तब तक हमारी खाद्य समस्या कभी हल नहीं हो सकती। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। जहां तक ८० प्रतिशत सिंचाई के साधनों की बात है वह बड़ी आसानी से किया

[श्री फतेह सिंह राणा]

जा सकता है । जहां नहरों और ट्यूबवेल्स का कमांड एरिया ज्यादा है उसको कम कर देना चाहिये और टेल जहां आज भी पानी कम मिलता है वहां नये ट्यूबवेल्स बनाये जायं और उन ट्यूबवेल्स की आबपाशी की दर नहर की दर के बराबर हो जिससे काश्तकार खुशी से उनसे पानी लेंगे और आसानी से इंटेंसिव कल्टीवेशन हो सकेगी ।

इंटेंसिव कल्टीवेशन के सम्बन्ध में एक और आपत्ति है और वह है देशी कुंये । आमतौर से ऐसा देखने के आता है कि जहां सरकार की तरफ से सिंचाई के साधन हैं वहां किसान लोग देशी कुंए बनाते हैं और सारे प्रदेश की जितनी आबपाशी सरकारी साधनों से होती है मेरा अन्दाजा है कि उससे कहीं अधिक हमारे देशी कुंओं से होती है । लेकिन सरकार का यह एक ढंग है कि जो सरकारी आबपाशी की जगह हो वहां देशी कुंए से आबपाशी करने से वह रोकती है और वह इस तरह से कि अगर कोई नहर के कमांड में अपने कुंए बनाता है और वह पानी अपने खेत में ले जाता है तो उसको कहते हैं कि यह शामिल खाल हो गया है और उस नाली में जिसमें हो कर नहर का पानी जाता है अगर वह देशी कुंए का पानी ले जाता है तो हालांकि उसने नहर का पानी नहीं लिया फिर भी उस पर आबपाशी लगा दी जाती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि उसको प्रोत्साहन देने के बजाय कि घनी खेती करने के लिये वह अपने निजी साधन लगाये उल्टे उसको सजा यह दी जाती है कि देशी कुंएं से पानी लेने पर भी उस पर नहर की आबपाशी लगा दी जाती है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और शामिल खाल के प्राविजन को मैनुअल से हटाये ।

इसके अलावा मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि तजुर्बे के तौर से अगर देखा जाय तो उससे काफी लाभ भी हो सकता है । वह यह है कि वाल्युमेंट्री स्कीम पर पानी दिया जाय, यानी कोई ऐसा साधन बनाया जाय जिससे यह मालूम हो जाय कि इतने गैलन पानी हम एक किसान को दे रहे हैं और उसी पर पानी की दर मुकर्रर कर दी जाय । मेरे खयाल से इससे किसान और सरकार दोनों को काफी लाभ हो सकता है ।

माननीय मंत्रीजी ने अपने व्याख्यान में एक बहुत खास बात कही और वह यह है कि महकमे के कर्मचारियों का व्यवहार किसानों के साथ बहुत अच्छा होना चाहिये । यह वाकई बहुत ऊंची बात है । मैं यह नहीं कहता की सभी सरकारी कर्मचारी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं लेकिन अधिकांश उनमें से यह समझते हैं कि वह आदमी से एक ऊपर की चीज हैं और किसान शायद कुछ गंवार है, बेईमान होता है, अधिक आबपाशी कर लेता है, थोड़ी बताता है और बिना वजह वह चिल्लाता है तो इस किस्म का व्यवहार जो कुछ सरकारी कर्मचारियों का है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया, तो मैं 'आशा' करता हूं कि कर्मचारी वर्ग उनकी इस बात पर दृढ़ता के साथ अमल करने की चेष्टा करेंगे ।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है जिससे खेती की पैदावार का संबंध है । हिन्दुस्तान में सब से जरूरी सवाल यह है कि किस तरह से अन्न की पैदावार बढ़े । माननीय मंत्री जी ने भी और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि यदि ४० प्रतिशत पैदावार बढ़ जाय तो हिन्दुस्तान में अनाज की कमी बहुत हद तक दूर हो जायगी । दूसरी ओर अशोक मेहता जी ने कहा है कि आज की हालत में २० साल तक हम अनाज की कमी को पूरा नहीं कर सकेंगे। आबपाशी का संबंध सीधे खेती की पैदावार से है।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आप एक ऐसी योजना बनायें जिसमें यह ठोस बात आये कि आप १०-१५ साल में सूबे के हर एक खेत में पानी का इंतजाम कर देंगे । आपकी पांच साला योजना खत्म हो गई । इसमें आपने केवल १५ लाख एकड़ जमीन पर आबपाशी की है यानी आपका हर साल का औसत ३ लाख एकड़ जमीन को आबपाशी करने का रहा है और अभी ४०१ लाख एकड़ जमीन बाकी है और १०६ लाख एकड़ जमीन पर इंतजाम है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर यही प्रगति रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ९४ साल का वक्त आबपाशी का काम पूरा करने के लिये लगेगा। अगर आपकी पांच साल की योजना न होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। इसकी तरह से कितनी और ऐसी पांच साला योजनायें आप लेंगे जब कि आप प्यासी जमीन की प्यास को बुझा सकेंगे। आप इस योजना को चलाते हुए आबपाशी की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और सारी मुश्किल यह है कि जितने रिसोर्सेज हिन्दुस्तान के हैं उसके साथ ही साथ इसका खर्चा अमरीका की तरह है। प्रोजेक्ट स्कीम अगर आप देखें तो एक एकड़ जमीन की आबपाशी के इंतजाम में २०७ रूपये खर्च होते हैं। अगर ट्यूबवेल लगायें तो मुश्किल से खर्चा १३६ रुपये आता है और अगर छोटे-छोटे कुएं बनायें तो एक एकड़ के लिये १०० रुपये की जरूरत है।

मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ इतना खर्चा बढ़ा रखा है। आप दूसरे मुल्कों से पैसा मांगते हैं, मशीनें आपके पास नहीं हैं, सीमेंट की कमी है। लेकिन आपको शौक हो गया है कि जल्दी से जल्दी बड़े-बड़े डैम बनायें। मेरा सुझाव यह है कि अगर आपको कोई डैम बनाना है तो अपनी योजना रखें कि १५ साल में यह डैम पूरा होगा। श्रीमन्, अभी एक शारदा सागर डैम बना और जब उसमें पानी भरा गया तो पानी नीचे से निकलने लगा। हिन्दुस्तान के इंजीनियर भी कैसे हैं कि एक साथ डैम को पानी से भर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मिट्टी सिल्ट नहीं हो पाई और नीचे की दराजों से पानी निकलने लगा जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। मैंने तो यहां तक सुना है कि अब कुछ इंजीनियरों ने सलाह दी है और उस डैम में ऊपर से हजारों सीमेन्ट के बोरे, पत्थर और कंकड़ डाले जा रहे हैं। यह काम इसलिये किया जा रहा है कि नीचे की जगह सिल्टेड हो गई है। मेरा तो यह निवेदन है कि आप एक ठोस योजना बनायें जिससे किसानों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। आप उसको खूब सिंचाई के लिये पानी दें और वह अपने यहां चैनल बनायें। आपकी योजनायें बनती हैं, लेकिन किसानों को मालूम नहीं हो पाता। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि वह डैम की तरफ धीरे-धीरे चले। सरकार कुओं की तरफ जाय। कुओं के इस्तेमाल से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यू० पी० में नहरों की एक यह समस्या पैदा हो गई है कि आज जहां-जहां नहरें हैं और जहां-जहां पानी का इन्तजाम ज्यादा है वहां पर नहरों के साथ ऊसर जमीन ज्यादा होती जाती है क्योंकि नहर का जो पानी जाता है वह ऊपर से जाता है और ऊपर से खेतों को मिलता है। जितने मिनरल्स होते हैं वह जमीन के ऊपर सतह में रह जाते हैं। उसका असर यह होता है कि जमीन ऊसर हो जाती है। इसलिये सरकार इस बात की कोशिश करे कि नहरों का पानी कम दिया जाय। नहर के पानी से सिंचाई का रकबा तो जरूर बढ़ा है, लेकिन यह भी रिपोर्ट है कि इससे ऊसर जमीन ज्यादा बढ़ी है। इसको रोकने की कोई कोशिश सरकार को करनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि जहां पर कैनाल जाय उसके साथ-साथ कुओं का इन्तजाम भी वहां पर किया जाय। नहर के पानी से ऊपर की सतह को जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिये कुओं का इन्तजाम हो तो अच्छा होगा। आप सिर्फ अकेले नहर से ही पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। एक सदस्य ने अभी कहा कि नहर के पानी से ज्यादा से ज्यादा आप २० फीसदी एरिया कवर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको कुओं की भी जरूरत पड़ेगी। कुओं के पानी से किसानों का ज्यादा फायदा होगा। ऊसर जमीन को बढ़ने का भी चान्स कम मिलेगा। इसलिये मेरा कहना

[श्री बलवान सिंह]

है कि यह सरकार कुओं की योजना बनाये । अकेले नहरों की योजना से खेती की प्यास दूर नहीं हो सकती है । जो जमीन ऊसर होती जाती है उसकी समस्या भी सरकार के सामने आयेगी । इसलिये मैंने उसको दूर करने के लिये यह सुझाव दिया है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि नदियों से जो पानी जाता है उस पानी का ६ फीसदी पानी आप इस्तेमाल करते हैं । सरकार को यह समझना चाहिये कि जब ६ फीसदी पानी का इस्तेमाल होता है तो ९४ फीसदी पानी बेकार जाता है । आप कहते हैं कि बाढ़ आती है । बाढ़ रुक नहीं सकती है । बाढ़ की एक ही समस्या है और वह यह है कि नदियों को गहरा किया जाय । इन बांधों को ऊंचा करने से समस्या हल नहीं होगी । ४ करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ है । इसलिये मेरा निवेदन है कि एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय जो इन सब बातों की जांच करे कि जहां पर बांध बनाये गये हैं वहां पर किसानों को कितना लाभ हुआ है ।

आज किसान ज्यादातर सस्ता अनाज खाता है । अगर आप इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो आलू, ऊख और गेहूं की फसल जब बोई जाय और जब किसान चाहे तब उसको पानी मिले । अगर उसके पास में कोई पानी का इन्तजाम नहीं है तो उसके लिये कुएं का इन्तजाम किया जाय । अगर कोई डिपार्टमेंट का आदमी हो और उसकी वजह से किसी नहर में पानी नहीं जाता है या समय पर किसान को अपने खेत के लिये पानी नहीं मिलता है और उसकी फसल सूख जाती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी होनी चाहिये । सरकार की तरफ से गारन्टी होनी चाहिये कि उनके खेतों को पानी मिलेगा । जब किसानों की फसल तैयार होने पर आती है, जब उसको सख्त जरूरत होती है तब अगर कुछ लापरवाही सरकार की तरफ से हो या पानी का कम इन्तजाम सरकार की तरफ से हो तो उस किसान के नुकसान की जिम्मेदारी किसी पर होनी चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी किसानों को गारंटी दें कि वह उनको पानी देंगे और इसके साथ ही वह अपनी योजनाओं को बदलें । इस तरीके की योजनाओं से किसानों को फायदा नहीं हो सकता । इन ५३, ५५ साला योजनाओं से प्यासे हिन्दुस्तान का काम नहीं चलेगा । मैं कहता हूं कि आप दो लाख कुएं बनायें और १० लाख छोटे-छोटे कुएं बना दें और इन प्रोजेक्ट स्कीमों को धीरे-धीरे चलाइये । इससे ही आपकी पैदावार पांच गुनी बढ़ जायगी । सरकार का यह रोना कि विरोधी पार्टी कोई सुझाव नहीं देती, सही नहीं है । आप हमारी योजनायें मानते भी हैं ? अभी अहरौरा डैम बह गया और सरकार का, जनता का लाखों रुपया बरबाद हो गया । यह पैसा कौन देगा ? सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि इस तरह के अमरीकी खर्चे से आपका काम नहीं चलेगा ।

जहां तक रेट्स का सवाल है, मेरा सुझाव है कि वह मालगुजारी की तरह से एक होने चाहिये । आप निश्चित कर दीजिये कि इतना पर एकड़ पड़ेगा । किसान को छूट होनी चाहिये कि वह चाहे तो आलू बोये या गन्ना । सरकार लैंड रेवेन्यू की तरह से उसका रेट फिक्स कर दे । सरकार ने ३०० रुपये से कम की आमदनी के व्यवसायियों को भी कर से छूट दे रखी है, लेकिन खेती के लिये ऐसा नहीं है । किसान को कम से कम इतनी छूट तो होनी चाहिये कि वह एक फिक्स रकम सिंचाई की मालगुजारी की तरह से दे और इसके लिये माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । सिंचाई का सम्बन्ध कृषि के साथ बहुत गहरा है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि इधर पिछले तीन चार सालों में दैवी प्रकोपों के कारण हमारे प्रदेश की कृषि को बहुत क्षति पहुंची है । आज हमारा कार्य अपने प्रदेश को अन्न से भर-पूर बनाना और अन्न की कठिनाई को दूर करना है । इसके लिये हमारी सिंचाई में जो खामियां हैं उनको हमें पहले दूर करना होगा । सिंचाई और कृषि का वही सम्बन्ध है जो जल और मछली का है । मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान

पूर्वी जिलों की ओर जो अभावग्रस्त रहे हैं दिलाना चाहता हूं । गोरखपुर और देवरिया में जहां २१ और २२ चीनी मिले हैं और जिनसे कई करोड़ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट को केन सेस के रूप में मिलता है, वहां और जिलों की तरह से ट्यूबवेल्स बनाये गये हैं लेकिन नालियों के अभाव में वहां किसानों को पानी नहीं मिल पाता । जहां नालियां बनी भी हैं वहां कई बार वे टूट जाती हैं जिसके कारण उनको परेशानी हो जाती है ।

मैं मंत्री जी का ध्यान उन ट्यूबवेलों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर हुए हैं । पडरौना, लक्ष्मीगंज, रामकोला इत्यादि से लेकर त्रिवेणी तक के किनारे तक ४०, ५० मील के क्षेत्र में सिंचाई का कोई साधन नहीं है । वहां हमारी खाद्यान्न की पैदावार दिन दुगुनी रात चौगुनी कम होती जा रही है । तीन बार प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई, आज तक हाटा के उत्तर के एरिया में सिंचाई की कोई योजना नहीं है । यह बड़ा भारी विवाद का विषय बना हुआ है । वहां के गोयल इंजीनियर ने इसमें रुकावट डाली है । मैं माननीय राममूर्ति जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि और जगहों में सिंचाई की कितनी प्रगति हुई है लेकिन जिस तरह से यह होनी चाहिये थी वैसी नहीं हुई । कोपमहेसवा में एक बड़ा भारी ताल है और इतना पानी उसमें है कि १०, १२ मील तक मशीन से उसे ले जाया जा सकता है । उससे काफी सिंचाई की जा सकती है । मैं उस तहसील की बात कर रहा हूं जिसमें से दो बड़ी भारी खतरनाक नदियां बहती हैं, छोटी गण्डक और बड़ी गंडक, जो हर साल हाटा का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट कर देती हैं । वहां एक बांध भी बनाया गया जिसे छितौनी बांध कहते हैं । इससे वहां की जनता को काफी राहत मिली है लेकिन उससे नारायणी की समस्या हल होने वाली नहीं है । उससे वहां एक बड़ी भारी नहर निकाली जा सकती है जिससे सैकड़ों मील तक किसानों को अच्छा खासा पानी दिया जा सकता है । उस खतरनाक नदी से बिहार में अंग्रेजी राज्य में एक नहर निकाली गई । हमारे यहां भी ऐसा करके काफी लाभ उठाया जा सकता है । सिछिरिया कैनाल हम लोगों की और जनता की मांग पर निकाली गई । लेकिन उस पर फाटक न होने से उसका पानी कंट्रोल नहीं किया जा सकता जिससे कभी-कभी बहुत नुकसान हो जाता है । मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब चैत-बैसाख का समय आता है, किसान के सिर पर जब सूरज तपता है, गोयल इंजीनियर जब खस की टट्टियों में बैठे रहते हैं उस समय वहां का किसान ४०–४० हाथ से गन्ने को सींचने के लिये पानी निकालता है, उनके हाथ कट-कट जाते हैं । जेठ की दुपहरी में जब कि लू चलती है तब वे गन्ने के खेतों मे पानी देते हैं । इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है जो त्राहि-त्राहि मची हुई है, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये जितनी जल्दी हो सके पूर्वी जिलों की पानी और खाद्य समस्या को हल किया जाये ।

एक देहाती मसल है "भूखे भजन न होंहि गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला ।" तो इस तरह से जो अभावग्रस्त स्थान हैं जिनकी खाद्य परिस्थिति को आप हल करना चाहते हैं, अकाल का मुकाबला करना चाहते हैं, दुष्काल को खतम करना चाहते हैं, देश के जनजीवन के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो सिंचाई मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे पूर्वी जिलों की खाद्य समस्या को हल करने की तरफ विशेष ध्यान दें । हमारे यहां राप्ती नदी है जहां से पानी लेने की व्यवस्था की जाय । कुओं से पानी निकाल कर तथा तालाबों से पानी निकाल कर अभावग्रस्त क्षेत्रों को दिया जाय तो मैं समझता हूं कि खाद्य की समस्या बहुत जल्द हल हो सकती है । सरकार को चाहिये कि वहां सिंचाई के साधन जुटाये । जहां कच्ची नालियां बनी हैं वहां पक्की नालियां बनाई जायं और जहां नालियां बिलकुल नहीं हैं वहां नालियों के बनाने का उपयुक्त प्रबन्ध किया जाय । जहां नहरें नहीं हैं वहां नहरों के निकालने का प्रबन्ध किया जाय तभी खाद्य की समस्या हल हो सकती है और उनके जरिये किसानों को बड़ी भारी राहत मिल सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से लगभग ४ महीने पूर्व मैंने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में यहां एक प्रश्न किया था और माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह आग्रह किया था कि वे अपने किसी इंजीनियर को मेरे साथ भेज कर उन स्थानों को दिखला लेवें और वहां से पानी निकालने का प्रबन्ध कर दें तो लगभग ३–४ हजार एकड़ जमीन कृषि के योग्य निकल सकती है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और श्री राधेश्याम, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वहां गये । उन्होंने सबके सामने यह आश्वासन दिया कि वह इसको ठीक करवा देंगे लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि वे उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं । सिंचाई विभाग ने भी कोई ध्यान नहीं दिया । फिर मैंने एक स्मृति-पत्र श्री बी० एन० खत्री इंजीनियर को दिया जिसको उन्होंने एक्नालेज तक नहीं किया । मैं आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यदि वे स्वयं दौरा करें तो मैं अपने क्षेत्र में उनको ऐसे स्थान बतला सकता हूं जहां ऐसे ड्रेन्स हैं जिनमें लगभग १० वर्ष से सफाई नहीं हुई है । उन स्थानों को देख कर के ही इसका अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इस सम्बन्ध में किस तरह से काम हो रहे हैं । मेरे क्षेत्र संडीला में जो अखड्डी ड्रेन है वहां पर लगभग दो ढाई सौ एकड़ का सरकारी फार्म है जो जंगल काट कर बनाया गया है । यह सभी जानते हैं, जहां पर जंगल काट कर फार्म बनाये जाते हैं तो ऐसे फार्म के पास जो गांव होते हैं वे पानी में डूब जाते हैं । परन्तु सिंचाई विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । उसी के पास एक मटेहना गांव है जहां कि कई घर बिलकुल पानी में डूब जाते हैं जिसकी वजह से कई घर इस वर्ष गिर भी गये हैं । इस सम्बन्ध में मैंने अपने स्मृति-पत्र में भी लिखा था परन्तु उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिंचाई के सम्बन्ध में यह कहनी है कि भ्रष्टाचार में पुलिस के बाद दूसरा नम्बर सिंचाई विभाग का ही आता है । आप भी कदाचित् जानते होंगे कि एक ओवरसियर की आमदनी आज के युग में ४,००० रुपये प्रति मास है और ओवरसियर साहब अपने ऊपर के कुछ इंजीनियर्स के लिये, मैं चीफ इंजीनियर को नहीं कहता अपितु उनके नीचे के जो इंजीनियर होते हैं, उनके लिये कुछ प्रतिशत ठेकेदारों से तय करते हैं । मेरा अनुमान है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस चीज को जानते होंगे लेकिन इसको दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया गया । यदि ठेकेदार समय से प्रतिशत दे देते हैं तब तो उनका पेमेंट किया जाता है और यदि वह रिश्वत या प्रतिशत समय से नहीं देते जो वेतन की तरह उनका बंधा रहता है तो उनका पेमेंट नहीं दिया जाता । इस प्रकार के बहुत से उदाहरण भी मैंने सिंचाई विभाग के सामने प्रस्तुत किये हैं ।

एक विशेष बात यह भी है कि इस विभाग में जब कोई काम कराया जाता है, जैसे नहर की सफाई आदि की जाती है तो उसकी मेजरमेंट बुक समय पर नहीं भरी जाती । जब वर्षा ऋतु आती है तब वह लोग मेजरमेंट बुक भेज देते हैं और नतीजा यह होता है कि बारिश में पानी बरस जाता है, फलतः बड़े अफसरों को निरीक्षण का मौका नहीं रहता । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह ऐसा नियम बना दें कि एम० बी० कम से कम वर्षा होने से एक मास पहले भेज दी जाया करे ताकि पदाधिकारियों को निरीक्षण का मौका रहे । इसके अतिरिक्त हमारे यहां नानक सागर और शारदा सागर ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े-बड़े फार्म हैं और उनको बनाने के लिये वहां की पुरानी जाति थारू को उजाड़ा गया है और उनकी जमीन फार्मों में ले ली गई है लेकिन अभी तक उनको बसाने का या मुआवजा आदि देने के लिये कोई नियम आदि नहीं बने हैं । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने उत्तर के समय इसका स्पष्टीकरण करें कि अभी तक थारुओं को मुआवजा देने का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ? इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि आज जो व्यभिचार सिंचाई विभाग में चल रहा है उसको दूर करने के लिये उन्होंने क्या उपाय किये हैं ? क्या उनको मालूम नहीं है कि ठेकेदारों और ओवरसियरों का क्या सम्बन्ध है और किस तरह से उनका प्रतिशत बंधा हुआ है ? मझे मालूम

है कि ऐसे टेकेदारों के प्रार्थना-पत्र आये हैं सिंचाई विभाग में जिनका पेमेंट नहीं किया गया है। वह मंत्री जी के पास भी पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने साधारण रूप से लिख कर भेज दिया कि पेमेंट कर दिया जाय और कोई विशेष ध्यान उन्होंने इस तरफ नहीं दिया ।

मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा कि हमारे हरदोई जिले में धान की फसल की पैदावार बहुत कम हो गई है । यदि २–३ वर्ष के आंकड़े देखे जायं तो वहां पर धान की फसल के कम होने का कारण यह है कि वहां पर पानी समय से नहीं पहुंच पाता और छोटे-छोटे माइनर्स की सफाई होती नहीं । होता यह भी है कि लिख दिया जाता है कि सफाई हो गई, लेकिन सफाई होती नहीं। वहां पर एक बार की सिंचाई पर ही पूरी सिंचाई ले ली जाती है । हमारे भारतीय जनसंघ ने मांग की थी सरकार से कि सिंचाई की दर एक तिहाई कर दी जाय। आज ब्रिटिश सरकार के जमाने से भी सिंचाई की दर तिगुनी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंचाई की दर पहले से तिगुनी हो गई है तो उसी अनुपात से इस विभाग का प्रसार क्यों नहीं किया गया? इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहूंगा कि जो शिकायतें सिंचाई विभाग में पहुंचती हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है ।

अन्त में मैं दो बातें इस विभाग के विषय में कहूंगा कि एक तो भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रबन्ध किया जाय और दूसरे जो स्मृति पत्र मैंने श्री खत्री को दिया था उसका कोई जवाब नहीं आया, इसलिये मैं चाहूंगा कि उस पर क्या हुआ इसका स्पष्टीकरण किया जाय। इन थोड़े से माइनर्स बनाने से और सफाई करने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है और पैदावार बढ़ सकती है । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि मुझे छठा साल है, लेकिन दूसरी दफा आज मुझे समय मिल रहा है । आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने जिले सहारनपुर में हम बहुत दुखी हैं ।

गंगा यमुना के बीच में चालीस मील लम्बा घाड़ का इलाका है जिसमें पानी पीने के लिये तीन-तीन मील से आता है । पानी नहीं मिलता । नहर के ओरे धोरे बड़ी-बड़ी नहरें निकली हैं और जो बीच का एरिया है उसमें पानी की बड़ी किल्लत है । पूर्व के भाई अपनी दिक्कत बताते रहते हैं, लेकिन हम पश्चिमी लोगों को समय नहीं मिलता और न हम अपनी दिक्कत बतला सकते हैं जिस प्रकार से हमारे गरीब भाइयों की हालत है घाड़ के इलाके में जहां पहले हम आठ-आठ दिन का पानी पीते थे । वहां पिछले सालों में हमारी दिक्कत कुछ दूर हुई । लेकिन आठ-आठ दिन का सड़ा हुआ पानी गरीब आदमी पीते थे । ढाई सौ तीन सौ फीट नीचे पानी है । मैं आपके जरिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां पानी की बड़ी किल्लत है । वहां पर पानी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की यह बतलाता हूं कि हमारे क्षेत्र में नहरें बनी हैं । देवबन्द के इलाके में और ननौते के इलाके में जो नहरें हैं वह पानी रोक लेती हैं । एक गांव चमन माजरा है । वह पूरा गांव बरबाद हो गया । एक भी घर उसमें नहीं बचा । वह दूसरी जगह बसाया गया है । देवबन्द इलाके में अमला गांव है और संतपुर, कितने सारे गांव हैं जो देवबन्द के आस-पास हैं वहां पर नहरें बनी हैं, लेकिन नहरों से पानी रुक जाता है और गांव डूब जाते हैं । इंद्रपुर और कई सारे गांव हैं जो उजड़ गये हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें नालों की बड़ी भारी जरूरत है । हमारे जिले में कुछ तो गांव पानी से घिर कर बरबाद हो जाते हैं और मैं सच कहता हूं, हजारों घर क्या लाखों घर हमारे बरबाद हो गये । लोग

[श्री हरदेव सिंह]

बड़े दुखी हैं । हरिजन भाई बड़े दुखी हैं । जमींदारों के सारे के सारे मकान ढह गये । अगर तकावी मिलती है तो बड़े आदमियों को मिल जाती है । गरीबों को तकावी भी नहीं मिलती, हम लोग बहुत पीड़ित हैं ।

मैं सच कहता हूं कि हमारे यहां अगर नाले नहीं निकलेंगे तो हम लोग डूब जायेंगे और हमारे गांव बिलकुल बरबाद हो जायेंगे । हमें कहने का मौका नहीं मिलता लेकिन आज कहने का मौका मिल रहा है । हम और हमारे गरीब भाई बहुत दुखी हैं । रजबहे पानी जाने नहीं देते, नहर के नीचे से पानी नहीं निकल सकता । हमारे हिस्से में यह बड़ी भारी दिक्कत है । मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्री जी से कि हमारी यह दिक्कत दूर होनी चाहिये ।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्या कहूं । जिस तरह से खुफिया पुलिस पता लगाती है उसी तरह से मैं खुफिया पुलिस का काम अपने जिले में करता हूं । भ्रष्टाचार की बाबत मुझे बड़ा दुख है । मैं अपना बिल लेने के लिये गया । मुझे एक साहब ने बताया कि बिल तो आप ले रहे हैं, लेकिन यह गवर्नमेंट चलेगी नहीं । मैंने पूछा कि क्यों, तो कहने लगे कि एक नहर के अधिकारी की तीन सौ रुपये की नौकरी है, नौ सौ रुपये का बिल है । मुझे बड़ी तकलीफ होती है । आज हमारे जिले में ठेकेदारी होती है ? ठेकेदारी क्या होती है, उसमें बड़ी भारी उलझन होती है । जो ठेकेदार होते हैं उनको ठेका नहीं मिलता, जो कर्मचारी हैं वही उनके नाम से ठेके लेते हैं । पतरौल की बात मैं आपको बताऊं । जब उनको नजराना मिल जाता है तब वह पानी देते हैं । बगैर नजराना के पानी नहीं मिलता । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो बंगलों में बैठने वाले साहब हैं वह जा कर के देखें की पानी का किस प्रकार से इन्तजाम होता है । मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने कोई वैसी बात कह दी हो । घाट के जो तालाब हैं वहां तीन-तीन, चार-चार मील से पानी लाते हैं । उसकी वहां बड़ी भारी दिक्कत है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह तालाब बनवा दिये जायं । पहाड़ के खोहों खड्डों से तालाबों में नल आ सकता है । इनको बनवा दिया जाय तो वहां की दिक्कतें दूर हो सकती हैं ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हूं । यह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह विभाग हमारी खाद्य समस्याओं को हल करने वाला विभाग है । हमारे प्रदेश में लगभग सात आठ लाख की आबादी हर साल बढ़ जाती है । इस समस्या को हल करने के लिये सिंचाई विभाग और कृषि विभाग और माल विभाग को मिल कर हर साल उसी तेजी से और उसी रफ्तार से चलना पड़ेगा । इतने नये खाने वाले जो आ जाते हैं उसी हिसाब से खेत की पैदावार बढ़ती जाय, तभी हमारे सूबे की गरीबी नहीं बढ़ेगी और कम पैदावार हुई तो गरीबी और बढ़ती जायगी । इसलिये यह एक महत्वपूर्ण विभाग है ।

हमारे प्रदेश में इस विभाग ने कुछ काम किया है । जहां तक नलकूपों का काम है उससे मेरे जिले में पैदावार बढ़ी है । मगर नहर विभाग से अभी तक कोई फायदा आजमगढ़ में नहीं हो पाया है । मेरे जिले आजमगढ़ में एक योजना साढ़े चार लाख की लागत की बनाई गई जो साढ़े सात हजार एकड़ की सिंचाई करने वाली थी । मगर उससे साढ़े सात सौ एकड़ की भी सिंचाई नहीं हुई । अगर वह बांध बन्द कर दिया जाता है तो भी उससे नुकसान होता है और अगर खोल दिया जाता है तो पीछे के धान भी डूब कर खत्म हो जाते हैं । इस साल रबी की सिंचाई में उसका पानी नहीं गया । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उसकी जांच करायें कि वहां सिंचाई हुई या नहीं । सिंचाई तो हुई नहीं लेकिन सिंचाई कर वसूल करने के आदेश हो गये । मेरे जिले में योजना से कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि उल्टे नुकसान ही हुआ है । इसकी जांच करके इसको ठीक कराया जाय ।

बाढ़ विभाग का जहां तक काम है उसके सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने कहा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । मगर एक बात बतला देना चाहता हूं कि जो नदियों के किनारे

जंगल थे उनके कट जाने से नतीजा यह हुआ कि खेती करने योग्य जमीन खराब हो रही है और मिट्टी आकर नदियों को पाट रही है । इसलिये अगर नदी गहरी की जाय तो यह भी होना चाहिये कि नदियों के किनारे जंगल लगाये जायं । इससे एक फायदा यह भी होगा कि जलाने की लकड़ी मिल जायगी। उसकी जगह जो गोबर जलाया जाता है और जो सबसे बढ़िया खाद होती है उसकी बचत होगी जिससे पैदावार भी बढ़ेगी और जो आबादी बढ़ती जा रही है इसके लिये खाद्य समस्या का भी हल होगा ।

इसके अलावा सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और माल विभाग, तीनों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखकर पैदावार भी बढ़ रही है या नहीं और जो आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से इस विभाग में प्रगति हो रही है या नहीं। अगर इस समस्या को तीनों विभाग मिल कर नहीं दूर करते हैं तो प्रदेश की गरीबी बढ़ेगी। अन्न की समस्या सबसे बड़ी समस्या है । अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिये पानी की खास जरूरत होती है । इसलिये यह विभाग एक तरह से अन्न की समस्या को हल करने वाला विभाग है । इसलिये इस विभाग में अगर रुपया खर्च हो तो कोई हर्ज नहीं, मगर इस समस्या का हल होना चाहिये ।

इस विभाग में जो ठेके दिये जाते हैं, मेरे क्षेत्र में जो नहर खोदी जा रही है उसमें ठेका वहां के लोगों को न देकर कहीं शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखनऊ के लोगों को ठेके दिये गये हैं, चाहे सांठ-गांठ से हो या किसी तरह से हो, उन्हीं को मिलते हैं । वह लोग मजदूरों को मजदूरी कम देकर काम कराते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जल्दी काम नहीं हो रहा है । मैंने देखा १०-१० मजदूर एक जगह काम करते हैं, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह ठेकेदार १४ रु० हजार क्यूबिक फीट के हिसाब से ठेका लेते हैं और मजदूरों को ७ रुपया के हिसाब से देते हैं । तो ठेके ऐसे लोगों को मिलते हैं जो बाहर के होते हैं और ज्यादा मुनाफा करते हैं । इसमें सुधार करने की जरूरत है । काम भी जल्दी होगा और सरकार का पैसा भी कम खर्च होगा ।

पटाई का जो काम हुआ है इसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं । मैंने मंत्री जी से कई बार कहा कि पटाई विभाग के जो ओवरसियर्स हैं वह तो हम लोगों की कोई बात सुनते भी नहीं । अगर उनसे कुछ कहा जाय तो कहते हैं कि आप इसकी नाप जोख क्या समझें । मगर मैं जानता हूं कि बहुत सी जगह ऐसी पटाई होती है जहां ऊंची जमीन होती है और उसी को पाट कर बिल इस तरह से बना देते हैं कि जो काम ४० रु० में होना चाहिये उसका १०० रु० का बिल बनता है और उसमें आधा शेयर कर लेते हैं । मैंने कई जगह इस बात को स्वयं देखा ।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२४ मार्च, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर)

स्टेट गेस्ट हाउस तथा आफिसर्स रेस्ट हाउस पर हुए खर्च का ब्योरा

१—स्टेट गेस्ट हाउस

१	किराया	१७६० रु०
२	फर्नीचर इत्यादि	इस पर खर्च का ब्योरा प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगा जा रहा है ।
३	कर्मचारियों के वेतन आदि	१३८९.५० रु०
४	बिजली	२११.०५ रु०
५	टेलीफोन	८२.६२ रु०
६	खाने पर खर्च	७५७.८४ रु०

२—आफिसर्स रेस्ट हाउस

१	परिवर्धन तथा परिवर्तन	इसका खर्च का ब्योरा प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगा जा रहा है ।
२	फर्नीचर इत्यादि	इन पर खर्च का ब्योरा प्राप्त नहीं है और सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगा जा रहा है ।
३	कर्मचारियों के वेतन आदि	५०४ रु० ।
४	बिजली तथा टेलीफोन	अभी तक बिल प्राप्त नहीं हुए हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

Copy of Instruction no. 4 of the "Instructions regarding recognition by the State Government of Association of its employees other than Associations of Industrial employees"

"No person who is not an ordinary member of the Association or an honourably retired officer belonging to the same class of Government employees as the Association represents would be eligible to be an office-holder of that Association."

नत्थी 'ग'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

सरकार द्वारा खर्च में कमी करने के लिये अब तक काम में लाये गये उपायों की सूची

क्रम संख्या	खर्च में कमी करने के उपाय
१	प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत आवर्त्तक आकस्मिक व्यय को व्यवस्था में तदर्थ ५ प्रतिशत की कमी का किया जाना ।
२	अर्दली चपरासियों का वापस लिया जाना ।
३	कर्मचारिवर्ग की संख्या में कमी और कुछ जगहों का न भरा जाना ।
४	स्टाफ कार और अन्य गाड़ियों का वापस लिया जाना ।
५	मंत्रियों के साथ रेल यात्रा में जाने वाली सशस्त्र पुलिस का वापस लिया जाना ।
६	कुछ अफसरों के निवास स्थान से टेलीफोन कनेक्शनों का हटाया जाना ।
७	सचिवालय में अफसरों की संख्या का कम किया जाना ।
८	अवकाश ग्रहण (रिटायर) करने की आयु का बढ़ाया जाना ।
९	कलेक्टरियों का पुनर्संगठन ।
१०	राजस्व परिषद् (बोर्ड आफ रेवेन्यू) का पुनर्संगठन ।
११	सचिवालय के शिक्षा, वन तथा सिंचाई विभाग का पुनर्संगठन ।
१२	ड्यू स्टाट फोटोग्राफिक पद्धति से दस्तावेजों की नकलों का तैयार किया जाना ।
१३	टेलीफोन व्यय के लिये अधिकतम धनराशि का निर्धारित किया जाना ।
१४	टेलीग्राम और आवश्यक पत्र भेजने के बजाय 'एयर मेल' पत्र का भेजा जाना ।
१५	सरकार द्वारा आयोजित कांफ्रेंसों और विचार गोष्ठियों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के भाग लेने के सम्बन्ध में प्रतिबन्धों का लगाया जाना ।
१६	स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये मुख्यालय से सीनियर अफसरों के जाने के बजाय मुख्यालय में स्थानीय अधिकारियों का बुलाया जाना ।
१७	इस प्रतिबन्ध का लगाया जाना कि दौरे वास्तव में अत्यन्त आवश्यक काम के लिये किये जायं ।
१८	गन्ना विभाग में कलेंडर और डायरियां छापने की योजना पर होने वाले व्यय को कम करके १०,००० रु० से ५,००० रु० कर दिया गया ।
	सार्वजनिक निर्माण विभाग
१९	लैंड एक्वीजीशन आफिसर की जगह और असिस्टेंट इंजीनियर (आर्किटेक्चर) की जगह का समाप्त किया जाना ।
२०	निर्माण सर्किलों का तोड़ा जाना ।
२१	घाघरा पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिये फैजाबाद में एक नया डिवीजन स्थापित करने के बजाय बस्ती के टेम्पोरेरी ब्रिज डिवीजन के मुख्यालय को फैजाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया ।
२२	भवन तथा प्रकीर्ण मदों के लिये चीफ इंजीनियर की सुरक्षित धनराशि में ५ प्रतिशत की कमी का किया जाना ।
२३	तखमीने तैयार करने की व्यवस्था का कम किया जाना ।
२४	विशेष उपकरण तथा सयंत्र की व्यवस्था में १० प्रतिशत की कमी का किया जाना ।
	उद्योग विभाग, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री
२५	पुराने टाट का उपयोग किया जाना ।
२६	विदेशी क्लाथ पेपर के स्थान पर स्वदेशी क्लाथ का उपयोग किया जाना ।
२७	मरम्मत करने के बाद पैकिंग केसों का उपयोग किया जाना ।
२८	सफेद कागज के इस्तेमाल का कम किया जाना ।

क्रम संख्या	खर्च में कमी करने के उपाय
२९	जिला मुख्यालयों में उद्योग संचालन कार्यालय के अधिकारियों के लिये एक भवन में स्थान की व्यवस्था का किया जाना ।
	हरिजन सहायक विभाग
३०	संचालक, हरिजन कल्याण तथा सरकार के अतिरिक्त सचिव की जगहों का मिलाया जाना
३१	वर्तमान वर्ष में टेक्निकल एवं प्रोडक्शन सेन्टर तथा एक होस्टल खोले जाने का स्थान ।
	राजस्व विभाग
३२	राजस्व परिषद् ने एक मितव्ययिता समिति बनाई है जिसके चेयरमैन उसके सेक्रेटरी हैं। प्रत्येक बजट शीर्षक का सूक्ष्म निरीक्षण करने तथा खर्च में कमी करने के उद्देश्य से उसकी बैठकें दो बार हुई हैं ।
३३	अतिरिक्त धनराशि निर्दिष्ट किये जाने के लिये जो प्रस्ताव जिलों तथा डिवीजनों से आते हैं उनकी स्वीकृति बहुत सूक्ष्म निरीक्षण के बाद दी जाती है ।
३४	गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क (मिर्जापुर) ने खर्च में कमी करने के बहुत से उपाय किये हैं, जैसे मशीनरी तथा भवन सम्बन्धी मदों का परित्याग, अस्थायी मजदूर रखने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय में कमी करना, चपरासी की जगहों का समर्पण, मैनेजमेन्ट कमीशन आदि के ठेकों का नवीकरण न करना ।
३५	विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा खर्चे में की गई कमी ।
३६	लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों का एक साथ छापा जाना ।
	उद्योग विभाग
३७	शीर्षक 'प्रख्यापन' (Publicity) के अन्तर्गत खर्च में कमी ।
	पशु-पालन विभाग
३८	सामान्य मितव्ययिता के उपाय स्वरूप उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भेड़ तथा ऊन और अन्य पशु-धन के सुनियोजित विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत खर्च में कमी ।
	जन-स्वास्थ्य विभाग
३९	कुछ विकास योजनाओं को उनके कार्यान्वित न किये जाने अथवा मितव्ययिता के लिये कटौती करने के कारण परित्यक्त कर दिया गया ।
४०	कालाजार युनिटों का भंग किया जाना ।
४१	ड्रग स्टोर का पुनर्संगठन ।
४२	महामारी के नियंत्रण के लिये की जाने वाली व्यवस्था में कमी ।
	राज्य सम्पत्ति विभाग
४३	माल मंत्री और सिंचाई के राज्य मंत्री के लिये बड़ी कारों के स्थान पर क्रमशः एक छोटी मोटर कार और एक मझोले आकार की मोटरकार खरीदी गई ।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

कालपी के हस्तनिर्मित कागज-गृह उद्योग के विकास हेतु हस्तनिर्मित कागज अनुसंधान व उत्पादन केन्द्र, कालपी की स्थापना की गई है। उच्च स्तर के उत्पादन हेतु १.४ लाख रुपये के आधुनिक वैज्ञानिक ढंग के यन्त्र खरीदे गये हैं। अनुसंधान कार्य के लिये भवन निर्माण हो रहा है। ५ विज्ञान स्नातक, हाथ कागज अन्वेषण केन्द्र, पूना में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उक्त केन्द्र के संचालन के लिये अधीक्षक उत्पादन के पद पर एक अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है।

कालपी की दो प्रमुख संस्थाओं को तथा अन्य उत्पादकों को हर प्रकार की सम्भव सहायता दी जा रही है--जैसे कच्चे माल की व्यवस्था, रासायनिक पदार्थों की व्यवस्था, यन्त्रों की व्यवस्था, कटिंग व ग्लेजिंग की व्यवस्था आदि।

उत्पादकों द्वारा उत्पादित फाइल कवर, कैलक, उच्च स्तर कागज के विक्रय की भी व्यवस्था की जा रही है। आर्थिक सहायता दिलाये जाने के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०८ पर)

क्रम सं०	समिति का नाम	अनुदान की रकम		
१	२	३		
		रु०	आ०	पा०
१	इटावा जिला बीवर्स सेन्ट्रल कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, इटावा	३७,५२८	४	६
२	लालपुरा बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ..	५४५	६	०
३	बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जसवन्त नगर ..	३,५४२	१०	६
४	मगरबी छावनी वार्ड कोआपरेटिव हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, इटावा	५,८५१	१०	०
५	मगरबी छपेटी वार्ड कोआपरेटिव हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, इटावा	३,०८१	७	०
६	बुनकर गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, जुआ ..	१,३३२	५	९
७	बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, समाग्राम ..	३,४२५	११	०
८	बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ..	४,६९९	१४	३
९	बरनटोला बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इटावा ..	१,५९८	१	६
१०	बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, महेवा	२,२१६	१०	०
११	बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, शाखाग्राम ..	३,७०१	११	०
१२	बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, फफूंद	४,१७९	१३	६
१३	कोआपरेटिव हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, एकदिल ..	१८९	९	०
१४	रामगंज वार्ड हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, इटावा	१,३४९	३	६
१५	जसवन्त नगर देहात कोआपरेटिव हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, इटावा	२१	५	६
१६	जसवन्तनगर सरोगी बाजार कोआपरेटिव हैण्डलूम बीवर्स सोसाइटी लिमिटेड, इटावा	७३	७	३
१७	गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड, केशमपुर इटावा	१५,०००	०	०
१८	हरिजन घरेलू उद्योग-धन्धी सहकारी समिति लिमिटेड, नगला सुभान, इटावा	१२,५००	०	०
१९	गृह उद्योग चर्मशोधन सहकारी समिति लिमिटेड, सरसीपुख्ता, इटावा	१५,०००	०	०
२०	गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड, जगन्नाथपुर, इटावा	१५,०००	०	०

नत्थी 'च'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७११ पर)

जिला टेहरी गढ़वाल में १९५३–५४ से जनवरी, १९५८ तक किये गये कार्यों तथा उन पर व्यय का विवरण निम्नप्रकार है:

कार्य	विवरण		
१—फलदार पौधों का उत्पादन	८२,००४	पौधे
२—फलदार पौधों का आरोपण	१,६७,४१२	पौधे
३—पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	८००	एकड़
४—साग-भाजियों के बीज का उत्पादन	१,९२५	पौण्ड
५—सब्जी के बीज का वितरण	७२०	पौण्ड
६—फलदार पेड़ों की वैज्ञानिक ढंग से छटाई	१,००,७००	पेड़
७—फलदार पेड़ों को बीमारी व कीड़ों-मकोड़ों से बचाने का उपचार	९६,०००	पेड़
८—भूमि की तैयारी	८२०	एकड़
९—कैसर की गांठ लगाई	२,८३०	गांठ
१०—फल-संरक्षण में प्रशिक्षण	१५	शिक्षार्थी

व्यय का विवरण

	रु०
१—उद्यान और नर्सरी का विकास	१,६७,१९०
२—फलदार पौधों के लिये आर्थिक सहायता	१२,५००
३—उद्यान रक्षा सचल दल योजना	१,०९,४४५
४—सीमावर्ती विकास योजना	४५,५३३
५—विकास प्रदर्शनी	४,०००
योग	३,३८,६६८

नत्थी 'छ'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१६ पर)

जल-विद्युत् और ताप-जनित विद्युत् के रेट निम्नलिखित हैं:—

	हाइडेल	अन्तरिम डीजल पावर स्टेशन	
१—लाइट और पंखा	६ आना-कम-६ पाई प्रति यूनिट कमीशन यानी ५ आना ६ पाई प्रति यूनिट नेट	नेट (net) ८ आना प्रति यूनिट ।	
२—इन्डस्ट्रियल पावर			
(१) स्लाइडिंग	५० हा० पा० या अधिक पाई प्रति यूनिट	५० हा० पा० से कम	
प्रथम १,३२० यूनिट प्रति एच० पी० प्रतिवर्ष	२०.५	२१.५	चार आना प्रति यूनिट प्रत्येक प्रकार के विद्युत के लोड के लिये ।
अगले १,२०० ,,	,,	,,	१०.० १२.५
अगले ९०० ,,	,,	,,	८.० १०.५
अवशेष ,,	,,	,,	५.२५ ६.०

नोट—स्लाइडिंग स्केल तभी दिया जाता है जब कि बिल का भुगतान निर्धारित समय पर हो जाता है ।

या (२) टू पार्ट टैरिफ ६ रु० प्रति हा० पा० प्रति माह तथा ९.५ पाई प्रति यूनिट ।

(३) किलोवाट टैरिफ/किलोवाट इम्पीयर टैरिफ (७५ किलोवाट १००/किलोवाट एम्पीयर तथा अधिक पार लोड के लिये) । १९० रु० प्रति किलोवाट या १६१ रु० ८ आना प्रति किलोवाट एम्पीयर प्रति वर्ष तथा ३.५ पाई प्रति यूनिट ।

३—एग्रीकल्चर पावर—

१—पंपिंग वाटर प्रथम १,२०० यूनिट प्रति हा० पा० प्रतिवर्ष १५.५ पाई प्रति यूनिट

अवशेष .. ९.५ ,, ,,

२—अन्य कार्यों के लिये .. १५.५ ,, ,,

नत्थी 'ज'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न १४६ तथा १५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१७ पर)

देवरिया जिले की चीनी मिलों के नाम	१६५६-५७	१६५७-५८
१	२	३
	रु०	लाख रुपयों में
१--कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, ब्रांच पडरौना, देवरिया	६५,०७६	४.१३
२--कानपुर शुगर ब्रांच, कठकुइयां ..	१२,५२६	३.१५
३--शंकर शुगर मिल्स, कप्तानगंज ..	१,५०५	६.३८
४--दी लक्ष्मी शुगर मिल, छितौनी ..	१५,०६६	३.६०
५--श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, बैतालपुर ..	३,०००	७.४३
६--दी यूनाइटेड प्रॉविंसेज शुगर कम्पनी लिमिटेड, सेवरही	..	५.४५
७--महेश्वरी खेतान शुगर मिल लिमिटेड, रामकोला ..	..	३.६८
८--दी रामकोला शुगर मिल लिमिटेड, रामकोला ..	..	१०.६२
६--दी विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा ..	..	८.५२
१०--ईश्वरी खेतान शुगर मिल, लक्ष्मीगंज ..	..	५.२६
११--परतापपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, मैरवा ..	..	१.५६
१२--मदनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, गौरी बाजार ..	..	३.२७
१३--पदमपत मोतीलाल शुगर मिल, भटनी ..	..	२.८६
१४--देवरिया शुगर मिल, देवरिया ..	..	५.३२
योग ..	६७,२०६	७१.८६

नत्थी 'झ'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न १५५ तथा १५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१८ पर)

सूची

वर्ष	खरीदे गये फलों की कुल तादाद	खरीदे गये फलों का समुचित मूल्य	बनाये गये पल्प व रस की तादाद	
१	२	३	४	५
	मन सेर	रु०	पल्प पौंड में	रस पौंड में
१९५५ ..	२,१३९ ३५	१६,८७६	१,१२,३३९	१८,४९७
१९५६ ..	९७४ २२ १/२	११,५७३	२९,५०२	३१,६०४
१९५७ ..	३,१४३ ६	४१,१६९.५९	६२,४४३	१,२५,९११

नत्थी 'ञ'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न १५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१९ पर)

फलों के दामों की सूची

	रु०	आ०	पाई	प्रति मन
१९५६				
खुबानी ग्रेड सेकेन्ड	८	६	०	,,
चुबारू	३	०	०	,,
आड़ू	१०	७	०	,,
सेब ग्रेड सेकेन्ड	११	०	०	,,
और	१३	०	०	,,
सेब ग्रेड थर्ड	६	४	०	,,
प्लम	८	६	०	,,
१९५७				
सेब ग्रेड सेकेन्ड	१५	०	०	,,
सेब ग्रेड थर्ड	७	०	०	,,
खुबानी	१०	०	०	,,
चुबारू	६	०	०	,,
प्लम	८	६	०	,,
आड़ू	१०	७	०	,,

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

सन् १९५६-५७ में बस्ती जिले में विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गृह उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये निश्चित तथा वितरित धनराशि की सूचना निम्नांकित तालिका में दी हुई है :

तालिका

योजना का नाम	ऋण (रु०)			अनुदान (रु०)			विवरण
	निश्चित	वितरित	शेष	निश्चित	वितरित	शेष	
१	२	३	४	५	६	७	८
१—ऋण तथा अनुदान योजना*	१६,०००	..	..	५००	..		*इन योजनाओं के अंतर्गत पूर्व से ही जिलेवार धनराशि निश्चित नहीं की जाती है।
२—हथकरघा योजना *	२६,२६३	..	..	२,०००	..		
३—पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्र विकास योजना	१०,०००	८,४००	१,६००	१,०००	१,०००	..	दो पार्टियां जमानतदार न मिलने के कारण ठीक समय से अपने कागजात नहीं दे सकीं ।
४—गुड़ बिकास योजना	१५,२४०	१५,२४०	..	..	..	..	
५—क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा कुटीर उद्योग विकास हेतु	१२,५००	१२,५००	..	..	..	..	
योग	३७,७४०	७८,४०३	१,६००	१,०००	३,५००	..	

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३३ पर।)

जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में सन् १९५० से अब तक "देशभक्त प्रेस, अल्मोड़ा" व "सर्ववादी प्रेस, रामनगर" के अतिरिक्त अन्य प्रेसों के हेतु दिये गये ऋण व अनुदान की सूची :

क्रम-सं०	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष	पाने वाले का नाम	उद्योग	दी गई धनराशि —(ऋण) अनुदान (रुपयों में)	
१	२	३	४	५	६	
१	अल्मोड़ा	.. १९५५-५६	श्री हीरा वल्लभ जोशी प्रो० नरायन प्रेस, पिथौरागढ़।	प्रिंटिंग प्रेस व जिल्दसाजी	४,०००	..
२	नैनीताल	.. १९५१-५२	श्री पीताम्बर पाण्डे सम्पादक "जागृति जनता" हल्द्वानी।	प्रिंटिंग प्रेस	४,०००	२,०००
३	नैनीताल	.. १९५२-५३	सर्व श्री नरायन दत्त भंडारी व रघुनाथ वर्मा हल्दवानी।	प्रिंटिंग प्रेस	..	२,०००
४	नैनीताल	.. १९५५-५६	श्री एन० के० गुरिया, प्रो० गुरिया प्रिंटिंग प्रेस, काशीपुर।	प्रिंटिंग प्रेस	२,०००	..

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३३ पर।)

ग्रामोद्योग ट्रस्ट, पुखरायां, जिला कानपुर को सन् १९५० से अब तक निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी गई :

वर्ष	आर्थिक सहायता		
	रु०	आ०	पा०
१९५०–५१	२४,२७६	१०	०
१९५१–५२	३,५१०	०	०
१९५२–५३	६,६३०	०	०
१९५३–५४	३६,४००	०	०
१९५४–५५	२४,९४६	१०	६
१९५५–५६	१२,०९०	०	०
१९५६–५७	१४,९६०	०	०
१९५७–५८	९,०००	०	०प्रति काटेज मैच यूनिट।

उक्त ट्रस्ट के केन्द्रों का नाम तथा उनमें उत्पादित वस्तुओं की सूचना निम्नलिखित है :

केन्द्र का नाम	उत्पादन
हैण्ड मेड पेपर और ऊल उद्योग, केन्द्र, पुखरायां ।	कागज व ऊन तैयार करना व उनकी शिक्षा देना ।
कुटीर दियासलाई कारखाना, पुखरायां, २ कालपी, २ पुखरायां	दियासलाई संबंधी उद्योग ।
सरकारी खादी केन्द्र, राजपुर ।	कत्तिनों को चर्खे पर सूत कातना सिखाना व खादी वस्त्र उत्पादन।
सरकारी खादी केन्द्र, उरई, जालौन	,,
सरकारी खादी केन्द्र, कदौरा	,,
सरकारी खादी केन्द्र, महेवा, इटावा	,,
सरकारी खादी केन्द्र, कैकसा, इटावा	,,
सरकारी खादी केन्द्र, औरैया, इटावा	,,
सरकारी खादी केन्द्र, चिरगांव, झांसी	,,
अम्बर परिश्रमालय, बकेवर, इटावा	,,
अम्बर परिश्रमालय, मूसानगर, कानपुर	,,

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३८ पर)

खुर्जा, बरेली तथा झांसी के पोलीटेक्निक की योजनाएं

सेठ गंगा सागर जाटिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, खुर्जा की योजना

खुर्जा की श्री इन्द्रमणि जाटिया ने १० लाख रुपये का दान देने का वचन दिया है जिससे खुर्जा में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट १९५८-५९ से खोला जाने वाला है। सरकार ने उपर्युक्त दान स्वीकार कर लिया है। इस इंस्टीट्यूट पर अभी आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायगा। भारत सरकार को भी सहायता के लिये लिखा गया है।

उक्त इंस्टीट्यूट अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। छात्रों की अनुमानित संख्या १०० के लगभग होगी। उपर्युक्त परिषद् की सलाह पर केन्द्रीय सरकार ने इस इस्टीट्यूट के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १० लाख रुपया और खर्च किये जाने का निश्चय किया है जो राज्य सरकार का अंश होगा जिसमें से ५ लाख रुपया १९५८-५९ में खर्च किया जायगा।

डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, झांसी तथा बरेली की योजनाएं

मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा सिविल इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी को दृष्टि में रखते हुये, भारत सरकार के योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप ने यह शिफारिश की थी कि अधिक संख्या में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये दो नये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोले जांय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दो नये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, एक बरेली तथा दूसरा झांसी में खोले जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष १२० विद्यार्थियों को हर इंस्टीट्यूट में भर्ती किया जावेगा। ६० सिविल इंजीनियरिंग में व ३०-३० मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। प्रत्येक विषय में शिक्षा की अवधि तीन साल होगी।

प्रवेश की न्यूनतम योग्यता विज्ञान तथा गणित के साथ हाई स्कूल पास होगी। इन संस्थाओं में सम्भवतः जुलाई, १९५८ से प्रवेश आरम्भ हो जायेंगे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक इंस्टीट्यूट क कर्मचारिवर्ग, सज्जा तथा भवन पर २१ लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा। जिसमें ५० प्रतिशत व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर)

फिरोजाबाद में विभिन्न उद्योगों को चलाने के लिए दिए गए कोयले की सूची १९५७-५८

क्रम-संख्या	नाम जिसको कोयला दिया गया		
	रसायनिक उद्योग		
१	मेसर्स लक्ष्मीचन्द राम सहाय, फिरोजाबाद	१५	वैगन
२	,, चौबे एन्ड संस, फिरोजाबाद	१	,,
३	,, गंगा सिलीकेट वर्क्स, फिरोजाबाद	२	,,
४	,, सूर्य केमिकल वर्क्स, फिरोजाबाद	१	,,
५	,, घनश्याम केमिकल इन्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद	८	,,
६	,, राजा केमिकल वर्क्स, फिरोजाबाद	४	,,
७	,, शंकर केमिकल इन्डस्ट्रीज, फिरोजाबाद	६	,,
	तेल उद्योग		
१	,, मदन मोहन घामालाल, फिरोजाबाद	६३	,,
	शीशा उद्योग		
१	,, बिमल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	२२१	,,
२	,, जैन ग्लास वर्क्स, हरनमऊ (प्रधान कार्यालय), फिरोजाबाद	३२१	,,
३	,, बी० एम० ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद .. .	८५	,,
४	,, हेली ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	५६	,,
५	,, इन्डिया इलेक्ट्रिक ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	४६	,,
६	,, सुरेश थरमस और इलेक्ट्रिक ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	३०	,,
७	,, नन्दलाल पालीवाल ऐण्ड ब्रदर्स कोल डम्प होल्डर, फिरोजाबाद	१०२	
८	,, आदर्श ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	६१	,,
९	,, सिकन्दर वर्क्स नादिर वर्क्स ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	६०	,,
१०	,, नादिर वर्क्स और कम्पनी ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	५६	,,
११	,, मुस्लिम ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	४७	,,
१२	,, गौरीशंकर रामगोपाल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	६०	,,
१३	,, सेन्ट्रल सबरी ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	६२	,,
१४	,, वैश ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	४५	,,
१५	,, फ्रेन्ड्स ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	६४	,,
१६	,, भारत ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	४६	,,
१७	,, महादेव पाइप फैक्ट्री फिरोजाबाद	४६	,,
१८	,, रामा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	६१	,,
१९	,, हनुमान (ब्लाक) ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	६२	,,
२०	,, अमृत ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	४५	,,
२१	,, विश्म्भर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	२६	,,
२२	,, रामा हरिहर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	३६	,,
२३	,, राजउद्दीन साहूउद्दीन खां ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद .	३६	,,
२४	,, स्टार ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	३६	,,
२५	,, सावित्री ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	४७	,,
२६	,, ताज मुहम्मद हाजी ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद ..	३६	,,

क्रम-संख्या	नाम जिसको कोयला दिया गया		
२७	मेर्सस सरीफ आदिल सफाक आदिल खां ग्लासवर्क्स, फिरोजाबाद		२७ वैगन
२८	,, विश्वनाथ ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२० ,,
२९	,, मुन्शीलाल बेनीराम ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३४ ,,
३०	,, मोहन ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२५ ,,
३१	,, वेलकम ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३२ ,,
३२	,, रुस्तम ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३४ ,,
३३	,, श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४८ ,,
३४	,, भूरे खां बैंगिल फैक्ट्री, फिरोजाबाद	..	३६ ,,
३५	,, ओरियन्टल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२२ ,,
३६	,, अशोक ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३२ ,,
३७	,, कड़ा छाल व पकाई भट्ठी संघ, फिरोजाबाद	..	१७८ ,,
३८	,, नव भारत ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४७ ,,
३९	,, श्री सत्य नारायण ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५५ ,,
४०	,, श्री नानक ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५५ ,,
४१	,, पारसनाथ ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५६ ,,
४२	,, श्री गोविन्द ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	६१ ,,
४३	,, कार्मशियल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५४ ,,
४४	,, श्री कृष्ण ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	६० ,,
४५	,, मिर्जा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५८ ,,
४६	,, गोपाल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५३ ,,
४७	,, डम्पामल नऊमल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	६४ ,,
४८	,, वहाब ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४९ ,,
४९	,, गंगा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	५८ ,,
५०	,, मदन लाल रामस्वरूप ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	६१ ,,
५१	,, गिरधर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३० ,,
५२	,, प्रेम ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४८ ,,
५३	,, मनोहर ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३२ ,,
५४	,, मदीना ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३३ ,,
५५	,, सरोजनी नाइडू ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२५ ,,
५६	,, माधो ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३२ ,,
५७	,, जगदम्बा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	३० ,,
५८	,, राधा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२१ ,,
५९	,, गिरधारी लाल मनोहर लाल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	८ ,,
६०	,, एडवान्स ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४२ ,,
६१	,, अन्सार ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	७ ,,
६२	,, नेशनल ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२८ ,,
६३	,, रूबी नोवेल्टीज ग्लास हाउस, फिरोजाबाद	..	२२ ,,
६४	,, हज्जाज ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	४२ ,,
६५	,, लक्ष्मी ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	२२ ,,
६६	,, रामलाल हरप्रसाद चौबे ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद	..	१८ ,,
	इन्जीनियरिंग उद्योग		
१	,, श्री गंगा इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद ..	..	१ ,,

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

१	जिला मैजिस्ट्रेट, बलिया	..	सभापति
२	अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (प), बलिया	..	सदस्य
३	एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, हाइडिल डिवीजन, आजमगढ़	..	,,
४	डिविजनल फारेस्ट आफिसर, रामनगर, वाराणसी	..	,,
५	श्री राधामोहन सिंह, एम० पी०	..	,,
६	श्री सरजू पाण्डेय, एम० पी०	..	,,
७	श्री तारकेश्वर पाण्डेय, एम० पी०	..	,,
८	ठाकुर परमात्मानन्द सिंह, एम० एल० सी०	..	,,
९	श्री श्याम विहारी बिरागी, एम० एल० सी०	..	,,
१०	श्री रामलक्षण तिवारी, एम० एल० ए०	..	,,
११	श्री गौरीशंकर राय, एम० एल० ए०	..	,,
१२	श्री मान्धातासिंह, एम० एल० ए०	..	,,
१३	श्री रामनाथ पाठक, एम० एल० ए०	..	,,
१४	श्री शिवमंगल सिंह, एम० एल० ए०	..	,,
१५	श्री जगन्नाथ चौधरी, एम० एल० ए०	..	,,
१६	श्री गंगाप्रसाद सिंह, एम० एल० ए०	..	,,
१७	श्री राम रतन, एम० एल० ए०	..	,,
१८	सभापति, जिला बोर्ड, बलिया	..	,,
१९	मैनेजर, श्री गांधी आश्रम, बलिया	..	,,
२०	जिला उद्योग अधिकारी, बलिया	..	सेक्रेटरी

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१ एल० ए०—१९५८—८३५।